राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र का 41वां दिवस [संख्या 1

शनिवार,

दिनांक 29 अप्रेल, 1972

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.02 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[खाद्य खनिज, सिंचाई, यातायात, समाज कल्याण, विद्युत्, श्रम, विकास, राजस्व आयुर्वेद, नागरिक रसद, सार्वजनिक निर्माण, पंचायत, पुनर्वास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सैनिक कल्याण विभाग]

चावल पर राज्य से बाहर भेजने की पाबन्दी

99. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में इस वर्ष अन्न का उत्पादन अच्छा है विशेषकर चावल की फसल रिकार्ड तोड़ हुई है ?

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने चावल पर राज्य से बाहर भेजने पर पाबन्दी लगा रखी है ?

(ग) क्या यह सच है कि चावल का मूल्य राज्य में अन्य प्रान्तों के मुकाबले बहुत कम है ?

(घ) यदि हां, तो किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले इसको देखते हुए क्या हल्की किस्म के चावल को बाहर भेजने की छूट दी जावेगी ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब से ?

खाद्य मंत्री, (श्री ओंकारलाल) : (क) 1971-72 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसल के अन्न का उत्पादन वर्ष 70-71 की अपेक्षा कुछ कम हुआ है। रबी के उत्पादन के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। चावल गत वर्ष से अधिक पैदा हुआ है।

(ख) जी हां।

(ग) यह सत्य नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) जी नहीं, क्योंकि राज्य में अन्य प्रान्तों से चावल का भाव कम नहीं है अत: चावल को बाहर भेजने की छूट नहीं दी जा सकती है। जहां तक किसानों को चावल का उचित मूल्य मिलने का प्रश्न है इस हेतु भारत सरकार द्वारा समस्त राज्यों में चावल की खरीद निर्धारित प्रोक्योरमेन्ट के भावों पर की जा रही है और इस प्रकार किसानों के हित की रक्षा हो जाती है।

श्री मीठालाल : माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में विशेष समस्या है कि जो अच्छे क्वालिटी के चावल हैं वे दिन प्रतिदिन हरियाणा और पंजाब से चोरी से आते रहते हैं और इस बात का मिनिस्टर महोदय को भी मालूम है और जयपुर के बाजार में कहीं भी जाकर कहीं से भी वो चावल आप खरीद सकते हैं और जो मोटे टाइप के चावल हैं जो कि कोटा, सवाई माधोपुर और उदयपुर क्षेत्र में पैदा होते हैं वे बाहर जाते नहीं हैं और उनकी राजस्थान में खपत नहीं है और उन चावलों का राजस्थान में कोई लेनदार नहीं है। फिर जब गेहूं 100 और 110 रुपये के भाव का था तो चावल 85, 84 के भाव का था। हालांकि आज गेहूं के भाव नीचे आये हैं लेकिन मोटे चावल की यहां कोई खपत नहीं है।

दूसरी बात यह है कि हरियाणा और पंजाब ने लेवी लगाकर दिल्ली को 10 से 18 प्रतिशत तक चावल खुलासा कर रखा है। अब हमारे राजस्थान के पास गुजरात ऐसा इलाका है कि जहां चावल की खपत ज्यादा है और चावल की वहां पर कमी रहती है तो यह मोटा चावल हम राजस्थान के बाहर भेज सकते हैं। अब जैसे हरियाणा और पंजाब ने लेवी लगाकर दिल्ली के लिए खुलासा कर रखा है ऐसे ही राजस्थान सरकार गुजरात के लिए 10 से 20 प्रतिशत खुलासा करने का क्या विचार रखती है?

श्री ओंकारलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि राजस्थान में चावल कम पैदा होता है इसलिए चावल को बाहर भेजने का प्रश्न नहीं है।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा और पंजाब से दिल्ली चावल आता है और इस तरह का समाचार हम अखबारों में भी पढ़ते हैं। हिन्दुस्तान पेपर वगैरह मार्केट की रिपोर्ट देते हैं उनसे यह मालूम होता है कि तस्करी के ट्रक पास होने से तेजी आ गयी और यह हम रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं तो आज प्रतिदिन चावल चोरी से आ रहा है इसलिए किसानों को उचित मूल्य मिले इसके लिए यहां से चावल गुजरात को कुछ प्रतिशत लेवी लगाकर खुलासा कर देना चाहिए। या फिर इस तस्करी पर प्रतिबन्ध लगायें या यहां से कुछ चावल खुलासा किया जाये।

दूसरे चावल की किणकी का परमिट हुआ है। राजस्थान सरकार ने कुछ दिन पहले परमिट चालू किया था फिर अचानक दूसरे अधिकारी आये उन्होंने बन्द कर दिया और तीसरे अधिकारी आये उन्होंने चालू कर दिया। तो इस सम्बन्ध में एक ऐसी नीति निर्धारित की जाये जिसमें किणकी राज्य से बाहर जा सके।

श्री ओंकारलाल : चावल की चोरी के बारे में राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं है। बाकी चीजों के लिए जैसा मैंने निवेदन किया कि इस प्रकार का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मीठालाल : किणकी के बारे में पहले परमिट चालू किया था फिर बन्द कर दिया और फिर चालू कर दिया तो कम से कम यह तो बाहर जाने की इजाजत होनी

Page No 3

(श्री मीठालाल)
चाहिये इस बारे में स्पष्ट आदेश सरकार की ओर से होने चाहिए।

श्री ओंकारलाल : यह अलग से सवाल है। किणको के बारे में प्रश्न ही नहीं है।

एक माननीय सदस्य : क्या सरकार स्वयं खरीदकर बाहर भेजने के लिए तैयार है ?

श्री ओंकार लाल : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती निर्मला शक्तावत।

चित्तौड़गढ़ जिले में खनिज सर्वे

103. **श्रीमती निर्मला शक्तावत** । (चित्तौड़गढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या चित्तौड़गढ़ जिले में खनिज पदार्थों की जानकारी के लिए सर्वेक्षण हुए हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से खनिज पदार्थ वहां की भूमि में पाये गये ? इन्हें निकालने की सरकार की क्या योजना है।

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) : जी हां, खनिज विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में सर्वे करने पर चित्तौड़गढ़ जिले में भानपुरा, वेड़ा सेंती, चन्देलिया, निम्बाहेड़ा तथा पारसोली क्षेत्र में सीमेन्ट बनाने के उपयुक्त चूना पत्थर (लाइम स्टोन) के प्रचुर मात्रा में भन्डार मिले हैं।

उपरोक्त चूना पत्थर पर आधारित चित्तौड़गढ़ के पास एक सीमेन्ट का कारखाना निजो क्षेत्र में लग चुका है।

एक ओर निजो क्षेत्र में इसी चूने के पत्थर पर आधारित सीमेन्ट कारखाना निम्बाहेड़ा के पास लगाया जा रहा है।

इसके अलावा चीनी मिट्टी, लेटेराइट, शीशा तथा जस्ता आदि खनिजों का होना पाया गया है लेकिन ज्यादा मात्रा में न होने से कोई वाणिजिक उपयोग सम्भव नहीं है।

श्रीमती निर्मला कुमारी : सर्वेक्षण कब कब हुआ है इसकी निश्चित तिथि बताने की कृपा करें ?

श्री जुझारसिंह : पहला सर्वेक्षण 1957–58 में हुआ, दूसरी बार 1966-67 में करवाया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र

प्रश्न संख्या 101.

(श्री सुरेशचन्द्र ! अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री लूनाराम !

बीकानेर–जयपुर मार्ग पर निगम की बसें

102. **श्री लूनाराम** (डूंगरगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर से जयपुर तक रोडवेज की बस चलना कब से क्यों बन्द है ?

(2) अब कब तक इस मार्ग पर बराबर बस चलानी शुरू कर दी जावेगी ?

(श्री लूनाराम)

(3) क्या जनता की आवश्यकता को देखते हुए इस मार्ग पर बसों को संख्या बढ़ाई जावेगी ?

यातायात मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) बीकानेर से जयपुर मार्ग वाया रतनगढ पर रोडवेज की बस 20-5-70 से 8-8-70 तक टेम्परेरी अनुज्ञा-पत्र पर चली। कोर्ट का स्थान आदेश आने से बन्द है।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना अभी प्रकाशित नहीं की गयी है। निगम ने परमिट के लिए प्रार्थना-पत्र दे रखें हैं। एस. टी. ए. से परमिट मिलने पर बस चलाई जा सकेगी।

(3) जयपुर से बीकानेर वाया सुजानगढ़ मार्ग पर प्राईवेट बस आपरेटरों की गाड़ियां चलती हैं। इस पर 10 बसों को परमिट मिले हुए हैं। राज्य परिवहन प्राधिकारी ने अपने प्रस्ताव संख्या 18 दिनांक 17-18 मार्च, 1970 के द्वारा 36 बसें व 7 ट्रिपों का स्कोप निर्धारित किया था जो उच्च न्यायालय द्वारा स्टे कर दिया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय होने के पश्चात् ही बसों की संख्या बढ़ाने की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री लूनाराम : जयपुर से बीकानेर वाया रतनगढ़ वाले रूट के लिए क्या मंत्री महोदय जो राजस्थान हाईकोर्ट से स्टे आया हुआ है उसके बारे में सरकार विचार कर रही है ?

श्री हरिदेव जोशी : सरकार की कार्यवाही जारी है।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो निगम है उसकी बसें ज्यादा से ज्यादा चल सकें और जो कानूनी अड़चन आ रही है उसको शीघ्रता से दूर किया जा सके ऐसे कानून बनाये जायेंगे ? आज सैकड़ों बसें पड़ी हुई हैं और कानूनी अड़चन के कारण वे नहीं चल पा रही है और आम तौर से ये अड़चनें हमेशा पैदा होती हैं, दूसरी स्टेट्स में भी हुई हैं और उन्होंने उनको दूर किया, क्या इस प्रकार के प्रयत्न आप करने की कोशिश करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : अलग से प्रश्न है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या कानूनी अड़चन जान बूझ कर रखी जाती है ताकि हाई कोर्ट से स्टे मिल जाय ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

(प्रश्न सं. 103 अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं पुकारा गया)

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह, बीरबल, गोपाल जोशी, मोहरसिंह, भीमसेन, लूणाराम, भंवरसिंह, भीमराज।

सिद्धमुख नहर के निर्माण की योजना

104. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिद्धमुख नहर निर्माण हेतु सरकार की क्या योजना है ? इससे कौन

Page No 5

(श्री मोहरसिंह)

कौन से गांवों में सिंचाई होगी? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस नहर से राजगढ़ (चूरू) क्षेत्र के खारे पानी वाले गांवों में पेय जल प्रदान किया जा सकेगा?

(3) क्या इस नहर से राजगढ़ (तहसील चूरू) के गांवों में पानी ऊंचा उठा कर दिया जा सकता है? क्या इस विषय में कोई सर्वेक्षण कराया गया है? यदि नहीं, तो क्या अब सरकार सर्वेक्षण करवाने के लिए तैयार है?

(4) इस नहर का निर्माण कार्य कब शुरू होगा? क्या सरकार इस कार्य को कराने में शीघ्रता करेगी?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): (1) इस योजना के अन्तर्गत भाखरा मेन लाईन की टेल से 700 क्यूसेक की सिद्धमुख फीडर निकालने की योजना है। इस सिद्धमुख फीडर का लेवल राजस्थान बोर्डर पर 580.00 का मिलेगा जिससे सिद्धमुख और रासलाना नहरें निकाली जाकर राजस्थान के नोहर भादरा एवं राजगढ़ तहसील के कुछ गांवों को सिंचित करने की योजना है। इस योजना से 90,000 एकड़ रकबा फ्लो द्वारा एवं 60,000 एकड़ रकबा लिफ्ट द्वारा सिंचित हो सकेगा। मुख्य 2 गांव जिनमें सिंचाई करने का प्रावधान रखा गया है नीचे लिखे हैं:—

सागड़ा, मीरोनी, बीबीपुर छेरा, भोजना, गागर डाबड़ो, रतपुरा, गढढा, जालापुरा, शिवदानपुरा, सरदारपुरा, अमरपुरा, अजीतपुरा, भांगवा, पचारवाली, परिथल, सत्रादा का वास, गदरा, डोली, चचाण, मामलवास, मोटासर, जोरावास, घोलपालिया, मनसरी कलाना डूंगरवास, हरीपुरा, रासलाना, जाटान, शिशनपुरा इत्यादि।

सिधमुख, घनौतो, तांवासौडी, नांगल, रामसरा, बसरा, चुवाकिया, डिहारला, भीमसाना, सादुपुरा, राजपुरा, दियावढ, बरवाली हासीयावास इत्यादि। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रतिलिपि संक्षिप्त रूप से संलग्न है।

(2) राजगढ तहसील के कुछ गांवों में पानी उपलब्ध हो सकेगा। मुख्य मुख्य गांव यह है:—

सिधमुख, राजपुरा, ताम्बो, खेडो, रामसरा, बसरा, चवाकिया, दियावढ, भीमसाना, सादपुरा, बरवाली, हासियावास, नांगल, धनौती इत्यादि।

(3) जिन गांवों का ऊपर वर्णन है उनमें जितना सम्भव था, लिफ्ट में क्षेत्रफल ले लिया गया है। विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य प्रोजेक्ट एस्टीमेट के स्वीकृत होने पर किया जा सकता है।

(4) यह प्रश्न राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व भारत सरकार के बीच विचाराधीन है। स्कीम की स्वीकृति और एस्टीमेट आदि पास होने पर ही कार्य किया जा सकता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहरसिंह : यह प्रश्न कब से विचाराधीन है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसकी रिपोर्ट सन् 62-63 में बनाई गई थी लेकिन पानी नहीं होने के कारण इसमें आगे की कार्य-वाही शुरू नहीं की जा सकी।

श्री मोहरसिंह : पानी कहां चला गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो भाखरा का हिस्सा था उसका पानी तो पहली नहरों में ही खत्म हो गया। अब जो राजस्थान नहर का निर्माण हो रहा है तो उसमें से पानी मिल सकेगा।

श्री मोहरसिंह : यह तो राजस्थान नहर के पानी से पहले की योजना है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : योजना पहले की थी लेकिन पानी नहीं होने से रुक गई। अब पानी मिलने की सम्भावना होने से योजना बनाई जा रही है। भाखरा का जो क्षेत्र है वहां पर अभी भी पानी पूरा नहीं मिल पाता। वहां पर ही पानी की कमी है।

श्री मोहरसिंह : आपने ही तो बताया है कि भाखरा से पानी दिया जाएगा और आप ही कह रहे हैं कि राजस्थान नहर से पानी दिया जाएगा। तो इन दोनों बातों में असंगति है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें कोई असंगति की बात नहीं है। यह तो समझ की बात है।

श्री मोहरसिंह : आप ही बता रहे हैं इसमें मेरी समझ में क्या फर्क है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस समय दो इर्रीगेशन स्कीम्स हैं। रोपड़ से निकलता है भाखरा और राजस्थान कैनाल निकलती है हरी की बैराज से। राजस्थान कैनाल का पानी ऊपर नहीं जा सकता इसलिए उसका पानी रोपड़ में नहीं पहुंच सकता, इसलिए भाखरा में पानी राजस्थान नहर का लेकर अपना भाखरा के पानी का हिस्सा रोपड़ से भाखरा फीडर के जरिये लेते हैं।

श्री मोहरसिंह : यह स्कीम तो दस साल पहले बनी थी तो इस पर अब तक कार्य शुरू क्यों नहीं किया गया ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें कहां पर कठिनाई है। किस जगह पर यह मामला अटका हुआ है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने पहले ही निवेदन किया है कि राजस्थान नहर बनने से पहले भाखरा नहर में पानी की बचत नहीं थी इसलिए यह सम्भव नहीं था।

श्री मोहरसिंह : यह बिल्कुल गलत है। जो आपको लिखित उत्तर दिया गया है वह सही नहीं है। आप इस पर पुनर्विचार करके बतावें कि क्यों इसमें देरी हुई है ?

(कोई उत्तर नहीं)

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु (करणपुर): इस नहर पर क्या खर्चा आएगा और रिटर्न क्या होगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस नहर पर कोई डेढ़ लाख एकड़ सिंचाई होगी और करीब तीन करोड़ के खर्चे का अनुमान है।

श्री अध्यक्ष : चुन्नीलाल इन्दलिया।

Page No 7

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ऋण

103.**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): की तरफ से श्री भीमसेन (लूणकरनसर) द्वारा पूछा गया : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य के अनुसूचित जाति के लोगों को ऋण देने के लिए क्या सरकार द्वारा फाइनेन्स कारपोरेशन प्रारम्भ करने का इरादा है ? अगर हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों को ऋण देने के लिए फाइनेन्स कारपोरेशन प्रारम्भ करने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अनुसूचित जाति के लोगों को ऋण देने की क्या व्यवस्था कर रखी है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, ऋण देने के लिए राजस्थान सरकार की यह व्यवस्था है कि एक तो अनुदान के द्वारा दिया जाता है सबसीडी के मार्फत और ऋण दिया जाता है वह इन्टरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में और नगर परिषद् के क्षेत्रों में और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इस प्रकार के ऋण राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): अब तक कितना ऋण दिया गया है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : यह अलग से प्रश्न है। माननीय सदस्य अलग से पूछेंगे तो इसका जवाब दे दूंगा।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : जो ऋण दिया गया है उससे क्या राज्य सरकार संतुष्ट है कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : यह भी अलग से प्रश्न है। माननीय सदस्य अलग से प्रश्न उठाते हैं तो उसका जवाब दिया जाएगा।

श्री रोशनलाल शर्मा : इसमें अलग से प्रश्न क्या है। जो अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए क्या इनको और ऋण देने के लिए राज्य सरकार नहीं सोच रही है ? आप कह सकते हैं कि हमने इतना ऋण दिया है इसलिए अब और ऋण देने के लिए नहीं सोच रहे हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं ने बताया है कि उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं यह मानता हूं कि उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। जितना ऋण दिया जाता है वह शायद अनुकूल नहीं है लेकिन फिर भी राज्य की वित्तीय स्थिति और साधनों को देखते हुए जितना हो सकता है, जितना पैसा उपलब्ध करना सम्भव हो सकता है, उतना देने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : राज्य की आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं है लेकिन जो दूसरे साधन हैं, बैंकों के द्वारा ऋण दिया जाता है और दूसरे कारपोरेशन्स वगैरा के द्वारा ऋण दिया जाता है उनसे अनुसूचित जाति

Page No 8

(श्री रोशनलाल शर्मा)
और जनजाति के लोगों को ऋण दिलाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : इसके अलावा ऋण देने वाले जो पारिश्रमिक नाजायज बीच में लेते हैं, इस सम्बन्ध में कोई घोटालों की सूचना आपके पास कभी आती है।

श्री ओंकारलाल चौहान : इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप कभी सुनी भी नहीं कि क्या गड़बड है।

श्री रोशनलाल शर्मा : बैंक और दूसरी संस्थाओं से ऋण दिलाने के बारे में राज्य सरकार कुछ विचार कर रही है या नहीं ?

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, भवन निर्माण के लिए सहकारी भवन निर्माण फाइनेंसिग सोसायटी के माध्यम से ऋण दिया जा रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन्स के माध्यम से भवन निर्माण के लिए ऋण देने की व्यवस्था है ताकि वहां से ऋण लेकर वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती भगवती देवी ।

अराँई में बिजली

105. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले की अरांई पंचायत समिति हैडक्वार्टर अरांई का अभी तक विद्युतिकरण नहीं किया गया है ? इसका विद्युतिकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

(2) क्या इसी वर्ष यहां बिजली पहुँचा दी जावेगी ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां। अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(2) निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्रीमती भगवती देवी : कब तक के लिए नहीं कहा जा सकता ?

श्री हरिदेव जोशी : इस साल का कार्यक्रम बनाते समय ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम ।

सहायक निदेशक के पद का सृजन

106. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नियोजन सेवा निदेशालय में सहायक निदेशक के पद का कब और क्यों सृजन हुआ ?

(2) सहायक निदेशक के पद पर अब तक कौन कौन अधिकारी, किसने कितने समय तक, पदासीन रहे ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सत्य है कि राज्य में नियोजन कार्यालयों के कार्य का निरीक्षण भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप

Page No 9

(श्री नाथूराम)
जिला नियोजन अधिकारी मनमानी करते हैं ? यदि नहीं, तो विगत पांच वर्षों में नियोजन सेवा विभाग के किस किस अधिकारी द्वारा कब कब जिला नियोजन कार्यालयों के कार्य का निरीक्षण किया गया ? सूची सदन को मेज पर रखने का कष्ट करें। निरीक्षण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों की एक प्रति भी प्रदान करें।

श्रम मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) सहायक निदेशक के पद का सृजन निदेशक को प्रभारी कार्य में सहायता हेतु तथा विशेषतया कार्यालयों के निरीक्षण हेतु दिनांक 12-5-60 से हुआ। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या यह सही है कि जिस परपज के लिये यह पद सृजित किया गया वह जस्टीफाइड नहीं हो सका ? जिस परपज के लिए इस पद का सृजन किया गया, आंकड़ों के अनुसार क्या यह पद जस्टीफाइड है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, जिस कार्य के लिए यह असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट क्रियेट हुई उसके बारे में इस प्रकार का निवेदन करना चाहता हूं कि पहले तो श्री सी. एम. अग्रवाल थे जो दिनांक 7-4-68 से इस पद पर रहे और उनको हाई ब्लड प्रेशर हो गया जिससे वे पूरा कार्य नहीं कर सके। इसी प्रकार श्री शंकरसिंह इस पद पर आए उनको भी रक्त चाप की बीमारी रही....

श्री रघुनाथ विश्नोई : ठीक कौन रहे ?

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं पूरा तो कर लूं। तो ऐसी स्थिति में जो भी निदेशक इस पद पर नियुक्त हुए वे अधिकतर बीमार रहे, अस्वस्थ रहे और उनमें से एक असिस्टेंट डायरेक्टर तो बीच में ही चल बसे, दुर्भाग्यवश। ऐसी स्थिति में मैं यह मानता हूं कि अवश्य कार्य कम हुआ है। माननीय सदस्य भी ऐसी स्थिति में समझेंगे कि अधिक कार्य होने की संभावना या गुंजाइश नहीं हो सकती।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि भारत सरकार का नियम है कि डायरेक्टर को साल भर में सात बार निरीक्षण करना चाहिए और निरीक्षण अधिकारी का क्या कार्य है और उसे साल भर में क्या कार्य करना चाहिए। लेकिन पांच वर्ष के भीतर मैं आपको बताऊं कि 31 बार उन्हें टूर करना चाहिए लेकिन जो असिस्टेंट डायरेक्टर निरीक्षण थे उन्होंने पांच बार टूर किया और उसमें भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। सिर्फ टी. ए., डी. ए. लिया है। इसी तरह से पांच साल में 26 बार रिपोर्ट करना चाहिए उसकी जगह छः बार रिपोर्ट दर्ज की है और फिर 71 के लास्ट में जो टूर किया उसमें 28 बार। एक तरफ बेरोजगारों के नाम लिखते जा रहे हैं। मैं इसकी आपको संख्या बताऊं कुल एक लाख 73 हजार 652 रिक्त स्थान हैं। 25706, इस प्रकार 10 परसेन्ट लोगों की भर्ती की गई और 90% लोग नहीं लग पाये। जब आपने

Page No 10

(श्री नाथूराम)
पोस्ट रखी है तो इनका निरीक्षण होना चाहिये। इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला है अध्यक्ष महोदय।

श्री औंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, निदेशक ने जो टूर किए हैं उसकी सूची मौजूद है। माननीय सदस्य कृपा करके इसको ध्यानपूर्वक देखने का कष्ट करें तो उन्हें लगेगा कि उत्तर सन्तोषजनक है। 67-68 से लेकर 71-72 तक 40 बार टूर किये गये हैं। सहायक निदेशक के सम्बन्ध में जो अपनी नियुक्ति काल में बीमारी के कारण ड्यूटी का अन्जाम नहीं दे सके, उनके टूर की संख्या 8 है। माननीय सदस्यों की चिन्ता का जो कारण है इसका भविष्य में ध्यान रखा जायेगा और इस सम्बन्ध में अधिक सच्चाई और ताकीदी से काम किया जायेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : यह जो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट है वह क्यों नहीं प्रस्तुत हुई है? सिर्फ टी. ए., डी. ए. ही चार्ज किया गया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है उससे स्पष्ट है कि इस पोस्ट की जरूरत नहीं है। जो आर. ए. एस. बीमार हों उनके लिए सरकार की ओर से एक अलग कॉलोनी बना दी जाये और उसमें ही उनको रखा जाये यह मेरा आपसे निवेदन है। इस पर सरकार गम्भीरता से विचार करें और इस पोस्ट को समाप्त कर दिया जाये।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर भली प्रकार से नहीं आ रहा है। जब एक्सचेन्ज की संख्या बढ़ गई तो इनकी संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिये थी। दूसरे अधिकारी क्यों नहीं रखे गये?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मंत्री महोदय, अब जो पदाधिकारी हैं उनको आपने एग्जामिन करवा कर भेजा है कि वे स्वस्थ हैं या नहीं।

श्री औंकारलाल चौहान : वे स्वस्थ हैं और उनका कार्य अच्छा रहेगा ऐसी आशा की जाती है।

श्री नाथूराम : मेरे पहले प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है। भारत सरकार का आदेश है कि अधिकारियों की संख्या बढ़ा सकते हैं और वह नहीं बढ़ाई गई है। एक्सचेन्ज की संख्या 26 हो गई है तो अधिकारियों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई गई?

श्री औंकारलाल : अध्यक्ष महोदय, संख्या बढ़ाने के मामले में राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रख कर चलना पड़ता है।

श्री नाथूराम : सब जिलों से मनमानी चल रही है। निरीक्षण बराबर होता तो इतने लोग बेकार नहीं होते। यह विभाग की पोल है। विभाग की तरफ से व्यवस्था होती तो हमारे 90% लोग बेकार नहीं रहते। बल्कि कई तो ऐसे हैं कि उन्होंने अपना नाम नहीं लिखाया है। इनको मिलाकर यह संख्या 5 लाख के आस पास होती है।

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल बरवड़।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय ये एक्सचेन्ज नाम दर्ज कराने का पैसा लेते

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला है। इसलिये यह प्रश्न स्थगित किया जाये।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य को पूरा जवाब मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो दिया है किन्तु आपको वह सन्तोषजनक नहीं लगा है।

एक माननीय सदस्य : यह तो गोलमाल जवाब है।

श्री नाथूराम : हर जगह मनमानी चल रही है।

श्री ओंकारलाल चौहान : मनमानी का कोई सवाल नहीं है।

श्री नाथूराम : यह मनमानी ही है। रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। अगर कोई रिपोर्ट दी है और दूर किया है तो वह इस सदन को बतायें।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय सदस्य, आप मेरी बात सुन लीजिये। आपने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि इस तरह की विभाग में पोल है। मैं इस बारे में देखूंगा और कोशिश करूंगा कि इस प्रकार की जो कमी है उसमें किस प्रकार गति लाई जा सकती है और किस प्रकार से उसको ठीक किया जा सकता है और अधिक से अधिक गति लाने का प्रयास किया जायेगा।

श्री नाथूराम : आपको इस कमी को स्वीकार कराना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस समस्या के निराकरण के लिये आपके क्या सुझाव हैं।

श्री नाथूराम : गवर्नमेंट के आदेश हैं आपको इस कमी को स्वीकार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल बरवड़।

परबतसर तहसील में सिंचाई कार्य

107. **श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर)**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि तहसील परबतसर के अन्तर्गत बांधों से सिंचाई होती है ? यदि हां, तो किन किन बांधों से कितनी भूमि कि सिंचाई होती है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति परबतसर क्षेत्र के गांवों में और नये बांध बनाने की राज्य सरकार ने योजना बनाई है ? अगर हां, तो किन किन गांवों में तथा इससे कितनी भूमि की सिंचाई होगी और योजना पर कितना व्यय होगा ?

(3) क्या यह सही है कि गत वर्ष अतिवृष्टि से कई एक बांधों को नुकसान हुआ था, और कई बांध टूट गये थे ? यदि हां, इनका पुनःनिर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी हां, सूची 'अ' संलग्न है।

(श्री रामचन्द्र चोधरी)

(2) जी हां, सूची 'ब' संलग्न है।

(3) जी हां, इस क्षेत्र में कोई बांध नहीं टूटा केवल मंगलाना बांध के कुछ हिस्से को, मकरी बांध व पोरजी का नाका के बांध व नहरों के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा इसकी मरम्मत का कार्य हाथ में ले लिया गया है और बरसात के पूर्व पूरा होने की उम्मीद है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री जेठमल बरवड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष तौर से यह पूछना चाहता हूं कि मकरी के बांध में दरारें पड़ गई हैं और बरसात ज्यादा हो गई तो वह टूट जायेगा गांव के लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। इस बांध में दरार और गड्ढे हैं और ज्यादा बरसात से यह टूट जायेगा। अगर यह टूट गया तो इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

श्री रामचन्द्र चोधरी : इस काम को हाथ में ले लिया गया है और इस वर्षा के पूर्व पूरा कर लिया जायेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : इनके टूटने के क्या कारण हैं?

प्रश्न संख्या 108

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये।)

श्री निरंजन नाथ आचार्य।

ट्रकों के चेसिस की खरीद

199. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 68 से फरवरी, 1971 तक सिंचाई विभाग ने बेडफोर्ड, डोज और फार्गो ट्रक्स की चेसिस खरीदी? यदि हां, तो कब कितने कितने और इस पर क्या व्यय हुआ?

(2) जिनसे ये चेसिस खरीदे गये उनके एजेन्टों और उप-एजेन्टों की फर्मों के मालिक कौन कौन हैं और उनको क्या क्या कमीशन मिला?

(3) ये चेसिस कब काम में लिये गये और इनका रजिस्ट्रेशन कब हुआ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चोधरी) : (1) जी हां, सूची 'अ' संलग्न है।

(2) इसका इस विभाग को ज्ञान नहीं है।

(3) सूची 'अ' में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : प्रश्न के भाग दो पर कहा गया इस विभाग को ज्ञान नहीं है। मैं समझता हूं कि क्या आधार आपको दिये गये कि आपको ज्ञान हो सके इस प्रश्न पर?

श्री अध्यक्ष : भगवान से प्रार्थना और कुछ नहीं।

Page No 13

एक माननीय सदस्य : रघुपति राघव राजाराम.....

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह जो ज्यादातर खरीदी गई है वह सूची में बतला दी गई है कि कहां से खरीदी गई है। भारत सरकार के डी. जी. एस. डी. एक रेट तय करते हैं साल दो साल के लिये और उन रेट्स के बेसिस पर सब जगह हर स्टेट के डिपार्टमेन्ट सीधे ही इन फर्मों से माल खरीदते हैं। इसी तरह से यह खरीदा गया है, जिन फर्मों से खरीदा गया है उनके नाम सूची में अंकित हैं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : क्या इसकी एजेन्सी अजमेर और भीलवाड़ा में है और भीलवाड़ा की सब एजेन्सी और अजमेर की ऐजेन्सी से इसकी कोई खरीद की गई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो खरीद हुई है वह सब इसमें दी गई है। भीलवाड़ा में कौन सी खरीद हुई है बता दीजिये।

श्री निरञ्जन नाथ आचार्य : भीलवाड़ा की सब एजेन्सी से कोई खरीद नहीं हुई है यह मैं मानकर चलूं या फिर यह सूची मुझे दे दीजिये मैं जवाब दे दूंगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपके पास सूची है वह साफ है।

श्री निरञ्जन नाथ आचार्य : दूसरा सवाल है। अजमेर की एजेन्सी और भीलवाड़ा की एजेन्सी से कोई खरीद की गई है या नहीं डोज और फारगो के लिये।

श्री अध्यक्ष : आपको जानकारी हो तो बता दीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मैं यह मानकर चलूं कि जानकारी अब प्राप्त कर ली जायेगी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आप हमें बता दीजिये आपको क्या जानकारी चाहिये उसके मुताबिक आपको जानकारी दे दूंगा।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अजमेर और भीलवाड़ा की एजेन्सियों में काम करने वाले कौन हैं ? भीलवाड़ा की एजेन्सी में काम करने वाले कौन हैं और उनके द्वारा इस व्हीकल्स में से कोई खरीद हुई है और साथ ही यह चेसिस और इन पर बोडी बना दी गई है तो वह कितनी कीमत की है, टोटल एक्सपेन्डीचर कितना है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसका भी सब ब्यौरा लिस्ट में मौजूद है और जो बातें आपने पूछी हैं उसके ऊपर मैं आपको जवाब डिपार्टमेंट से मंगाकर दे दूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : चेसिस का मैं कह रहा हूं कि स्केलेटन पर बोडी आप और हमारी जैसी बनी है वह बोडी बनाई गई और बोडी बनाने के बाद उसका उपयोग आरम्भ हुआ है या चेसिस को ही आप उपयोग में आरम्भ होना मानें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : बोडी बनने के बाद ही उपयोग हो सकता है उसके पहले कैसे हो सकता है ?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : यही तो मैं जानना चाहता हूं कि बॉडी बनाई गई है तहकीक हैं ना आप ?

Page No 14

श्री रामचन्द्र चौधरी : बॉडी बनाई गई है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मेवाड़ मोटर्स उदयपुर यह कौन हैं ? एजेन्सी लेने वाले हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : सूची दे दी गई है उसमें देख लें।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : आपने सूची में लिखा है मेवाड़ मोटर्स। दूकान तो है ना जिसमें कोई आदमी रहता है तो वह कौन है जिनसे खरीद की जा सकती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें खरीदे गये हैं आटोमोवाइल बोम्बे से फारगो 44...

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप बाम्बे चले गये हैं मैं उदयपुर ले रहा हूँ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : सारे बतला देता हूं जितनी खरीद हुई है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : आइटम नम्बर 21।

श्री रामचन्द्र चौधरी : दिल्ली से 1, हिन्द मोटर्स कलकत्ता 12, कमल एण्ड कम्पनी 6।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, माननीय मन्त्री महोदय। आप आइटम नं. 19 आफ दी आइटम लिस्ट है उसमें मेवाड़ मोटर्स, उदयपुर लिखा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें हिन्द मोटर्स कलकत्ता है,

श्री निरंजन नाथ आचार्य : यह 240 मील दूर उदयपुर है। इसके आगे बढ़ा जाय। पूरक प्रश्न बहुत बाकी हैं। मेरे ख्याल से मन्त्री महोदय इसके लिए तैयार नहीं हैं तो इसको स्थगित कर दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : क्या गारन्टी है कि उस दिन उत्तर मिल जायगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपने जो पूछा है उसका जवाब लेकर दे दूंगा।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : लिख कर कहां दे देंगे। कई प्रश्न पैदा होते हैं। एक जवाब दे दें तो दूसरा पूरक प्रश्न पैदा होता है इसलिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : अगली टर्न के लिए स्थगित किया गया।

श्रीमती मदन कौर।

पचपदरा एवं बाड़मेर में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

110. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा): विकास मन्त्री यह बताने की क्या कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति क्षेत्र पचपदरा एवं बाड़मेर में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत कितने एवं कौन से कार्य स्वीकृत किये गये ?

(2) इन कार्यों पर कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है ? गांववार संख्या, सूची सदन की मेज पर रखें।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) पचपदरा पंचायत समिति क्षेत्र में दांखा-सिणली रोड तथा बाड़मेर पंचायत समिति क्षेत्र में रामसर-गिराबरोड का कार्य स्वीकृत किया गया है।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

(2) इन कार्यों पर काम करने वाले मजदूरों की ग्रामवार सूचना सदन को मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्रीमती मदन कौर : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि दांखा-सिणली रोड की स्वीकृति कब हुई थी ?

श्री ओंकारलाल चौहान : दांखा-सिणली रोड की स्वीकृति 30-10-71 को जारी की गई थी।

श्रीमती मदन कौर : यहां पर 15-9-71 से एक आदमी काम कर रहा है।

श्री ओंकारलाल चौहान : स्वीकृति से पहले ही कार्य शुरू किया था। इस तरह से तीन आदमी वहां पर लगे हुए हैं। आपके पास में सूची है।

श्रीमती मदनकौर : क्या पचपदरा पंचायत समिति ने इस सड़क को क्रेश प्रोग्राम में लिया है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : इस समय इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्रीमती मदन कौर : क्रेश प्रोग्राम में जो काम करने थे गत वर्ष वह नहीं लिये गये। उनसे लोगों को रोजगार मिलना था वह नहीं मिला और पैसा लेप्स हो गया। यह मैं राज्य सरकार से पूछना चाहती हूँ।

श्री ओंकार लाल चौहान : जो काम उस योजना में बनाये गये थे उनकी सूचना मैंने सदन की मेज पर रख दी है। बाकी जो काम नहीं हुए उसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्रीमती मदन कौर : क्या मैं यह मानकर चलूं कि जो पैसा पंचायत समिति बालोतरा में खर्च किये जाते गत वर्ष में वे लेप्स हो गये या आने वाले वर्ष में काम में लिये जा सकेंगे ?

श्री ओंकारलाल चौहान : इस प्रकार का शायद प्रोग्राम में प्रावधान है।

प्रश्न संख्या 111

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बृजेन्द्रपाल सिंह।

ग्राम परीता में औषधालय

श्री बृजेन्द्रपालसिंह (करौली) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, परीता (पंचायत समिति करौली) में एक आयुर्वेद औषधालय स्थापित करने की राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की थी ? यदि हां, तो यह स्वीकृति कब प्रदान की गई ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जी नहीं।

श्री बृजेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सही है कि इसके लिए लिख दिया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य ने मुझ से जो पूछा है उसका उत्तर मैंने 'जी नहीं' में दिया है। आपने पूछा था कि इस गांव की स्वीकृति हुई है तो मैंने कहा कि जी नहीं।

श्री बृजेन्द्रपाल सिंह : ऐसी स्वीकृति किसके लिये हुई है ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी जानकारी में नहीं है। दूसरे की हुई है तो वहां का पूछ लें मैं बतला दूंगा आपको।

प्रश्न संख्या 113

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 114

श्री लक्ष्मीनारायण।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मालाराम।

कोटपूतली–डाबला सड़क

115. श्री **मालाराम** (नीम का थाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटपूतली-डाबला सड़क कितनी पुरानी है ? क्या यह सड़क निर्माण विभाग से स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो कब तथा इसके अब तक न बनने का क्या कारण है ? अब यह कब तक बनेगी ?

(2) क्या यह सही है कि इसके लिए स्वीकृत धनराशि दूसरी सड़कों में लगाई गई है ? यदि हां, तो कब कब किस किस में और क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री **हरिदेव जोशी**) : (1) सड़क निर्माण की स्वीकृति 2 फरवरी 1965 को दी गई। भूमि उप-लब्ध नहीं होने के कारण कार्य सम्भव नहीं हुआ है। अर्थाभाव तथा भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(2) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या भूमि के एक्विजीशन के लिए कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हरिदेव जोशी : धारा 4 और 6 के नोटिसेज इश्यू कर दिये गये हैं।

श्री सुरेशचन्द्र : जो भूमि अवाप्त हो गई है वहां पर काम हो रहा है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री सुरेशचन्द्र : उनको वर्क आर्डर दिया गया गया है लेकिन मेटेरियल सप्लाई नहीं किया जा रहा है इसलिए काम बन्द पड़ा है।

श्री हरिदेव जोशी : जो प्रोग्राम है उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री **सुरेशचन्द्र** : क्या यह सही है कि जितना काम अब तक पूरा हो जाना चाहिए था वह पूरा नहीं हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी : जितना काम शुरू किया जाना चाहिए था वह किया गया है। उसमें थोड़ी सी लैण्ड इरिगेटेड आ जाती है वह एक्वायर नहीं हो सकी। अगर उनका आपस में समझौता हो जाता है तो काम स्पीडिली चल सकता है। अगर जमीन नहीं देते हैं और समझौता नहीं होता है वह नहीं

(श्री हरिदेव जोशी)
हो सकेगा। तीन सेक्टर में काम चल रहा है और एक पर काम नहीं चल रहा है।

श्री सुरेशचन्द्र : बहुत सारी सडक तो पहले से ही बनी हुई थी। कुछ पोर्शन एक्वायर करना बाकी था। उस सड़क को मरम्मत करके बनाना है। वह एक मील या दो मील का हिस्सा है। बाकी का काम कैसे पड़ा है?

श्री हरिदेव जोशी : पैसे के अभाव में।

श्री सुरेशचन्द्र : अभी तो आपने जमीन का कहा है।

श्री हरिदेव जोशी : जमीन और अर्था-भाव दोनों का कहा है।

श्री सुरेशचन्द्र : जो पैसा सेंक्शन हो गया वह काम में आ रहा है?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री सुरेशचन्द्र : वह पैसा काम में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : तीन सदस्य एक साथ बोल रहे हैं।

श्री मालाराम : यह सड़क तीनों के काम में आती है। कोटपुतली क्षेत्र में भी वह काम में आती है।

श्री अध्यक्ष : काम में तो सैंकड़ों आदमियों के आती है। लेकिन एक दफे में एक ही सदस्य को बोलना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जो पोरशन एक्वायर नहीं हुआ है उसको छोड़कर बाकी के लिए कार्यवाही करने की कोशिश की जा रही है।

श्री सुरेशचन्द्र : एक्वायर कब तक हो जायेगी?

श्री हरिदेव जोशी : यह मेरे हाथ में नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : यह रुपया जो खर्च हो रहा है तो उसमें से कितना खर्च हुआ?

श्री हरिदेव जोशी : तीन सेक्टर में, अध्यक्ष महोदय, काम शुरू किया गया है और दो सेक्टर के ऊपर जमीन एक्वायर नहीं होने के कारण से वह बन्द कर दिया गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : यह दफा 4 का नोटिस कब जारी किया गया है?

श्री हरिदेव जोशी : वह मेरे पास अभी नहीं है डेट। 4 के बाद 6 का नोटिस जारी किया गया है तो इसका मतलब यह है कि काफी पहले हो गया है।

श्री गुमानमल लोढा : जब कि एक्वी-जिशन की सारी कार्यवाही में 2–3 माह लगते हैं तो ये काफी अर्से से पेंडिग हैं और लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट में यह प्रावधान है। इमर्जेन्सी की धारा 17 के मातहत वह कार्य शुरू कर सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : धारा 4 और 6 के नोटिसेज दे दिये गये हैं और प्रोसीडिंग्स चालू है?

श्री सुरेशचन्द्र : लैण्ड एक्वीजिशन के बहाने काम बन्द नहीं होना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया है कि जो फण्ड एलॉकेट हुए हैं तो हम देखेंगे कि वह खर्च हो।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

भारत पाक युद्ध और सैनिकों को सुविधाएं

116. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) हाल ही में भारत-पाक युद्ध में राजस्थान के कितने सैनिक, अर्ध सैनिक, सीमा सुरक्षा दल, राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, एवं अन्य नागरिक मारे गये एवं अपाहिज हो गये? इनके मरने व अपाहिज होने की सूचना राज्य सरकार को कब कब प्राप्त हुई? इनको और इनके परिवार के लोगों को कब कब कितनी कितनी नकद सहायता दी गई?

(2) क्या ऐसे परिवारों को कृषि भूमि या मकान बनाने के लिये भूमि आवण्टित की गई है? यदि हां, तो किन किन को, कितनी कितनी और कब कब? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): अध्यक्ष महोदय, अभी सारे जिलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुझे आश्चर्य होता है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अभी किसी को भूमि अलॉट नहीं की है। आज से 15-20 दिन पहले जिलों से सूचना मंगवाई जा सकती थी। ये टालना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, सोमवार को उत्तर मिल जाये।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): सूचना के अनुसार अध्यक्ष महोदय, अगर नाम नहीं हैं तो जिन्होंने वीरगति प्राप्त की है, उनके संबन्ध में जो नीतियों की घोषणा की गई है, उनको कितना शीघ्र क्रियान्वित करने का इरादा है?

श्री अध्यक्ष : अगले टाइम में दे दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें थोड़ा टाइम लगेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): जिन्होंने वीरगति प्राप्त की है, उनकी सूची राज्य में मौजूद है। जो केन्द्र से लिस्ट प्राप्त हुई है वही सूची दे दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वीरगति वालों की पहले दे दें, बाद में जो जो जिन्दा हैं, वह सूची दे दें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचरण।

पंचायत समितियों को गृह निर्माण के लिये ऋण एवं अनुदान

117. **श्री रामचरन** (अटरू): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कोटा, बूंदी तथा झालावाड़ जिले की किन किन पंचायत समितियों को 70-71 व 71-72 में गृह निर्माण अनुदान गृह निर्माण के लिए ऋण दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री रामचरन)

(2) क्या इसका वितरण प्रार्थियों को हो चुका है? यदि हां, तो किन किन तारीखों को?

सहकारिता मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान): कोटा, बून्दी, तथा झालावाड़ की जिन जिन पंचायत समितियों को वर्ष 1970-71 व 1971-72 में समाज कल्याण विभाग द्वारा गृह निर्माण हेतु अनुदान दिया गया, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इस में किसी भी पंचायत समिति को गृह निर्माण के लिये ऋण नहीं दिया गया?

(2) इन वर्षों में दी गई राशि के वितरण का व्योरा उपरोक्त वर्णित सूची में अंकित कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री रामचरन: अध्यक्ष महोदय, जो सूची रखी गई है, वह बिल्कुल गलत है। 70-71 में कुल 14 व्यक्तियों को ऋण दिया गया है।

श्री ओंकारलाल चौहान: अटरू में दिया गया है। एक कोटा का है और 13 शिड्यूलकास्ट हैं। कुल 28 व्यक्तियों को दिया गया है।

श्री रामचरन: 14 व्यक्तियों को दिया गया है। उसी में मेहतर लोगों को भी दिया गया है।

प्रश्न स. 118

श्री अध्यक्ष: श्रीमती नगेन्द्र बाला।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामचरन: अध्यक्ष महोदय, यह तो हरिजनों पर कुठाराघात हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: श्री गौरीशंकर।

खानपुर अकलेरा सड़क की मरम्मत का कार्य

119. **श्री गौरीशंकर** (खानपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

क्या यह सही है कि खानपुर-अकलेरा सड़क बहुत खराब हालत में है और व्यापारिक ग्राम सरोटा तक आने में बड़ी कठिनाई होती है? यदि हां, तो इस सड़क की मरम्मत कर डामर कब तक बिछाई जावेगी?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी): सड़क की दशा अधिक अच्छी नहीं है। उपलब्ध साधनों से साधारण मरम्मत करवा दी गई है। वैसे ग्राम सरोटा आने जाने में कठिनाई नहीं है। डामर का कार्य फण्ड्स उपलब्ध होने पर हो सकेगा।

श्री गौरीशंकर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, वहां पर कभी आप पधार कर देखें। उस सड़क पर आदमी तो क्या जानवर भी नहीं चल सकता है। दस साल पहले सड़क बनी थी। आज तक डामर नहीं हुआ है। बरसात आ जायेगी तो रास्ते बन्द हो जायेंगे। मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि इस पर ध्यान दीजिये। इस साल झालावाड़ जिले की अवस्था खासतौर से मैं अर्ज करूं कि वहां के लोग ऐसी दशा में हो जायेंगे कि उनको खाने पीने की चीजें मिलेंगी नहीं।

Page No 20

श्री हरिदेव जोशी : इसके लिए जो भी हो सकेगा, वह मेण्टेनेंस करवा देंगे।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि रास्ता बन्द होने से लोगों को काफी अड़चनें आती हैं? वहां पुल कब बनेगा?

श्री हरिदेव जोशी : निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोरधनसिंह।

सरकने व खेजड़ियों की अवैध कटाई

120. **श्री गोरधनसिंह** (सीकर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खदाया, ग्राम पंचायत लोढसर, पंचायत समिति सुजानगढ़, जिला चूरू, के चारागाह (ताल) की भूमि जो कि लगभग 200 बीघा है और यह पंचायत के अधीन है?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1971 में इस ताल में करीब 200/– रु. के मूल्य के सरकने (पानी के पुले) व करीब 100 रु. के मूल्य की खेजड़ियों की लोंग थी?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत द्वारा नीलाम किये जाने से पूर्व ही ग्राम खदाया के वार्ड पंच व अन्य व्यक्ति मिलकर सरकने व खेजड़ियों की लूंग काट कर ले गये?

(4) क्या यह सही है कि इस आशय की शिकायत ग्राम पंचायत लोढ़सर, पंचायत समिति सुजानगढ़, में की गई तथा पचायत द्वारा रिपोर्ट कार्यवाही हेतु थाना भींवसर में भेजी गई लेकिन वर्तमान थानेदार श्री गन्नी खां ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की व रिपोर्ट को वापिस लौटा दी?

(5) क्या सरकार इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही करना आवश्यक समझती है जब कि पंचायत की सम्पत्ति को बिना नीलामी के काट कर ले जाना चोरी का अपराध है? अगर नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान): (1) चारागाह (ताल) की भूमि, जो 128 बीघा 1 बिस्वा है ग्राम पंचायत क्षेत्र में है, पंचायत के अधीन नहीं है।

(2) सरकने व लोंग कितनी लागत के थे ऐसी कोई सूचना पंचायत के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पंचायत को आज तक इनसे कोई खास आय नहीं हुई।

(3) ग्राम पंचायत के द्वारा नीलामी किये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। वार्ड पंच व अन्य व्यक्तियों द्वारा मिलकर सरकने काट कर ले जाने की शिकायत ग्राम पंचायत को प्राप्त हुई थी।

(4) शिकायत ग्राम पंचायत को की गई थी जिसकी प्रतिलिपि पचायत समिति को भी भेजी गई थी। शिकायत प्राप्त होने पर थाना पुलिस भींवसर को उचित कार्यवाही हेतु पंचायत द्वारा लिखा गया जो पत्र मूल में ही कुछ सूचना चाहते हुये वापिस थानेदार ने लौटा दिया।

(5) जिलाधीश को लिखा गया है कि मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति से अवगत करायें।

श्री गोरधनसिंह : जांच कब तक हो जायेगी ?

श्री ओंकार लाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, 28–4–72 को लिखा गया है।

एक माननीय सदस्य : 28–4–72 तो कल ही थी।

श्री गोरधनसिंह : रिपोर्ट की गई है। इतना टाइम हो गया है। बार–बार लोग काटते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : यही तो मजा है।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बैरवा।

ग्राम खटकड़ में मेज नदी पर बांध

121. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है जिला बून्दी की तहसील केशोरायपाटन में ग्राम खटकड़ में मेज नदी पर बांध बनाकर सवाई माधोपुर तक नहर का सर्वे किया गया है ? यदि हां, तो कब ? इस पर कितनी धनराशि व्यय की जाने की राज्य सरकार की योजना है ? योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : जी नहीं। किन्तु बून्दी ब्रांच को आगे बढ़ाने की योजना बनाई गई है।

श्री **नन्दलाल बैरवा** उसको जो पाटन, गैण्डोली, लाखेरी, सवाई माधोपुर पहुँचाने की रिपोर्ट है वह आज 10 साल से शुरू की गई थी।

श्री **रामचन्द्र चौधरी** : उसका सर्वे 62 में शुरू किया गया था।

श्री **नन्दलाल बैरवा** : कितनी लागत आती है ?

श्री **रामचन्द्र चौधरी** : 2 करोड़ 70 लाख का एस्टीमेट था।

श्री **नन्दलाल बैरवा** : अगर यह नहर वहां होकर निकलती है तो कम से कम जो मन्त्री महोदय ने बताया है, क्या कारण है, राज्य सरकार इस योजना की समस्या को हल करने का प्रयत्न करेगी क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अर्थाभाव के कारण यह स्कीम हाथ में नहीं ली जा सकी है।

श्री अध्यक्ष : श्री विश्वम्भर दयाल बोहरा।

ग्राम बनावड़ की घाटी का सर्वे

122 **श्री विश्वम्भर दयाल बोहरा** (महुवा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि महुवा तहसील के ग्राम बनावड़ की घाटी का सर्वे काफी पहले हो चुका है और यह कार्य अधूरा पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो इसकी ओर आज तक ध्यान क्यों नहीं दिया गया ?

(श्री विश्वम्भरदयाल बोहरा)

(2) क्या यह सही है कि अगर यह कार्य पूरा हो जाता है तो इस क्षेत्र की जनता का सम्बन्ध लक्ष्मणगढ़ जैसी बड़ी तहसील के साथ अन्य कस्बों से भी हो जाता ? यदि हां, तो सरकार इसको कब तक पूरा करने का इरादा रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) सर्वे की जानकारी इस विभाग को नहीं है। यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं हुआ है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

श्री विश्वम्भर दयाल बोहरा : पिछले 20 वर्षों से बार बार आश्वासन देते आये हैं। उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। वहां के लोग वहां जाने पर बार बार शर्मिन्दा करते हैं। अगर इस कार्य को पूरा कर किया जावे तो क्या हर्ज है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल जी।

बांधुआ के पास बांध बनाने की योजना

123. **श्री उम्मेदीलाल** (हिन्डौन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) करौली-हिण्डौन के मध्य बांधुआ के पास जो बांध बनाये जाने की योजना है, क्या सरकार उसका ठेका दे चुकी है ? यदि हां, तो कब और किसको ? तथा इसके पानी का उपयोग किस क्षेत्र में होगा ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : जी हां, बांध के कुछ हिस्से का ठेका माह फरवरी में श्री भोलाराम ठेकेदार को दिया गया है। बाकी के काम के ठेके के टेण्डर अभी विचाराधीन हैं। इस बांध से कोटरा, गवांरा, खण्डुपुरा, अगरी इत्यादि गांवों की सिंचित हो सकेगी।

श्री उम्मेदीलाल : अध्यक्ष महोदय, यह कब तक हो जायेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस साल इस योजना पर 50 हजार का व्यय किया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : इसमें टेण्डर के बारे में भी पूछा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन कर दिया है। भोलाराम को ठेका दिया जा चुका है और टेन्डर विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जोथिंग।

पंचायत समितियों के विकास अधिकारी

124. **श्री जोथिंग** (कुशलगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा की पंचायत समितियों के कितने विकास अधिकारी ऐसे हैं जो कि उसी जिले के रहने वाले हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उसी जिले का रहने वाला व्यक्ति उसी जिले में विकास अधिकारी के पद पर नहीं रह सकता है ?

Page No 23

पंचायत मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान):

(1) तीन विकास अधिकारी बांसवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

श्री जोथिंग : यहां पर इन पंचायत समिति के विकास अधिकारियों की पोस्ट रुकी रहेगी ?

श्री ओंकारलाल चौहान : जी नहीं।

श्री जोथिंग : इन विकास अधिकारियों को प्रमोशन देकर नियुक्त किया है ?

श्री ओंकार लाल चौहान : यह प्रश्न अलग से है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विट्ठल (पीपलखूंट) : अध्यक्ष महोदय, विकास अधिकारी ...

श्री अध्यक्ष : दूसरा सवाल ले लिया गया है।

बिसलपुर सिंचाई योजना

125. **श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा-महल, जयपुर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बिसलपुर इरिगेशन प्रोजेक्ट पर चौथी पंचवर्षीय योजना के किस किस वर्ष में कितना–कितना रुपया किस–किस कार्य में खर्च हुआ ?

(2) पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में इस प्रोजेक्ट पर कितना कितना रुपया किस किस वर्ष में खर्च होगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) :

(1) योजना के सर्वेक्षण व अनुसंधान कार्यों पर हुए व्यय की वर्षवार सूची संलग्न है।

(2) अभी यह योजना स्वीकृत नहीं हुई। योजना की स्वीकृति के बाद ही इस विषय में कुछ कहना सम्भव हो सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिए)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या दिसम्बर 1971 तक अस्सी फीट डेम बनाने का काम प्रारम्भ करने का आश्वासन इस सदन में दिया गया था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसका सर्वे कार्य तीन साल में हुआ है और अभी अर्थाभाव के कारण इसको हाथ में नहीं लिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा सर्वे कार्य से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है। मेरा सीधा सा प्रश्न है, सर्वे कार्य पर 44, 434.34 खर्च हो गये जब कि एक भी पत्थर डेम के कार्य को चालू करने के लिए नहीं लगाया गया है। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि अस्सी फीट डेम बनाने का आश्वासन इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री ने दिया था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : जानकारी नहीं है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह मुझे जानकारी नहीं है। देख कर बता सकता हूं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : कब बतायेंगे ?

Page No 24

श्री **अध्यक्ष** : श्री शंकरसिंह रावत।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। क्या यह सही है कि 7 मई, 1971 को सचिवालय में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा इस बिसलपुर सिंचाई योजना को शुरू करने के लिए रूप रेखा बनाई जा रही है–इस प्रकार को जानकारी दी थी ?

श्री **रामचन्द्र चौधरी** . इसकी जानकारी प्राप्त करके जवाब दे सकता हूं।

श्री **गिरधारी लाल भार्गव** : इस योजना पर कुल कितना रुपया व्यय होगा इसकी जानकारी दे दीजिये ?

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़) जानकारी नहीं है।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : पूरा एस्टीमेट बनने पर मालूम होगा।

श्री गिरधारी लाल **भार्गव** : क्या यह बतायेंगे कि प्रथम यूनिट पर कितना खर्चा होगा, द्वितीय यूनिट पर कितना खर्चा होगा, कितना कमाण्ड एरिया सिंचाई का रखा है, कितने एरिया को कमाण्ड में रखे जाने से लाभ होगा, तथा कौन कौनसे जिले को लाभ होगा ?

श्री **रामचन्द्र चौधरी** : जयपुर को पीने का पानी देने के लिए और सिंचाई के लिए योजना बनाई गई थी।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : मैं माननीय मंत्री जी को बताऊं कि जयपुर के लिए ही नहीं, जयपुर, टौंक और अजमेर–तीनों के लिए यह बनास योजना है। प्रथम यूनिट पर 8 करोड़ रुपया खर्च होगा और द्वितीय यूनिट पर 5 करोड़ 50 लाख रुपया खर्च होगा। इससे कमाण्ड एरिया में 1 लाख 16 हजार एकड़ में सिंचाई होगी और पीने के पानी की व्यवस्था होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या जो आंकड़े मैंने आपको बताये सही हैं ?

श्री **निरंजन नाथ आचार्य** : जानकारी में नहीं है। यह सही है क्या जो इन्होंने कहा ?

श्री **योगेन्द्र नाथ हांडा** : अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद का विषय है, इतनी आवश्यक योजना है और उसके बारे में मंत्री महोदय को बिल्कुल जानकारी नहीं है। इतनी गम्भीर आवश्यक योजना है जिससे जयपुर के जन जीवन पर असर होने वाला है।

श्री **गिरधारी लाल भार्गव** : जयपुर, टौंक और अजमेर।

श्री **योगेन्द्र नाथ हांडा** : जयपुर, टौंक और अजमेर–इन तीनों जगहों पर असर होने वाला है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसको पीने के पानी की व्यवस्था के लिए ठीक नहीं समझा गया। जयपुर के इर्द गिर्द जितने कुए हैं, ट्यूब वेल्स बने हैं उनसे पीने का पानी देने की व्यवस्था है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : सदस्य महोदय की जानकारी ठीक है या नहीं ?

श्री **श्रीराम गोटे वाला** (किशनपोल जयपुर) : क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे, जैसा आपने कहा, पीने के

Page No 25

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
पानी के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया है तो यह पीने के पानी के लिए कब तय किया गया ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने जो जानकारी चाही है उसका उत्तर नहीं दिया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह पानी ज्यादा मंहगा पड़ता है और जयपुर के आस पास के ट्यूब वैल्स से पानी सप्लाई किया जा सकता है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैंने जो आंकड़े दिये, बनास योजना की पहली यूनिट पर 8 करोड़, दूसरी यूनिट पर 5 करोड़ 50 लाख...

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : क्या आपने इसका कोई सर्वेक्षण कराया है, यह योजना मंहगी पड़ती है और ट्यूब वैल्स सस्ता पड़ता है ? आम तौर पर यह माना जाता है, यह एस्टेब्लिस्ड फैक्ट है, आप मालूम कर लें, कैनाल सबसे चीपेस्ट तरीका होता है पानी देने का। आप कहते हैं, ट्यूब वैल्स सस्ता पड़ता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने सर्वेक्षण कार्य पर 44 हजार 434.34 पैसे खर्च कर दिये, अगर आपको योजना लागू नहीं करनी थी तो इतना क्यों खर्च किया ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : सर्वेक्षण कार्य करने से मालूम हुआ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : सिंचाई के लिये था, पीने के पानी के लिए था। पीने के पानी के लिए कहा, सिंचाई के कई प्रोजेक्ट जेर तजवीज हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय सदस्य ने मंत्री महोदय के सामने आंकड़े रखे, अब वह पूछ रहे हैं, आप बताने का कष्ट करें, वह सही हैं या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कहां से नोट किये हैं यह ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह सरकारी जानकारी है। सरकार ने इस सदन में घोषणा की थी कि नल कूप से जयपुर शहर के पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। यह हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट थी कि पानी की सतह बहुत नीचे है इसलिए नलकूप की योजना को लागू न करके बनास योजना को चालू किया जायेगा। यह योजना का सर्वेक्षण कार्य चालू किया गया इसके जो मैंने आंकड़े बताये–उनकी आपको जानकारी है नहीं। मुख्य मंत्रीजी ने जो जानकारी दी है, उसकी आपको जानकारी नहीं है, कि सचिवालय में क्या तय हुआ, उसकी जानकारी है नहीं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय उत्तर देने की स्थिति में न हों और पूरी जानकारी न रखते हों तो इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह घोषणा की गई थी। आप दूसरे माननीय सदस्य से पूछ लीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद (मालपुरा) : आपको यह जानकारी नहीं है कि यह आंकड़े सही हैं या नहीं तो आगे चल कर यह योजना क्या सफल होने वाली है? आप यह उत्तर दें कि यह आंकड़े सही हैं या नहीं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जानकारी नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मंत्री महोदय अभी उत्तर देने की स्थिति में न हों तो बाद में वह तैयार होकर आयें। तब तक के लिए इसे स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : अगली टर्न पर पूरी जानकारी करके उत्तर दे दें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री मनोहरलाल (कामां) : इनके सारे प्रश्नों को स्थगित कर दिया जाय।

प्रश्न सं. 126

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरसिंह रावत !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मीठा लाल !

प्राथमिक पाठशालाओं के अधूरे भवन

127. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) व मीठालाल (लालसोट) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:---

(1) क्या यह सच है कि जयपुर जिले की दौसा, लालसोट, चाकसू, जमवारामगढ़, पंचायत समितियों के अन्तर्गत अधिकांश स्थानों पर प्राथमिक पाठशालाओं के भवन अधूरे पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्रों की प्राथमिक पाठशालाओं को विशेष सहायता देकर भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री ओंकार लाल चौहान) : (1) जी हां। जन सहयोग के अभाव में भवन अधूरे हैं।

(2) अधूरे भवनों को पूरा कराने हेतु वांछित जन सहयोग प्राप्त होना आवश्यक है। पंचायत समिति अपनी निजी आय से ही धनराशि दे सकती है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा विशेष सहायता देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, एक तरह से गांव और शहर के बीच में बहुत भेदभाव होता है और गांवों के बच्चों के साथ में अन्याय होता है। शहरों में कालेज की दुमंजिली और तीन मंजिली बिल्डिंग बन सकती है, कई कालेज खुल सकते हैं--कामर्स कालेज और आर्टस् कालेज। जबकि गांवों में स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए न छाया का इन्तजाम है और न टाट पट्टियों का इन्तजाम है। लालसोट में स्थिति यह है कि चार पांच भवन बना रखे हैं लेकिन उनमें छाया का इन्तजाम नहीं है। पंचायत समिति के पास में पैसा नहीं है खर्च करने को जिससे उन भवनों को पूर्ण कर सके। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार प्राइमरी स्कूलों के भवनों के लिए कुछ करे और लालसोट तह-

Page No 27

(श्री मीठालाल)
सील के लिए कुछ धन देने के लिए विचार करें।

श्री ओंकारलाल चौहान : जी नहीं।

श्री मीठालाल : क्यों नहीं, इसके बारे में मैंने स्थिति बताई।

श्री ओंकारलाल चौहान : जैसा अभी निवेदन किया, जवाब दिया, जन सहयोग की कमी की वजह से कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा विशेष सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा सकती।

श्री मीठालाल : जनता श्रमदान करने को तैयार है, सहयोग देने के लिए तैयार है अगर लेना चाहें। जनता सहयोग देगी तो क्या राज्य सरकार सहायता देगी ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, क्या गांवों में स्कूल भवन बनेंगे ही नहीं ?

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या आप जन-सहयोग को जन आन्दोलन तो नहीं समझते हैं ? क्या जन आन्दोलन के बिना कोई काम जल्दी नहीं होगा ?

श्री भरतलाल (बामनवास) : क्योंकि यह मदद आवश्यक है···

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या बच्चों के लिए बैठने के लिए उचित प्रबन्ध के अभाव में वहां पढ़ाई अच्छी होती है ? क्या भवनों के बिना पढ़ाई हो सकती है और भवनों की जरूरत है या नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप इस साल एक हजार प्राथमिक पाठशालायें खोल रहे हैं, वह बिना बिल्डिंग के ही है या नहीं–वह कह दीजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मास्टर देंगे। बिल्डिंग खुद बनाओ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या राज्य सरकार ने···

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) एक व्यक्ति एक प्रश्न ! एक माननीय सदस्य पूछें।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : पंचायत समिति को जब शिक्षा दी गई थी तब यह तरीका तय हुआ था कि राज्य सरकार पचास प्रतिशत देगी और पचास प्रतिशत पंचायत समिति देगी—उसका पालन कर रही है राज्य सरकार ?

श्री भरतलाल : मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ···

श्री रोशनलाल शर्मा : अगर एक बिल्डिंग दान की है जनता ने तो पचास प्रतिशत जो राज्य सरकार को देना है उसका राज्य सरकार पालन कर रही है या नहीं ?

श्री ओंकारलाल चौहान : अलग से प्रश्न है। अलग से प्रश्न दिया जायगा तो जवाब दिया जायगा।

श्री भरत लाल : गांवों में पांच रुपया प्रति परिवार दिया जाता है, वह पैसा क्या बिल्डिंग के काम में आता है–मैं यह पूछना चाहता हूं। यह सही है, भेदभाव है गांव और शहर के बीच में, यह जबर्दस्त भेदभाव

(श्री भरतलाल)
है, यह नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं और जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या सरकार इस भेदभाव को मिटाने का इरादा रखती है ?

श्री भरतलाल : उन्हें सरपंच से मिलना चाहिए। पंचायत समिति से सम्पर्क कायम करके मालूम करना चाहिए।

श्री मीठालाल : माननीय सदस्य का जब आगे बैठने का मौका आये तब यह जवाब दे सकते हैं।

श्री भरतलाल : सरपंच से मिलें और उनसे पूछें।

श्री मीठालाल : आगे की सीट पर आयें तब यह जवाब दें। आगे की सीट पर बैठने की स्थिति में आयें।

श्री अध्यक्ष : चार माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं। एक माननीय सदस्य एक साथ बोलें।

श्री मीठालाल : मैं मंत्री महोदय से कह रहा था कि अगर जनता 50 प्रतिशत इस मामले में सहयोग दे आर्थिक रूप से तो क्या राज्य सरकार स्कूल खोलने के लिए तैयार है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : ऐसी कोई स्थिति नहीं है। माननीय सदस्य अगर कोशिश करें, अपने क्षेत्र में प्रयास करें, जन सहयोग के लिये तो समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह नीति संबंधी गंभीर प्रश्न है। एक बार राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है कि प्राथमिक शिक्षा पर पूरा जोर लगायेंगे और कोई कालेज अपग्रेड नहीं किया जाएगा या हायर सैकेन्डरी स्कूल अपग्रेड नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में हायर एजूकेशन का सारा अपग्रेडिंग वर्क स्टाप कर दिया गया है, मंत्री महोदय को कान्क्रीटली कहना चाहिये और इस मामले में कान्क्रीट नीति सदन को बतानी चाहिए कि अब प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं के बारे में हमारी नीति यह होगी और जो भेदभाव गांव और शहरों में हो रहा है, किस हद तक दूर किया जाएगा, उनको भवन बनाकर दिए जायेंगे या नहीं, क्या साधन दिए जायेंगे, पैसा दिया जाएगा या नहीं यह गंभीर बात है। घोषित नीति के बारे में इतनी लापरवाही से और गैर जिम्मेदारी से उत्तर दिया जाए, यह बहुत ही गंभीर बात है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं एक बात पूछ लूं। एक जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं...

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बैठ जाइए।

श्री मूलचन्द सामरिया : जिसकी वजह से स्कूल का नाम .... यह जवाब देना...

Page No 29

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कुछ तो ख्याल फरमायें। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

दांतील ग्राम में बांध बनाने की योजना

101. श्री सुरेश चन्द (कोटपूतली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार ने कोटपूतली तहसील के दांतील ग्राम में बांध बनाने को कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो इस योजना के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है, और उक्त बांध का कार्य कब तक शुरू किया जावेगा ?

उत्तर

जी हां, दांतील का नाका सिंचाई योजना तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर का तखमीना 3.94 लाख रु. का बनाया गया है। इस योजना पर अभी तक कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

चूरू जिले के गांवों में बिजली

108. श्री रावतराम (छापर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चूरू जिले के किन किन गांवों को 1971-72 में बिजली दी गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) चूरू जिले के किन किन गांवों को 1972-73 में बिजली पहुंचाने की योजना है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि चूरू जिले के जिन गांवों में पीने के पानी की कमी है अथवा जिन गांवों में कुओं से सिंचाई होने का स्कोप है, उन गांवों में शीघ्रातिशीघ्र बिजली पहुँचाने की योजना चालू वर्ष में ही सरकार बना रही है ? यदि हां, तो योजना का विवरण प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) जिला चूरू में सन् 1971-72 में 4 गांवों डींगली, सांवतसर, लिखमीसर उतराडा व लिखमीसर दखनाडा को बिजली दी जा चुकी है।

(2) सन् 1972-73 के अन्तर्गत चूरू जिले के गांवों का विद्युतिकरण करने की अभी कोई योजना तैयार नहीं की गई है। प्रश्न नहीं उठता है।

(3) जिले में जिन गांवों में पीने के पानी की कमी है, अथवा जिन गांवों में कुओं से सिंचाई होने का स्कोप है उसके सम्बन्ध में जानकारी विद्युत मंडल के पास अलग से नहीं है। अतः योजना का विवरण प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता है।

बहोद रुंध की भूमि का आवण्टन

111. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांधी शताब्दी वर्ष में अलवर जिले के वन विभाग

Page No 30

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
से कुछ रुंध की भूमि राजस्व विभाग को दी गई थी उसमें तहसील बहरोड़ की बड़ोद रुंध की करीब 1200 बीघा भूमि भी थी ?

(2) क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. बहरोड ने सन् 1970–71 में इस बड़ोद रुंध की भूमि को अलाट करने का प्रोग्राम निश्चित किया था मगर सरकार द्वारा अलाटमेन्ट को रोक दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अब इस जमीन को हरिजनों को अलॉट करने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि गांधी शताब्दी वर्ष 1–9–69 से 14–11–70 तक के दौरान वन विभाग से रुंध बड़ोद की काबिल काश्त 1200 बीघा भूमि दिनांक 19–12–70 को राजस्व विभाग की कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु परिवर्तित की गई थी ।

(2) जी हां, यह सही है कि रुंध बड़ोद की उपरोक्त भूमि के आवंटन के लिये उप-खण्ड अधिकारी बहरोड़ ने दिनांक 27–1–71 नियत की थी किन्तु राज्य सरकार से दिनांक 21–1–71 के आदेशानुसार उक्त आवंटन स्थगित कर दिया गया था ।

(2) जी नहीं, उक्त भूमि को अब भारत-पाक संघर्ष में वीरगति प्राप्त सैनिकों को आवण्टन करने के आदेश दिनांक 25–4–72 को राज्य सरकार द्वारा जारी कर दिये गये हैं ।

निर्धारित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का वितरण

113. श्री पी. के. चौधरी (कुचेरा) : क्या नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

समाज के निर्धन वर्ग को निर्धारित मूल्य पर आवश्यक वस्तु सप्लाई करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(स्थगित किया गया)

थानागाजी क्षेत्र में पर्चों का वितरण

114. श्री लक्ष्मीनारायण (थानागाजी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

थानागाजी क्षेत्र में सेटलमेन्ट का कार्य 1963–64 में हो जाने के बावजूद पर्चे क्यों नहीं वितरित किये गये ? पर्चे अब कब तक वितरित कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

इस तहसील की रेन्ट रेट्स की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा 25–3–72 को जारी की जा चुकी है अतः उसी के अनुसार भू-प्रबन्ध अधिकारी, अलवर को पर्चे लगान वितरण हेतु आदेश दिये जा चुके हैं सम्भवतः पर्चों का वितरण अब शीघ्र हो जावेगा ।

श्रीनगर–नसीराबाद सड़क की मरम्मत का कार्य

126. **श्री शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि श्रीनगर और नसीराबाद के बीच सड़क पर बरड़ा पड़ा है और सड़क में कुछ टुकड़े बिना डामर के खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तर

जी हां। अर्थाभाव के कारण अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान नहर क्षेत्र के विकास की योजना

37. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र के विकास की कोई योजना तैयार की गई है ? अगर हां, तो प्रस्तावित योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जी हां। राजस्थान नहर क्षेत्र के विकास हेतु एक परियोजना तैयार की गई है जो भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक को भेज दी गई है। परियोजना की एक प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(परियोजना की प्रति राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

भू–राजस्व की बकाया

38. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिनांक 31 मार्च, 1971 तक कुल भू-राजस्व की कितनी बकाया है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इस वर्ष कितनी भू-राजस्व की राशि वसूल हो जाने की संभावना है ?

(3) राज्य सरकार द्वारा बकाया राशि वसूल करने के लिये क्या कोई विशेष कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) दिनांक 31 मार्च, 71 तक कुल भू-राजस्व की बकाया 12,18,10,163) रुपये हैं जिसमें अवसूल योग्य रकम 3,62,29,207) रुपये है तथा वसूल योग्य रकम 8,55,80,956) रुपये है। जिलेवार विवरण का मानचित्र संलग्न है।

(2) इस वर्ष माह अप्रेल 71 से माह फरवरी, 72 तक कुल भू-राजस्व की वसूली 728,50 लाख रुपये हुई है। करीब 100-00 लाख रुपये की वसूली माह मार्च, 72 में और होने की आशा है।

(3) जिलाधीशों को वसूली के लिये विशेष अभियान चलाने हेतु अर्द्धशासकीय पत्र समय समय पर लिखे जाते हैं। क्षेत्रीय

(राजस्व मंत्री)
जिलाधीशों की बैठकों का आयोजन किया जाता है जिसमें जिलेवार वसूली की स्थिति पर वसूली के प्रति विचार किया जाकर सक्रिय प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। राजस्व मण्डल द्वारा मासिक समीक्षा प्रकाशित की जाती है जिसमें जिलाधीशों द्वारा की गई वसूली के ऊपर टिप्पणी कर उचित राय दी जाती है। जिलेवार वसूली के लक्ष्य निर्धारण किये जाकर उनके विरुद्ध की गई वसूली की मासिक समीक्षा की जाती है।

वसूली के लिये पटवारियों को धनराशी के रूप में इनाम भी दिये जाते हैं तथा अन्य राजस्व अधिकारियों को प्रशंसा-पत्र भी वितरण किये जाते हैं। जो अधिकारी कर्मचारी (तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर एवं पटवारी) निर्धारित स्तर तक वसूली करने में असफल रहते हैं उन्हें दण्डित किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

छबड़ा व छीपा बड़ोद में लघु सिंचाई योजना कार्यक्रम

39. **श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या तहसील छबड़ा व छीपा बड़ोद में लघु सिंचाई योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कोई काम करवाया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं तथा और आगे के लिये क्या योजना है ?

उत्तर

जी नहीं उक्त क्षेत्र में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं करवाया गया है। इस क्षेत्र में कुछ बड़ी योजनाएं। (मीडियम प्रोजेक्ट) जैसे हिन्दघोट योजना का सर्वेक्षण कराया गया है जिससे बहुतसारा क्षेत्र सिंचित हो सकता है। इसलिये लघु सिंचाई योजना नहीं बनाई गई। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों का आवक क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है और मध्य प्रदेश सरकार से ऐसे आवक क्षेत्र के पानी के उपयोग में लेने के लिए स्वीकृति नहीं आती है। अब इस क्षेत्र में निम्न लघु सिंचाई योजनाओं पर सर्वेक्षण चल रहा है और अगर ये योजनाएं ठीक पाई गई तो उन पर कार्य किया जावेगा।

1. ओखाली।
2. फालिया।
3. कालया।

कैदियों को छबड़ा से अटरू ले जाने पर व्यय

40. **श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा):** क्या मन्त्री जेल विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:-

मुन्सिफ मजिस्टेट, छबड़ा मुकाम अटरू का मुख्यालय छबड़ा के बजाए अटरू करने के बाद से अब तक छबड़ा जेल से कैदियों को अटरू लाने ले जाने में राज्य सरकार का कितना रुपया व्यय हो चुका है ?

उत्तर

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, छबड़ा मुकाम अटरू का मुख्यालय छबड़ा के बजाय अटरू करने

Page No 33

(मंत्री. जेल विभाग)
के बाद से अब तक कैदियों को केवल छबड़ा जेल से अटरू लाने ले जाने में राज्य सरकार के 2857.76 (दो हजार आठ सौ सत्तावन रुपये छहत्तर पैसे) खर्च हुए हैं।

आर. बी. अपर नहर में पानी

41 श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) आर. बी. अपर नहर रबी 15 नवम्बर, 1971 से 15 मार्च, 1972 तक कितने दिन रही? उन दिनों में हैड पर और टेल पर कितना पानी था?

(2) दिनांक 9, 10, 11 व 12 दिसम्बर, 1971 को अपर आर. बी. नहर में कितना पानी था और नहर पूरी चलाने के लिये कितना पानी होना चाहिये?

(3) दिनांक 10 दिसम्बर, 1971 को नहर बन्द रखने का क्या कारण था?

(4) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों की वाड़ी में जान बूझ कर पानी बन्द रखा जाता है?

(5) क्या यह सच है कि आर. बी. अपर नहर से कम कोई दूसरी नहर गंग नहर क्षेत्र में नहीं चली?

उत्तर

(1) आर. बी. अपर नहर रबी 1971–72 में 15 मार्च, 1972 तक 64 दिन तक चली है। इन दिनों इसके हैड व टैल पर पानी औसतन क्रमशः 52 व 1.05 क्यूसेक्स रहा है।

(2) सूची संलग्न है। नहर पूरी चलाने के लिये 52 क्यूसेकस पानी चाहिए।

(3) मिलिट्री की आवश्यकता के अनुसार कुछ समय के लिए नहर को बन्द किया गया।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं, सभी नहर लगभग बराबर चलती हैं।

(कृपया परीशिष्ट 8 देखिये)

नहरों के पास लगे वृक्षों से फसलों को हानि

42. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या यह सही है कि नहरों के साथ–साथ लगती किसानों की भूमि के नजदीक सरकारी भूमि पर जो पेड़ लगाये जाते हैं उनसे किसानों की फसल को हानि होती है?

(ख) क्या यह सच है कि न तो किसान उन पेड़ों को उखाड़ सकता है और न ही सिंचाई विभाग किसानों की हानि का कोई मुआवजा देता है। ऐसी हालत में सरकार भविष्य में किसानों को हानि से बचाने के लिये क्या कोई उपाय करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

Page No 34

(सिंचाई मंत्री)

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

लालसोट से कथून व दौसा सड़कों पर पुल

43. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या यह सच है कि जयपुर जिले की लालसोट तहसील के अन्तर्गत कथून-लालसोट सड़क पर कई स्थानों पर पुलों का होना अत्यन्त आवश्यक है? यदि हां, तो कितने पुलों का?

(ख) क्या सरकार भविष्य में कुछ नये पुलों की योजना अपने हाथ में ले रही है? यदि हां, तो कितने और कौन कौन से? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) दौसा और सवाई माधोपुर रोड पर एक पुल, दो पुलियां तथा कथून-लालसोट सड़क पर 2 बड़े पुल व 1 पुलिया की आवश्यकता है।

(2) जी नहीं। अर्थाभाव के कारण।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सुविधायें

44. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) रतननगर, चूरू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्या क्या सुविधायें उपलब्ध हैं? जो सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं वे कब तक उपलब्ध करवा दी जावेंगी?

(2) क्या इसके लिये भवन व आवास व्यवस्था पूर्ण है? यदि नहीं तो कब तक पूरी करवा दी जावेगी?

(3) क्या इस केन्द्र के मातहत उप-केन्द्र चालू कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो, कब तक चालू करवा दिये जावेंगे?

(4) क्या उप-केन्द्रों के लिये भवन बनवा दिये गये हैं? यदि नहीं, तो कब तक बनवा दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सुविधायें स्वास्थ्य केन्द्र, रतननगर में उपलब्ध हैं। यूनिसेफ से वाहन आदि की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

(2) उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन की पूर्ण व्यवस्था है आवास व्यवस्था धन उपलब्ध होने पर पूरी करवा दी जावेगी।

(3) विकास विभाग एवं मेडिकल विभाग की संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार भवन-व्यवस्था विकास अधिकारी व सरपंच द्वारा नहीं किये जाने के कारण एक उप-केन्द्र चालू है, शेष दो उप-केन्द्र भवन व्यवस्था किये जाने पर शीघ्र चालू करवा दिये जावेंगे।

(4) उप-केन्द्रों के भवन निर्माण नहीं हुए हैं। विकास अधिकारी, सरपंच को शीघ्र

Page No 35

(चिकित्सा मंत्री)
निर्माण कराने हेतु निरन्तर लिखा जा रहा है।

गंगानगर जिले की सड़कें

45. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगानगर जिले में कितनी सड़कें हैं और उनकी क्या हालत है?

(2) क्या यह सही है कि गंगानगर जिला जो कि एक उपजाऊ क्षेत्र है उसमें राजस्थान के दूसरे जिलों से सड़कें बहुत कम हैं और जो हैं वह ठीक हालत में नहीं हैं?

(3) क्या यह सच है कि सड़कें बनाते समय ठेकेदार लोग घटिया ईंट लगाते हैं और झावा जो सीलिंग के ऊपर डाला जाता है उसमें भी पीली ईंट मिलाई जाती हैं?

(4) क्या यह सच है कि इस समय जो काशीपुर-गजसिंहपुर सड़क बन रही है उसमें सीलिंग में पीली ईंट तीसरे हिस्से के बराबर, और झावे में भी मिक्स की जा रही है?

(5) क्या यह भी सच है कि गंगानगर जिले में कुछ सड़कों के बन जाने का भुगतान हुआ और वे मौके पर नहीं बनी हैं?

(6) क्या सरकार इसका ब्यौरा देगी कि मौके पर कितनी मील सड़क बनी है और कितना भुगतान हुआ तथा अधिक भुगतान किये जाने का क्या कारण है?

उत्तर

(1) गंगानगर जिले में 31-3-71 तक 1461 किलोमीटर लम्बी सड़कें हैं जो आवागमन योग्य हैं?

(2) सड़कों की दशा ठीक है।

(3) जी नहीं?

(4) काशीपुर-गजसिंहपुर नामक सड़क नहीं बनाई जा रही है?

(5) यह सत्य नहीं है।

(6) जितनी सड़कें बनी हैं उतना ही भुगतान हुआ है।

करणपुर—गजसिंहपुर सड़क

46. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) करणपुर-गजसिंहपुर सड़क का 5 कि. मी. से 10 कि. मी. तक का ठेका कब दिया गया? इस सड़क के लिए किस किस ने टेण्डर दिये? टेण्डर देने वालों ने क्या रेट दिये? इससे पूर्व इसी सड़क के पहले पांच कि. मी. के टेण्डर किस किस के और क्या रेट के थे?

(ख) क्या दोनों दफा आमंत्रित टेण्डरों की रेटों में कोई अन्तर आया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(क) करनपुर-गजसिंहपुर सड़क का 5 कि. मी. से 10 कि. मी. तक का ठेका दिनांक 6–12–71 को दिया गया। इस सड़क के लिए निम्नलिखित ठेकेदारों ने निम्नलिखित रेट से टेण्डर दिए:—

नाम ठेकेदार	
1. मैसर्स कुलदीपसिंह एण्ड कं.	40–70 प्रतिशत लगभग
2. मैसर्स जसपाली सिंह एण्ड कं.	41–25 ,, ,,
3. मैसर्स भुपिन्द्रा कन्सट्रक्शन कं.	51–00 ,, ,,
4. मैसर्स कुलवन्त सिंह एण्ड कं.	55–25 ,, ,,
5. मैसर्स लीलाधर कन्सट्रक्शन कं.	93–25 ,, ,,

करनपुर-तेजसिंहपुर सड़क 0/0 से 5/0 कि.मी. का ठेका एक वर्ष पूर्व दिनांक 25–1–71 को दिया गया था।

इस सड़क के लिए निम्नलिखित ठेकेदारों ने निम्नलिखित रेट से टेण्डर दिये–

नाम ठेकेदार	रेट
1. मैसर्स जसपालसिंह एण्ड कं.	7–25 प्रतिशत मीलों
2. मैसर्स विशनसिंह शंकरलाल	2–75 ,, ,,
3. मैसर्स जगदीश प्रसाद	5–00 ,, ,,
4. मैसर्स हनुमान दास चेतनदास	17–71 ,, ,,
5. मैसर्स मक्खनसिंह	24–95 ,, ,,
6. मैसर्स सोहनसिंह मनोहरसिंह	2[illegible]–00 ,, ,,
7. मैसर्स मुन्शीराम जगदीश प्रसाद	19–00 ,, ,,
8. मैसर्स सन्तकरण एण्ड रामजीदास	30–[illegible]0 ,, ,,

(ख) जी हां, मील 010 से 510 के टेण्डर मील 510 से 1010 से एक वर्ष पूर्व प्राप्त हुए। सामान की रेटों में वृद्धि एवं लेबर अभाव आदि के कारण अन्तर दरों में आया है।

तहसील सांचोर के अकालग्रसित ग्राम

47. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील सांचोर में इस वर्ष कितने गांव अकालग्रसित हैं ? सूची गांववार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त गांवों में अभी तक कोई अकाल राहत कार्य नहीं खोले गये हैं ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं तो, कहां कहां, क्या क्या कार्य कब कब

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

खोले गये हैं एवं उन पर कितने मजदूर अब तक कार्य पर लगाये गए हैं ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त गांवों में अब तक वसूलियां एवं दीवानी डिक्रीज की वसूलियां भी बन्द नहीं की गई हैं ? अगर नहीं, तो कब कब किस तरह की वसूलियां किस हुक्म द्वारा बन्द की गई हैं ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि अकाल-ग्रसित गांवों में अभी तक पीने के पानी का भी बन्दोबस्त नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों नहीं तथा अब पीने के पानी का बन्दोबस्त आवश्यकतानुसार कब तक कर दिया जावेगा ?

(5) अकालग्रसित गांवों में इस वर्ष क्या क्या अकाल राहत कार्य कराये जावेंगे ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां । उपरोक्त गांवों में अभी तक कोई राहत कार्य नहीं खोले गए हैं। अभावग्रस्त क्षेत्रों के अत्यधिक प्रभावित लोगों को क्रेश योजना व अकाल संभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे कार्यों पर रोजगार दिलाया जा रहा है। अतः किसी सहायता कार्य पर कोई मजदूर लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं । अभाव स्थिति की घोषणा के साथ भू-राजस्व की वसूली स्थगित किये जाने तथा दीवानी डिक्रीज की वसूलियां भी स्थगित की जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(4) जी नहीं । अभावग्रस्त क्षेत्र में पानी की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार स्थिति पर निरन्तर पुनर्विचार करते हुए जिस समय जैसा आवश्यक हुआ है व्यवस्था करती रही है।

(5) इस संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावास

48. श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य में कितने छात्रावास चलाये जा रहे हैं ?

(ख) इन छात्रावासों में कुल कितने छात्र रहते हैं ?

(ग) 1971–72 के वर्ष में इन छात्रावासों के प्रबन्ध व विद्यार्थियों पर कुल कितनी राशि खर्च की ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न श्रेणियों के कुल 305 छात्रावास निम्न प्रकार से चलाये जा रहे हैं:—

क्र. सं.	श्रेणी छात्रावास	छात्रावास संख्या	कुल छात्र संख्या
1.	प्रथम श्रेणी छात्रावास	132	5323
2.	द्वितीय श्रेणी छात्रावास	128	4935
3.	तृतीय श्रेणी छात्रावास	45	1125

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) इन छात्रावासों में कुल 11,383 छात्र रहते हैं।

(3) वर्ष 1971–72 में इन छात्रावासों के प्रबन्ध व विद्यार्थियों पर कुल 62,24,660 रुपयों की धनराशि स्वीकृत की गई है।

पाली तहसील के फेमिन रूरल वर्क्स व क्रेश प्रोग्राम

49. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली तहसील में फेमिन रूरल वर्क्स योजना के तहत और क्रेश प्रोग्राम के तहत किन किन कार्यों की स्वीकृति हुई है? सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कौन कौन से कार्य चालू हैं और उन पर कितना रुपया व्यय होगा और कितने मजदूर कितने दिन तक कार्य पर रह सकेंगे? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) शेष कार्य कब तक चालू कर दिये जावेंगे और कितना रुपया व्यय होगा?

उत्तर

(1) पाली तहसील में रूरल वर्क्स प्रोग्राम के तहत और क्रेश योजना के तहत स्वीकृत कार्यों की सूची क और ख सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) इनमें से कौन कौन से कार्य चालू हैं, उनका विवरण उक्त सूची में अंकित है तथा इन पर लगभग 5,300 श्रमिक प्रति दिन कार्य कर सकेंगे।

(3) सिंचाई विभाग, सड़क विभाग एवं वन विभाग के शेष कार्य जो स्वीकृत कर दिये गये हैं उन्हें शुरू करने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं। बाखा गांव चाणोद जल वितरण योजना केन्द्रीय सरकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद चालू की जा सकेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विशेषाधिकार के हनन के प्रस्ताव पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य, विधानसभा ने तारीख 8-4-1972 को एक विशेषाधिकार के हनन के प्रस्ताव की सूचना दी जिसमें कहा गया कि राजस्थान पत्रिका में तारीख 28-4-1972 के अंक में एक समाचार प्रकाशित हुआ है जिसमें माननीय मुख्य मंत्री द्वारा ब्यावर में निम्न आशय का वक्तव्य तारीख 25-4-1972 को दिया गया :–

(1) इस साल शिक्षा के बजट में प्राथमिक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी, और

(2) राज्य में दो वर्ष तक राज्य सरकार कोई नया कालेज नहीं खोलेगी और इस साल शिक्षा का बजट 50 करोड़ रुपये का रखा गया है।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य ने उपरोक्त वक्तव्य को बजट प्रस्तावों के रहस्योद्घाटन का मामला बता कर इसे सदन के विशेषाधिकार का हनन समझा और माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखने की सूचना दी है।

मैंने इस विषय में पर्याप्त सोच-विचार किया है और पूर्व में इंगलैण्ड के हाउस आफ कामन्स और अपने यहां की लोक सभा एवं अन्य राज्यों की विधान सभाओं एवं अपने यहां की विधान में तद्-विषयक दिए गए निर्णयों पर भी विचार किया है। जहां तक सदन के विशेषाधिकारों का प्रश्न है हमारे यहां संविधान के लागू होने के पूर्व की हाउस आफ कामन्स की परम्पराएं एवं व्यवस्थाएं मान्य समझी गई हैं। वहां की व्यवस्थाओं के अनुसार बजट प्रस्तावों की पूर्व सूचना (लीकेज) सदन के विशेषाधिकारों का हनन नहीं माना गया है। इंगलैण्ड में केवल दो ऐसे मामले हुए थे जो कि थामस और डाल्टन के मामलों के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। इन दोनों ही मामलों में सदन के विशेषाधिकारों का न तो हनन समझा गया और न ही उन्हें विशेषाधिकार समिति को जांच के लिए भेजा गया।

प्रस्तुत मामले में तो इस प्रकार की कोई बात हुई ही नहीं। जो कुछ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा जाना बताया गया है और जिसका समाचार समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है वह तो केवल प्रशासन सम्बन्धी मामूली घोषणा थी जो राज्य की सामान्य नीति के अनुरूप थी।

उत्तर प्रदेश में भी दिनांक 19-12-1967 को अनुपूरक आय-व्ययक को समय पर प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में प्रस्ताव आया था जिस पर आसन से यह व्यवस्था दी गई थी कि आय-व्ययक की गोपनीयता भंग होने पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बन सकता। लोक सभा में 1959 में सिगरेटों की एक फर्म ने अपनी किसी ब्रान्च कार्यालय में यह संकेत दिया कि सिगरेटों पर उत्पादन शुल्क बढ़ने की संभावना का पता चला है अतएव किन्हीं विशेष प्रकार की सिगरेटों का स्टाक संग्रह कर लिया जावे। विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाने पर माननीय अध्यक्ष ने किसी विशेषाधिकार का हनन नहीं माना। इसी प्रकार मणिपुर के बजट के कुछ आंकड़े पहले प्रकाशित कर दिए जाने के आधार पर विशेषाधिकार का हनन नहीं माना गया, चूंकि वह आंकड़े भी सही नहीं थे। एक अन्य मामले में जहां बम्बई के एक पत्र में केन्द्र सरकार के बजट के प्रस्ताव शब्दशः प्रकाशित हो गये थे विशेषाधिकार हनन नहीं माना गया।

इस अपनी विधान सभा में 19-3-1953 को इस प्रकार का प्रश्न सर्व प्रथम उठाया गया। उस समय बजट के उपस्थापन से पूर्व तत्कालीन राजस्व मंत्री माननीय श्री मोहनलालजी सुखाड़िया ने अकाल सम्बन्धी कतिपय आंकड़ों की जानकारी हिन्दुस्तान टाइम्स को दे दी थी। तत्कालीन अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी कि इस प्रकार की जानकारी विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं थी। उन्होंने इस प्रकार के आंकड़ों की जानकारी और कर प्रस्तावों की पूर्व सूचना के भेद को

(श्री अध्यक्ष)

स्पष्ट करते हुए उपरोक्त व्यवस्था दी थी। 10–3–1959 को भी राजस्थान सरकार के अर्थ एवं सांख्यकीय विभाग द्वारा "राजस्थान बजट स्टेडो, 1959–60" नामक पुस्तिका को बजट के साथ साथ प्रकाशन पर माननीय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने विशेषाधिकार का प्रश्न इस आधार पर उठाया कि जब तक बजट सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक उसे गोपनीय रखा जाना चाहिए। तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी कि वित्त विभाग के अलावा राज्य सरकार के अन्य विभागों के आय-व्यय के आंकड़ों की जानकारी होना विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं है। इसके पश्चात् भी 30–3–1961 को वित्त मंत्री द्वारा दिल्ली में पत्र-प्रतिनिधियों में बजट साहित्य बजट भाषण से पहले वितरित कर देने के आधार पर विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव लाया गया था जिस पर यह व्यवस्था दी गई कि आय-व्ययक साहित्य देने से पूर्व पत्र-प्रतिनिधियों को वितरित करना विशेषाधिकार का हनन नहीं है। प्रस्तुत मामले में मुख्य मंत्री द्वारा बताई गई राशि बजट में वास्तव में रखी गई राशि के ठीक बराबर भी नहीं थी।

मैं समझता हूं कि प्रस्तुत मामला किसी भी दृष्टि से विशेषाधिकार के हनन का मामला नहीं माना जा सकता। अतः मैं इस प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : मैं इस संबंध में निवेदन करूं।

श्री अध्यक्ष : डिस्कशन एलाउ नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं केवल निवेदन कर रहा हूं। सत्र के प्रारंभ में जब सत्र चल रहा है, स्थगित हुआ है, उस बीच में मुख्य मंत्री या अन्य कोई मंत्री उन विशेष सूचनाओं को, जिसके कारण से सारे राज्य में सब प्रकार का असर पड़ने वाला है, एक रात्रि पूर्व 12 घन्टे का इंतजार न कर ब्यावर में सूचना दे····

श्री अध्यक्ष : स्पीच नहीं होगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यदि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है तो क्या मुख्य मंत्री के लिए यह प्रॉपर था, उचित था कि ब्यावर के अन्दर एक रात पहले सारे राज्य के बजट के लिए कोई जानकारी दें? इससे उनके द्वारा लाइसेंस ले लिया जाएगा कि भविष्य में बजट की घोषणा सदन में न करके बल्कि चौराहों पर करेंगे और माननीय सदस्य समाचार पत्रों में पढ़ें कि बजट की घोषणा हो गई। यह प्रोप्राइटी का प्रश्न है, अधिकार का प्रश्न है····

श्री अध्यक्ष : किसका प्रश्न है? मुझे आपने लिखकर दिया है, उस पर मैंने निर्णय दिया है। आपने लिख कर दिया है और सदन में भेजा है विशेषाधिकार प्रस्ताव, इसलिए मैंने फैसला दिया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : प्रोप्राइटी के प्रश्न पर।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में आपका प्रस्ताव नहीं था।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसके बारे में भी था। इसका ही एक भाग है यह।

श्री अध्यक्ष : यह भाग नहीं है। जो आपने लिख कर भेजा है इसमें यही लिख कर भेजा है। अपने धारा सभाओं के सीरीज आफ केसेज हैं। एक भी केस आपको इनमें ऐसा नहीं मिलेगा कि जिनमें ब्रीच आफ प्रिविलेज हो ऐसे केसों में।

श्री गुमानमल लोढ़ा : प्रोप्राइटरी न करें। सदन को क्या आप यह आश्वासन देंगे कि बजट के बारे में आगे से इस प्रकार की घोषणाएं सदन में ही की जाया करें ?

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

1. सर्वश्री वृद्धिचन्द जैन और गोपालसिंह, सदस्य, विधान सभा ने बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में उत्पन्न अकाल की स्थिति से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। राज्य में अकाल की स्थिति के संबंध में सरकार की ओर से एक वक्तव्य इसी सत्र में हो चुका है। उसके अतिरिक्त इस प्रश्न को बजट पर आम बहस के समय उठाया जा सकता है। अतः मैं इसको स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

2. श्री जीथिग और श्री विट्ठल, सदस्य विधान सभा ने जिला बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र में काश्तकारों से खाद्य बीज, तकावी आदि की जबरन वसूली से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस प्रश्न को भी बजट पर आम बहस के समय उठाया जा सकता है, अतः मैं इसकी स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

3. श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने लेखा लिपिकों के पद कनिष्ठ लेखाकार के संवर्ग में परिवर्तित किये जाने की घोषणा को अमल में न लाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी विषय पर सदन में दिनांक 1 मई, 1972 को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी गई है, इसलिये मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

4. श्री केसरीमल, सदस्य, विधान सभा ने अजमेर जिले, विशेष रूप से ब्यावर तहसील में अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी विषय पर एक स्थगन प्रस्ताव दिनांक 8 अप्रेल, 1972 को अस्वीकार हो चुका है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। बजट पर वाद-विवाद के समय इस प्रश्न को लिया जा सकता है।

5. श्री केदारनाथ, श्री केसरीमल, श्री रामानन्द अग्रवाल और श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा ने आयुर्वेद सेवाश्रम, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ सीमेन्ट फेक्टरी के मजदूरों में चल रही हड़ताल के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। चूंकि इन स्थगन प्रस्तावों में दो अलग अलग स्थानों पर चल रही हड़तालों का उल्लेख किया गया है; अतः ये प्रस्ताव नियमानुसार ग्राह्य नहीं हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

6. श्री मनोहरलाल, सदस्य, विधान सभा, ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें भरतपुर व अलवर जिले की सरसों व चने की फसल का और खरीफ की फसलों के नष्ट होने के साथ साथ सरकारी कर्जे और बैंकों के कर्जे मारपीट करके वसूल किये जाने और कामां कस्बे में आवास भू-खण्डों की नीलामी अवैध रूप से करने तथा कामां डीग, भरतपुर में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को नौकरी से हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति की चर्चा की है। चूंकि ये सब विषय एक दूसरे से असम्बद्ध हैं अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना भी प्राप्त हुई है :

1. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा द्वारा अलवर नगर परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचारार्थ दिनांक 22 अप्रेल, 1972 को बुलाई गई बैठक के स्थगित करने से सम्बन्धित।

2. श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री योगेन्द्र नाथ हांडा और श्री केसरीमल, सदस्य विधान सभा द्वारा अलवर में दिनांक 22 अप्रेल, 1972 को कम्यूनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रदर्शन पर कुछ व्यक्तियों द्वारा किये गये घातक आक्रमण के सम्बन्ध में।

3. सर्व श्री भीमसेन, गोपाल जोशी, मोहरसिंह, अमृतलाल यादव गहलोत, ज्ञानसिंह चौधरी, मगराज चौधरी, पी. के. चौधरी, रघुनाथ विश्नोई और वृद्धिचन्द जैन द्वारा राजस्थान में कई वर्षों से लगातार अभावग्रस्त क्षेत्रों, विशेष कर सीमान्त रेगिस्तानी इलाकों के लोगों के लिये कोई राहत कार्य प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में।

इन उक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वक्तव्य दिलाइये।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : जो आपने अपनी व्यवस्था हमारे स्थगन प्रस्ताव पर दी है....

श्री **अध्यक्ष** : एक में एक ही विषय होना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करूं कि विषय एक ही है सरकार की श्रम नीति जिसके कारण पांच मई को प्रस्तावित हड़ताल होने वाली है जिसका कारण भीलवाड़ा और उदयपुर में आयुर्वेदिक सेवाश्रम में होने वाली हड़ताल भी है।

श्री **अध्यक्ष** : चूंकि ये दो मामले थे और मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं थे कि किसको रखूं और किसको निकाल दूं इसलिये अस्वीकृत करने के अतिरिक्त मेरे पास कोई चारा नहीं था। अब आप दुबारा लिख कर दे दीजियेगा, आज दे दीजिये।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : आज सरकार की लेबर पालिसी के कारण क्राइसिस हो रहा है, लेबर में असन्तोष पैदा हो रहा है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसके विरोध में मजदूर संगठन सामूहिक रूप से पांच मई को हड़ताल करने वाले हैं। इसकी ओर मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और मांग की है कि सरकार अपनी श्रम नीति को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य दे, इन इश्यूज पर अपनी नीति स्पष्ट करे। पुलिस विभाग से भी मांग की है कि इस पर वे वक्तव्य दें। तो इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे स्वीकार किया जाय नहीं तो संकटपूर्ण स्थिति राज्य में पैदा हो सकती है। टेक्निकल ग्राउण्ड पर इसे रिजेक्ट न किया जाय। रूल 52 के तहत इसे लिया गया है जिसमें नाट मोर देन वन मैटर शुड बी....

इसके अन्तर्गत आपने व्यवस्था दी है आप मेरे कथन पर विचार करेंगे और इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह एक ही विषय पर है सरकार की लेबर पालिसी के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : पुनः विचार की जरूरत नहीं। आप दुबारा दे दीजिये। आज ही दे दें भले ही।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विषय केवल टेक्निकल तरीके से निपटाने का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसे इस तरह से निपटाने के विचार मेरे नहीं हैं। पर दूसरा प्रस्ताव आप आज ही दे दें ठीक करके। तो हम उस को ले लेंगे।

श्री रामानंद अग्रवाल : दो माह से आयुर्वेद सेवाश्रम में हड़ताल चल रही है। चित्तौड़गढ़ सीमेन्ट फैक्ट्री के सामने श्रमिक धरना देकर बैठे हैं। कोई कन्सोलियेशन आफिसर मुकर्रर नहीं किया गया। इसके बाद तमाम उदयपुर सेवाश्रम के मजदूर और संगठनों के मजदूर उनके प्रतिनिधि 24 से 28 तक यहां प्रदर्शन कर रहे हैं आज टूल डाउन स्ट्राइक है और तमाम उस क्षेत्र के मजदूर 5 मई को आम हड़ताल करने वाले हैं। सरकार की एण्टी लेबर पालिसी के खिलाफ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के रूप में।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों में व्याप्त इस असन्तोष पर सरकार का वक्तव्य दिलावें। हड़ताल करना श्रम मजदूरों के लिये लास्ट हथियार है।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा, भाषण की जरूरत नहीं है। आप दूसरा दे दीजियेगा एक विषय पर दे दिजियेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जरूरत हो तो यह भी दे दूंगा पर इस में एक विषय उदयपुर सेवाश्रम को लेकर ही वक्तव्य दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष : इस पर तो व्यवस्था मैं दे चुका हूं।

श्री मनोहरलाल (कामां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक सदस्य बोल रहे हैं (श्री गोपाल जोशी के खड़े होने

Page No 44

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
पर) आप क्यों बीच में व्यवधान कर रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : (श्री गिरधारी लाल भार्गव से) आप भी वही गलती कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इश्यू एक ही है सरकार की श्रम विरोधी नीति। प्रश्न यह है कि क्या हमारा मजदूर जब शान्तिपूर्ण तरीके से हड़ताल कर रहा है तो मालिक नई भरती कर ले ? क्या मालिक को इसकी इजाजत दी जा सकती है कि वह यह नहीं, अपना सामान मशीन आदि भी वहां से हटा कर ले जाये ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप किस विषय पर बोल रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न एक ही है।

श्री अध्यक्ष : आप भी कह चुके हैं, मैं भी कह चुका हूं इस पर वक्तव्य दिलाने की बात। पहले नोटिस तो दे दें। दूसरा दे दीजिये। आज ही दे दें चाहे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आयुर्वेद सेवाश्रम वाला ही ले लें।

श्री अध्यक्ष : वह तो रिजेक्ट हो चुका दुबारा लिख कर दे दीजियेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रामानन्दजी तीन अलग अलग लिख कर दे दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय प्रश्न वही है, फिर भी आप आयुर्वेद सेवाश्रम से सम्बन्धित रेफरेन्स से ही दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : दुबारा दे दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अननेसेसरी डिले होगी इससे।

श्री अध्यक्ष : डिले नहीं होगी, आज ही दे दें आप।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि तीन दिन से मजदूर दरवाजे के बाहर पड़े हैं लगातार। अब आप उनको 24 घंटे और इस दरवाजे के बाहर खड़ा रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको नियमानुकूल स्थगन प्रस्ताव भेजना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न नीति का है। मजदूर विरोधी नीति का प्रश्न है। आप उनको 24 घन्टे और रखना चाहते हैं। मैं समझता हूं कोई कारण नहीं है। भीलवाड़ा, उदयपुर से चल कर मजदूर आये हैं। आप उनको 24 घन्टे ....

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूं स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था यह है कि स्थगन प्रस्ताव तुरन्त आना चाहिये। आपके 24 दिन से ज्यादा हो गये धारा सभा शुरू हुये। पार्लियामेन्ट में भी यहं प्रोसीजर है कि स्थगन प्रस्ताव तुरन्त आना चाहिये। मैंने तो यह कहा है कि आप दुबारा दे दें। यह भी तो एक रियायत दी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोई रियायत नहीं है, अध्यक्ष महोदय। स्थिति गंभीर होती जा रही है।

श्री अध्यक्ष : इट इज योवर फाल्ट ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : एक प्रश्न प्रमुख है । यह मामला सेवाश्रम उदयपुर के श्रमिकों की लेबर की नीति और ला एन्ड आर्डर का तो है ही लेकिन माननीय सदस्यों को भी इससे यह ग्रेटेस्ट इनकन्विनियन्स हो रही है । हम लोग आते जाते हैं, रास्ते में बड़ी रुकावट रहती है, लेबर बाहर खड़ी हुई है और हमेशा डिस्टर्ब करती हैं । अपनी मांगों के सम्बन्ध में स्लोगन दे देते हैं और जोर जोर से पुकार रहे हैं । इसलिये मेरा निवेदन है आसन से उदार होकर स्थगन प्रस्ताव को ले लिया जाय जैसा माननीय सदस्य ने कहा उस भाषा को भी ले सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने भी तो उदार होकर ही कहा है आज ही दे दें ।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : श्रीमन के सम्मुख स्थगन प्रस्ताव रखा था····· माननीय सदस्य ने अपने भाषण के अन्दर जनता को यह कहा है कि एक दिन में एक पटवारी का सिर फोड़ा जाय और एक थानेदार को मारा जाय इसलिये सारे राजस्थान में कानून की व्यवस्था ठप्प है ।

श्री अध्यक्ष : दिस इज अन्डर एग्जामिनेशन ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे अफसोस है माननीय सदस्य को अखबार पढ़ने की आदत डालनी चाहिये ।

श्री गुमानमल लोढा : सारे राजस्थान से आ रहे हैं जनता से यह कहकर कि पटवारी का सिर फोड़ दें··· (अश्रव्य) सारे कर्मचारी आतंकित हैं । जो स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है···

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : ···आप कहां कहां से··· (अश्रव्य)

(दोनों माननीय सदस्यों के एक साथ बोलते रहने से अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढा : ···इस सदन की मर्यादा भंग करके बार बार इन्टरप्शन करते हैं । सारे सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, गंभीरता से विचार किया जा रहा है आप (श्री लोढ़ा) उच्च कोटि के वकील हैं । माननीय सदस्य आप उसके लिये एडजोर्जमेन्ट मोशन ला भी सकते हैं क्या ? इसलिये मैंने कहा एग्जामिन किया जा रहा है···

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : इतिहास में पहला मौका है कि एक माननीय सदस्य···

श्री गुमानमल लोढा : राजस्थान के अन्दर लेखा लिपिकों की हड़ताल की जा रही है । मामला गम्भीर है···

श्री अध्यक्ष : उसका भी मैंने निवेदन किया एक मई को जवाब दिया जायगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इस विषय पर···

श्री अध्यक्ष : इसी विषय पर कई स्थगन प्रस्ताव आयेंगे ।

Page No 46

श्री गुमानमल लोढ़ा : अलवर के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव चार दिन पूर्व रखा था ।

श्री अध्यक्ष : उसकी जानकारी चाही गई है ।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, हान्डाजी को तो बोलने में···

(दोनों मा0 सदस्य एक साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : काश्तकारों से सभी तरह की वसूली की जा रही है इसका एक स्थगन प्रस्ताव रखा था···

श्री अध्यक्ष : अगर थोड़ी देर बाद··· (विराम)···माननीय सदस्य फिर आप खूब बोलिये ।

श्री विट्ठल भाई : एक साथ वसूली क्यों की जा रही है ? इसका एक स्थगन प्रस्ताव रखा था । सरकार जानकारी दे कि क्या किया जा रहा है। फसल खेतों में है नहीं, किसान भूखों मर रहा है और लगान सारे कर एक साथ वसूल कर रहे हैं। कम से कम सरकार···

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

(कई मा. सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री मनोहरलाल (कामां) : अध्यक्ष महोदय, तीनों स्थगन प्रस्ताव अलग अलग नियमों में यह है कि अलग अलग लिखे जाने चाहिये । आप एक कागज इस्तेमाल···

श्री अध्यक्ष : उसमें आपको मेरी ही व्यवस्था माननी होगी ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय···

श्री मनोहरलाल : यह सरकार हरिजनों को, मुसलमानों को और दूसरे लोगों को पीटा जा रहा है । उनकी जमीन की नीलामी की जा रही है···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण का समय नहीं है । एडजोर्नमेंट मोशन पर भाषण होता नहीं है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जहां पर अकाल घोषित हुआ है वहां पर काम शुरू नहीं हुआ है । सरकार ने कहा था कि ··

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य) (व्यवधान)

श्री मनोहरलाल : ···मारपीट कर वसूल किया जा रहा है । नगरपालिका ने वर्गीकरण नहीं कराया···

श्री अध्यक्ष : यह आप बजट के समय कह दें ।

श्री विट्ठल भाई : सब जगह यही हाल है ।

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : नाट टू बी रेकार्डेड ।

Page No 47

श्री मनोहर लाल : + + +

श्री रघुनाथ विश्नोई : बजट पर बहस शुरू हो गई दिखती है ।

श्री अध्यक्ष : नाट टू बी रेकार्डेड ।

श्री मनोहरलाल : + + +

(माननीय सदस्य के बराबर बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष : क्या मैं अब भी आशा करूं कि आपको सदबुद्धि आयेगी ?

श्री मनोहरलाल : + +

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य न बोल सकता है न सुन सकता है। कितना व्यवधान हो रहा है ।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। कृपया आसन ग्रहण करें। कृपया आसन ग्रहण करें। कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री मनोहरलाल : + + +

श्री अध्यक्ष : मुझे नामजद करना पड़ेगा, देखिये ।

श्री मनोहरलाल : अध्यक्ष महोदय, हरिजनों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा...

श्री गुमानमल लोढा : (अश्रव्य)

श्री मनोहरलाल :
श्री बिट्ठल भाई :
श्री मनोहरलाल :
} (एक साथ बोलते अश्रव्य ।)

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गलत तरीका है । आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं माननीय सदस्य ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे व्यवस्था देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा । आप ध्यान दीजिये इस ओर। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य,

(श्री मनोहरलाल इस बीच लगातार बोलते रहे अश्रव्य)

माननीय सदस्य मुझे मजबूर होकर सख्त कदम उठाना पड़ेगा ।

(श्री मनोहरलाल द्वारा सदन से वाक आउट)

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय यह आश्वासन दिया गया था मंत्री महोदय की ओर से कि जब तक जांच नहीं कर ली जावेगी तब तक किसानों के साथ मारपीट या उनके खिलाफ कुर्कियां नहीं की जावेगी। मंत्री महोदय से आप पूछिये । राजस्थान की 2।। करोड़ जनता जवाब चाहती है । किसानों की झोंपड़िया कुर्क कर दी जायं, जला दी जायं और मंत्री महोदय इस बारे में मौन हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है । इसका पहले ही जवाब आ

+ + + माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)
चुका है, पूरी इन्फोर्मेशन आ चुकी है। मदेरना साहब जवाब दे चुके थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का इस सम्बन्ध में वक्तव्य हुआ था उसके सम्बन्ध में मेरी जानकारी के अनुसार कलेक्टरों ने और भी अभाव-ग्रस्त होने की रिपोर्ट भेजी है। वे नये तथ्य हैं जो सामने आये हैं। कोई रिलीफ ओप-रेशन्स नहीं किये गये हैं और वसूलियां जारी हैं।

दूसरे जिस तरीके से वसूलियां, कुर्कियां हो रही हैं, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी के आश्वासन के बाद ऐसा नहीं होना चाहिये। अलवर जिले में भी ऐसे मामले नोटिस में आये हैं। ये फैक्ट्स गवर्नमेन्ट के सामने आये हैं, गवर्नमेन्ट वक्तव्य दे। अध्यक्ष महोदय, इन सारी परिस्थितियों पर एक वक्तव्य होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कल एक पूछा प्रश्न था उसका ब्यौरेवार जवाब दिया था। उन्होंने यह बात कही थी कि इस सम्बन्ध में जो वसूलियां हो रहा है उनको बन्द करने के आदेश जारी कर देंगे। वसूलियां नहीं की जायं इसके लिए ऑर्डर जारी कर देंगे इससे वसूलियां बन्द हो जावेंगी और जो आप समस्या का हल चाहते हैं वह हो जावेगा। मंत्री महोदय जब बजट पर अपना वक्तव्य दें, तो इस सम्बन्ध में भी विशेष रूप से ध्यान देकर जवाब दें।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (मालपुरा) : आप इस सम्बन्ध में व्यवस्था देंगे कि किस प्रकार सदन के अन्दर····

श्री अध्यक्ष : उस मामले में बात हो रही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कल मंत्री जी ने स्टेटमेन्ट दिया और कहा कि वसूलियां नहीं होंगी उसके बावजूद भी वसूलियां हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष : कल तो उन्होंने कहा उसके बावजूद क्या ? आज जारी होंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आश्वासन दे दिया तो 24 घंटे की देरी क्यों की ? लोगों पर अन्याय होते रहे और उन पर लाठी प्रहार होते रहे ? उनकी झौंपड़ियां जलाई जायं। माननीय सदस्य जो चुनकर आये हैं वे स्थगन प्रस्ताव रखेंगे। आपने कल व्यवस्था दी कि पालियामेन्ट का नियम यहां पर भी लागू कर दिया गया स्थगन प्रस्तावों के लिये, उसको ठीक कर लिया, उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय सद-स्यों को स्थगन प्रस्ताव लाने का अधिकार है। मंत्री महोदय को आप आदेश दें कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विलम्ब न करें।

श्री अध्यक्ष : आपने सुना नहीं मैंने कहा वह।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अलवर के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव रखा। चार दिन हो गये, जवाब नहीं आया। अविश्वास का प्रस्ताव आना था, ए. डी. एम. राजनैतिक कारणों से नहीं जा सके। चार दिन तो हो गये। सदन के अन्दर एक सदस्य के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता तो माननीय सदस्य को भी पब्लिक में जाकर राज्य के कर्मचारियों के लिये यह

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

कहना कि कान तोड़ देंगे, खोपड़े फोड़ देंगे क्या यह उनके लिये उचित है ?

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : लोक सभा के बारे में चर्चा हुई। मैंने और गुमानमल जी ने जो स्थगन प्रस्ताव रखे हैं दोनों को इसमें शामिल कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री रामानन्द अग्रवाल : वियतनाम के प्रश्न पर···

श्री अध्यक्ष : आप हम चैम्बर में इसको डिस्कस कर लेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : मैंने दिनांक 5 अप्रेल को राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया था कि जयपुर के भूतपूर्व महाराजा रामबाग की जमीन और उसके साथ में एक और भूमि उस सबका 1 करोड़ 73 लाख में सौदा बम्बई की किसी फर्म के साथ कर रहे थे। जब इसकी जानकारी हुई थी तो आपके माध्यम से इस ओर आगाह करने की कोशिश की। प्रिवीपर्स तो समाप्त हो गये। Inventories of the properties of rulers of Rajasthan साफ शब्दों में उल्लेख किया है कि रामबाग पैलेस की जमीन को बेचने का अधिकार नहीं है और सक्सेसर के लिये रखी हुई जमीन है। आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि करोड़ों रुपयों की जमीन की बात है, इस रामबाग पैलेस में होटल चल रहा है और 27 दिन से कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं, अनशन पर लोग बैठे हैं और अव्यवस्था की स्थिति हो रही है। इन्वेन्टरी के अनुसार न तो उनको होटल चलाने का अधिकार था किराये पर, न इसको बेचने का अधिकार था। इस सम्बन्ध में इन्वेन्ट्रीज में एग्रीमेन्ट के अनुसार हुआ वह आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं Property which will be family property of His Highness and preserved for future successors.

Within Jaipur State—

City Palace, subject to the following conditions—

और उसमें कहा गया है—1. The building, housings the Art treasures such as carpets, manuscripts, armoury, & historical records that are to be converted into National Trust to be continued to be used for the said purpose and to be maintained by the Trust or by the Govt."

तो इस बारे में तो मेरा आप से यह निवेदन करने का था, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यहां पर लाखों, करोड़ों रुपये की पुरानी बेशकीमती चीजों की चोरियां जानबूझ कर करवायी गई क्योंकि वे उनको बेच नहीं सकते थे। पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज हुई। कर्मचारी भी पकड़े गये। उनके लिये यह जरूरी था कि वे इसको नेशनल ट्रस्ट को दे देते या गवर्नमेंट को बेचते लेकिन इतना रुपया उनको प्राप्त नहीं हो सकता था इसलिये चोरियां कराईं और

Page No 50

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

इस प्रकार करोड़ों रुपयों का धन यहां से अमूल्य चीजें बेच कर विदेशों में जमा कराया।

रामबाग पैलेस के बारे में मुख्य बात निवेदन करना चाहता था उसमें साफ शब्दों में उल्लेख है :

"Atish and Baggikhana buildings—If these buildings are to be utilised for Government purpose, funds will be provided by the Government for constructing suitable new buildings for housing the Atish and the Baggikhana.

(2) Ram Bagh Palace including—

(i) out houses,

(ii) All buildings within Palace compound, namely—

(a) Motor Garage with workshop and other fittings

(b) Motor Garage Bunglow,

(c) Jain Temple,

(d) Sawai Man Guards Mess.

(iii) Open land between Bhagwandas barracks and Bhawani Singh Road, already reserved under His Highness or-

और इसके अतिरिक्त इन्होंने दूसरे संक्शन (बी) में और दिया है उसमें कहा है : Private property with full rights of disposal within Jaipur State.

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जो 1 करोड़ 73 लाख का सौदा हुआ और जिस सौदे के सम्बन्ध में हालांकि निवेदन नहीं करना चाहता था जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कल बजट भाषण के अन्दर एक बात कही थी और वह पोद्दार पार्क में स्वागत समारोह के लिए कहा था। मैं भी उस स्वागत समारोह में गया था और जब मैंने यह देखा कि वहां पर चीफ टाउन प्लानर के कर्मचारी, अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के कर्मचारी और जयपुर महाराजा के हाउसहोल्ड के लोग और सारे ऐसे ही लोग वहां पर जमा थे, तो जनसंघ के माननीय सदस्य ने जब कहा था उस समय मेरे भी दिमाग में बात चक्कर काट रही थी जब तक कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का भाषण नहीं हुआ था, मेरी भी समझ में आ रहा था कि इस जनता को पूंजी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस जमीन को लेकर जयपुर नगर की आवासीय समस्या को हल किया जा सकता था और इस परपज के लिए भूमि को अवाप्त करना था और जिसको 70-80 रुपये गज के हिसाब से बेचा जा सकता था, जिसको 40 रुपये गज को रेट के अन्दर बम्बई की फर्म को रजिस्ट्री करा दी और जो शहरी सम्पत्ति की सीलिंग का कानून आने वाला था उसको मटियामेट कर दिया गया। लेकिन मुझे प्रसन्नता हुई जब मुख्य मंत्री जी ने वहां पर जिस ढंग से सारी स्थिति को क्लियर किया। तब मुझे मालूम हुआ कि

Page No 51

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
हमारे मुख्य मंत्री जी इस ओर सजग हैं और कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम शहरी सम्पत्ति की घोषणा कर चुके हैं कि बहुत जल्दी ही, इसी बजट सेशन के अन्दर ही इसको लागू कर देंगे, उसको बिल्कुल बेकार करने के लिए जो भूतपूर्व राजा–महाराजाओं ने षडयन्त्र किया है और जनता के हितों के साथ षडयन्त्र कर रहे हैं, उनको फेल करने के लिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी कि इसको आप रोकें और आप इस प्रकार की व्यवस्था करवायें जिससे हमारा जो शहरी सम्पत्ति का कानून आ रहा है उसकी भावना समाप्त न हो जाये।

हो सकता है हमारे यहां के एडवोकेट जनरल और लॉ डिपार्टमेंट के लोग इस प्रकार की बात सरकार से कह सकते हैं कि हम इसमें क्या करें, हमारा इसमें कोई अधिकार नहीं क्योंकि मैं समझता हूं कि यहां जो परम्परा रही है हमारे अधिकारियों की, एडवोकेट जनरल की और लॉ डिपार्टमेंट के लोगों की वह हमेशा उस वर्ग का पक्ष लेते हैं जो कि प्रभावशाली होता है और मैं मानता हूं कि भूतपूर्व राजा महाराजाओं का इन अधिकारियों के ऊपर प्रभाव है। हो सकता है वह सरकार से इस प्रकार का उत्तर दिलवा दें लेकिन मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे, इस सदन से और वित्त मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बजट भाषण के अन्दर इसको कहा था और उन्होंने जहां एग्रीकल्चर की सीलिंग की बात कही थी, उन्होंने समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए शहरी सम्पत्ति की सीलिंग की भी बात कही था अगर इस प्रकार से करोड़ों रुपयों की राशि इनको बांट दी जायेगी तो हम व्यवस्था नहीं कर सकेंगे। उन हजारों लोगों के रहने के लिए हम व्यवस्था नहीं कर सकेंगे जिनके लिए हमारे पास योजना है बसाने की और हम जिस गरीबी को खतम करने की बात करके चलना चाहते हैं वह ज्यों की त्यों रहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस इन्वेन्टरी के अन्दर सारी चीजों की व्याख्या की गयी है। जनसंघ के माननीय सदस्य ने सवाई मानसिंह टाउन हाल के लिए भी जिक्र किया था और इस इन्वेंटरी के अन्दर मैं कहना चाहता हूं कि बहुत साफ शब्दों में कहा गया है कि उस पर राजस्थान सरकार का कब्जा है। आतिश के अन्दर जिसके दुकानदार वर्षों से पीडित हैं और जिनसे मनमाना किराया लिया जाता है, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 20 हजार रुपये महीने का लाभ राजमाता को हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था, उनके लिए खन्दे के पास जमीन रिजर्व कर दी गयी और आतिश–नाम की और बग्गीखाना नाम की कोई चीज बाकी नहीं बचती और वे सब बेचते जा रहे हैं। अब कहीं आतिश और बग्गीखाना नहीं चलते हैं लेकिन उनके नाम पर जो जमीन रखी गयी है, मैं कहना चाहता हूं कि बदली हुई परिस्थितियों में अगर कहीं कानूनी अड़चन आती है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप आर्डीनेंस लायें या किसी और प्रकार की व्यवस्था करें। करोड़ों नहीं अरबों रुपयों की बात मैं आपसे निवेदन करना

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

चाहता हूं कि अरबों रुपयों की सम्पत्ति राजा महाराजाओं के नाम पर है उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस सम्पत्ति को जब्त किया जाये। नेशनल ट्रस्ट के अन्दर जिसको कन्वर्ट करने की बात थी वह नहीं की गयी और मैं यह सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने उसकी भी उपेक्षा बरती और जिन अधिकारियों के कारण से ऐसा हुआ उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। जब प्रिवीपर्सेस खत्म हुए, हिज हाईनेस और ऐसी उपाधियां जो उनके नाम के आगे लगती थी उनको हमने समाप्त किया, उसके बाद सरकार को जो कार्यवाही करवानी चाहिए थीं वह उन्होंने नहीं करवाई और उसका परिणाम यह है कि जो मैं आपसे कहना चाहता हूं दुर्गापुरा की 400 बीघा जमीन बिल्कुल बेकार पड़ी है इनके नाम। आज यहां का किसान जमीन के लिए तड़प रहा है और नगर में आवासीय समस्या है। इसी प्रकार से खातीपुरा बीड के अन्दर 1600 बीघा जमीन इनकी पड़ी हुई है और कहीं ये हाईकोर्ट में जाकर स्टे ले आते हैं और राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में यह कहा था कि हाईकोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगादी इसलिए हम इसको कार्यान्वित नहीं कर सके इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानूनी बाधा को जनता के हितों के अन्दर और गरीबी को दूर करने के लिए प्रयास करें। आज इन्वेन्टरी के अन्दर उल्लेख है जमीन और बंगलों के बारे में और जिसके बारे में मैंने साफ निवेदन किया कि हो सकता है वे सरकार से उत्तर दिलायें कि हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं यह इनवेन्टरी प्रमाण है कि इसमें यह भी लिखा हुआ है बंगला नम्बर 15 और 16 के अन्दर उनके लोग रहते हैं उसको सरकार तत्काल खाली करवा कर अपने कब्जे में ले। जनानी ड्योढ़ी और जलेबी चौक के अन्दर बिल्डिंग्स हैं उनके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि उन पर राजस्थान सरकार का कब्जा होना चाहिए और मैं कहना चाहता हूं कि उनको सार्वजनिक कामों में लेकर उनमें स्कूल चलाये जाने चाहिये। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे हजारों लोगों को जो कि बहुत परेशानी के अन्दर है, जो आवासीय समस्या से परेशान हैं, उन लोगों के अन्दर इस सम्पत्ति का बंटवारा कर दिया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो रूप मानकर चलता हूं, एक तो जयपुर के भूतपूर्व महाराजा श्री भवानीसिंह का रूप है और दूसरा रूप एक व्यक्ति भवानीसिंह जो है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर रामबाग की भूमि के लिए मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया है यह भूमि उनके सक्सेसर के लिए छोड़ी गई थी। वे राजगद्दी पर बैठे और एक्ट के अनुसार वे महाराजा हैं लेकिन अब हमने प्रिवीपर्सेस खत्म कर दिये और उनकी सारी उपाधियां समाप्त कर दीं तो अब इस भूमि के बांटने की बात है और बम्बई की किसी फर्म के नाम पर इस भूमि को रजिस्ट्री हुई और वह भूमि उनके सक्सेसर के लिए छोड़ी गई है और अब हमारे फैसला करने की बात है कि हम जो शहरी सम्पत्ति की सीलिंग ला रहे

Page No 53

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

हैं और उस सीलिंग के अन्दर निश्चित रूप से भूतपूर्व राजा महाराजा भी आयेंगे इस लिए मैं निवेदन करता हूं कि किसी प्रकार से भी सरकार इसका रास्ता सोचें कि किस प्रकार से तुरन्त जो रजिस्ट्री हुई है और बहुत बड़ा षड़यंत्र किया जा रहा है उसको विफल करने के लिए सरकार तत्काल कदम उठाये, यह मेरा निवेदन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : इस पर डिस्कशन नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं, माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से इस प्रश्न को रखा है इसमें एक लीगल क्वेश्चन उठता है जिसके ऊपर मैं ध्यान दिलाऊंगा ताकि मंत्री महोदय उत्तर देंगे तो वह रिलेवेन्ट होगा और जनहित में भी होगा· · ·

श्री अध्यक्ष : यह डिस्कशन का पार्ट नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं डिस्कशन के रूप में नहीं कहता। जो रामबाग का प्रश्न उठाया है, यह जो इन्वेन्टरी है यह उस कोनेन्ट के तहत बनी थी जिसमें कि रूल्स के साथ इन्टीग्रेशन के समय एक्सेशन के इन्सट्रूमेन्ट के साथ साइन लिया गया था। तो यह इन्वेन्टरी कोनेन्ट का हिस्सा है और एक्सेशन का सप्लीमेन्टरी पार्ट है जो कि रूलर्स से गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने किया था। अब कान्सटीट्यूशनल अमेन्डमेन्ट के तहत रूलर्स समाप्त हो गए। रूलर्स समाप्त होते ही जो भी एक्सेशन किया गया था उस कोनेन्ट के तहत जो भी इन्वेन्टरी थी वह खत्म हो गयी, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस इन्वेन्टरी के तहत जो भी प्रापर्टी, पर्सनल प्रापर्टी बताई गई है, उनके रूलर न रहने के कारण उनकी कोई पर्सनल प्रापर्टी नहीं रह गई है। अब कोई रूलर नहीं है, अब भवानीसिंह है। यह रूलर भवानीसिंह की इन्वेन्टरी, जब भवानीसिंह रूलर नहीं रहे, तो उनकी नहीं होकर सरकार की है, पब्लिक की है। रामबाग पैलेस और दूसरी सब की सब प्रापर्टी पब्लिक प्रापर्टी है स्टेट की प्रापर्टी है। वह रूलर होने की वजह से ही उनके पास में थी। इस पाइन्ट को मैं पहले ही सदन में रख चुका हूं और अब फिर सरकार को कहना चाहता हूं कि इस पाइन्ट आफ व्यू से सरकार विचार करे और फौरन जब तक कि क्लासीफिकेशन हो, सरकार इन जमीनों, जायदादों पर कब्जा कर ले। उनको जरूरत पड़ेगी तो वे हाईकोर्ट में जायेंगे और स्टे लायेंगे। मैं इस मामले में कन्विन्स्ड हूं और इस विषय पर मैंने हाईकोर्ट के एडवोकेट से भी डिस्कशन किया है। उनकी भी यही राय है।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सीलिंग लागू करना चाहते हैं। आप सीलिंग लागू करने के पहले प्रिवेन्टिव एक्शन फौरन लगा सकते हैं, चाहे वह आर्डिनेन्स के जरिये हो। या एक इन्टरिम एक्ट लाकर इसको लागू कर सकते हैं ताकि कोई भूमि बेची न जा सके। यह बात सामने रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहनलाल छंगानी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं। मंत्री महोदय का वक्तव्य हो जाने दीजिये। इस पर कोई डिस्कसन नहीं होगा।

श्री मोहनलाल छंगानी : यह निवेदन करना चाहता हूं इन्वेन्टरी के बारे में। यह जो इन्वेन्टरी का प्रश्न है जो इन्वेन्टरी बनाई गई थी, उस समय दो इन्वेन्टरीज बनाई गई थीं। एक तो राजाओं के सक्सेसर को दी जाने वाली प्रापर्टीज की इन्वेन्टरी थी। यह सब आप वी. पी. मेनन की किताब से देख सकते हैं, उस वक्त जो नोट्स लिये गये थे उसको देख कर कर सकते हैं। सक्सेसर के लिये जो इन्वेन्टरी थी उसमें यह स्थिति थी कि वह जमीन बेची नहीं जायेगी जिस तरह से राजाओं के अधिकार कायम रहेंगे तो यह इन्वेन्टरीज कायम रहेंगी। अब दिल्ली के लॉ डिपार्टमेन्ट से राज्य सरकार राय ले रही है। मेरा आरोप है कि लॉ डिपार्टमेन्ट के एक अधिकारी ने इस जमीन को बेचने से रोकने और अधिकार करने के सम्बन्ध में राय देने में देरी की है। इसलिये हमें इस दृष्टिकोण को बदलना होगा जिस दिशा में हम प्रगति कर रहे हैं, जिस जमीन को हम सीलिंग में लेना चाहते हैं, उस पर हम क्या कदम उठा रहे हैं, यह सोचना होगा। मैं खास तौर से लॉ डिपार्टमेन्ट पर यह चार्ज लगाता हूं। विशेषाधिकार खत्म करने के समय हमारे लॉ डिपार्टमेन्ट ने इसको खत्म करने का तय नहीं किया जब कि हमारे चीफ सेक्रेटरी प्रगतिशील हैं।..

श्री **अध्यक्ष** : मूल बात आ गई है।

श्री हरिदेव जोशी (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर से आने वाले माननीय सदस्य श्री श्रीराम गोटेवाला, श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव और श्रीमती ऊषा प्रकाश, सदस्य विधान सभा द्वारा एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव में यह अंकित किया गया है कि जयपुर के महाराजा या उनके अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा 3 लाख 57 हजार वर्ग गज जमीन बम्बई और आसाम की पार्टियों को बेची जा रही है। इसके अलावा प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि राजाओं के विशेषाधिकार समाप्त हो जाने के पश्चात् इनको अब जमीन बेचने का अधिकार नहीं रह गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि एक तरफ बड़े आदमी जमीनों को बेच रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी आवास समस्या के कारण परेशान हो रहा है। शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा लागू करने की घोषणा करने के बाद उससे बचने के लिये यह कार्यवाही की जा रही है। माननीय सदस्यगणों ने भूमि का क्षेत्रफल तो दिया है परन्तु उसका विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। विवरण के अभाव में यह देखना कठिन है कि कौन कौन सी जमीन बेची जा रही है। जिलाधीश, जयपुर, से इस सम्बन्ध में सूचना मांगी गई और उन्होंने सब रजिस्ट्रार, पंजीकरण से प्राप्त सूचना के आधार पर यह बताया है कि भूतपूर्व महाराजा जयपुर द्वारा पाल के बाग, मायरा का चौगान और कमल का टीला में 76 प्लाट्स विभिन्न व्यक्तियों को बेचे हैं। जिनमें से 59 प्लाट्स 1971 में बेचे और 17 प्लाटस मार्च 72 तक बेचे गये हैं। इन प्लाट्स का औसतन मूल्य 7000 रुपया प्रति प्लाट बताया गया है। इस विक्रय के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों के विक्रय पत्र

(श्री हरिदेव जोशी)
रजिस्ट्रेशन हेतु रजिस्ट्रार को प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिलाधीश, जयपुर से कहा गया है कि जैसे ही इस सम्बन्ध में और कोई पंजीकरण हेतु पत्र भूतपूर्व नरेश की ओर से या उनके अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा कोई कार्यवाही की जाये तो उससे राज्य सरकार को अवगत करावें।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है, उसके परे भी कुछ बातें कही हैं और उन्होंने यह जानकारी दी है कि जयपुर के सिवाय और दूसरी जगह पर भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। राज्य सरकार इस चीज को देखेगी और सारी स्थिति को जिस तरह से नियन्त्रित कर सकती है, करेगी। यह प्रश्न कि एज ए रूलर इन्वेन्टरो में उन्हें जो जमीन, प्रापर्टी दी गई है, जब वे रूलर नहीं रहे तो वह प्रापर्टी, जमीन, स्टेट को रिवर्ट हो, स्टेट गवर्नमेन्ट ने इस स्थिति पर alive है और गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया को काफी समय पहले इस विषय में लिखा गया है और कहा है–

All the properties whether ancestral or personal held by the rulers-is it to be inferred that all the properties revert to the State.

हम गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया से उनकी राय ले रहे हैं। इस विषय में वैसे गवर्नमेन्ट alive है और उस को जो कुछ भी कार्यवाही करनी होगी, वह करेगी चाहे महाराजा जयपुर हो या दूसरा कोई हो। कोई भी व्यक्ति कानून के खिलाफ कार्यवाही करेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, यही निवेदन मुझे करना है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार के लॉ डिपार्टमेंट से ही क्यों नहीं पूछते हैं?

श्री हरिदेव जोशी : हमने अपने डिपार्टमेंट से भी कहा है परन्तु भारत सरकार के विधि विभाग के पास ज्यादा सुविधा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह पत्र कब लिखा गया है?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : इन्टरिम एक्ट के बारे में जो सुझाव माननीय सदस्य, रामानन्दजी ने दिया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है?

श्री हरिदेव जोशी : 11 अप्रैल को लिखा गया है पत्र भारत सरकार को, ऐसा मुझे कहा गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा। मैंने यह प्रश्न 5 अप्रैल को यहां पर पहले भी उठाया था और उसके बाद 11 अप्रैल को यह पत्र लिखा गया है। जो बात मैंने अपने भाषण में कही है, उस बात को मानते हुए भी, अगर माननीय मंत्रीजी जैसा कि सदन में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, उनके सुझाव को स्वीकार करते हुए, इस प्रकार का कोई एक्ट लागू करने की बात करें, जिससे कि प्रापर्टी वगैरह बिकना बन्द हो और

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

जिनकी सम्पत्ति को हम शहरी सम्पत्ति सीलिंग के अन्तर्गत लेना चाहते हैं वह खुर्द बुर्द न हो, मैं समझता हूं कि अगर इसको लागू करते हैं तो एक अच्छी ही बात करेंगे और आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय सदन को ऐसा आश्वासन देंगे।

श्री हरिदेव जोशी : अगर इस प्रकार का कानून जरूरी हुआ, और मौजूदा कानून मदद नहीं करते हैं तो ऐसी कार्यवाही करना जो जरूरी होगा की जायेगी।

आय-व्ययक पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, कल आपने आदेश फर्माया था कि नीम के थाने के रामकुमार के हत्या काण्ड के बारे में मंत्री महोदय कल वक्तव्य देंगे। सरकार का उत्तर हो जाये तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने कब कहा था ऐसा?

श्री गुमानमल लोढा : आपने कहा था कल से लिया जायगा सरकार का उत्तर आ चुका है।

श्री अध्यक्ष : मुझे तो याद नहीं।

श्री गुमानमल लोढा : नीम के थाने में रामकुमार के हत्याकाण्ड के बारे में सरकार का उत्तर आपके पास आ गया है।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेन्ट आज देंगे यह तो नहीं कहा। जवाब तो शायद आ गया है। कल होगा।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री बी. एन. जोशी।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान सरकार के 72-73 के बजट अनुमानों पर कुछ निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरी पूर्ण सहानुभूति माननीय वित्त मंत्रीजी के साथ है कि जिनको इस घाटे की स्थिति में बजट तैयार करना पड़ा है। आज की तारीख में इस राजस्थान राज्य की स्थिति को हम देखें तो हमें हैरानी में पड़ना पड़ता है और बड़ी निराशाजनक तस्वीर हमारे सामने आती है। आज इसी बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्रीजी के स्वयं के आंकड़ों को लेकर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य पर 645 करोड़ 16 लाख का अब से पहले का कर्जा है। श्रीमान्, इस वर्ष 31 करोड़ 24 लाख का घाटा दिखाया गया है और फिर ओवर-ड्राफ्ट चला जा रहा है वह भी एक प्रकार से राजस्थान राज्य पर टैम्प्ररी डेट की शक्ल में है जब तक कि उसको वाइप आउट न कर दें। तो उसका स्टेंडिंग फिगर करीब 90 करोड़ का है, और उसके बाद जैसा कि बजट में पेश किया है फाइनली टेली करने पर कुछ ज्यादा जा सकता है। मेरे ख्याल में 91-92 करोड़ तक वह फीगर पहुँच चुका है। इस प्रकार से 92 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट वह भी एक प्रकार का कर्जा है। इन सब को मिलाकर यदि हम देखते हैं तो 766 करोड़ 66 लाख तक

Page No 57

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)
वह पहुँचता है । तो बड़ो ही निराशाजनक तस्वीर हमारे सामने आती है । वित्त मंत्रीजी के साथ मेरी सहानुभूति है । उनका काम बड़ा दुरूह है · · ·

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : आपको दुःख प्रकट करना चाहिए । आप पहले उपवित्त मंत्री रह चुके हैं ।

(1.00 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : उस समय के भी पहले का है ।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : यह तो बढ़ता जा रहा है ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : वह हम सब की जनरल रैस्पान्सिबिलिटी है । राजस्थान राज्य पर बढ़ी हुई देनदारी वास्तव में बड़ा ही चिन्ता का हम सब के लिए विषय है । मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जो वैद्य जरूर हैं लेकिन उन्होंने इस दुरूह मर्ज का कोई ठीक निदान भी नहीं किया, और उसके उपचार के लिए प्रेस्क्रिपशन जो ठीक तरह का होना चाहिए था, जो कारगर होना चाहिए था, उसके भी बतलाने की चेष्टा इस बजट में नहीं की गई । राजस्थान पर पहले ही काफी देनदारी है और इस बजट में उस देनदारी को कम करने के लिए कुछ नहीं किया गया है । हो सकता है कि आपको कुछ मजबूरी हो सकती है, लेकिन उलटे आपने देनदारी को बढ़ा दिया है, 31 करोड़ 24 लाख का घाटा इस वर्ष का और है जिसको जोड़ देने पर देनदारी और ज्यादा बढ़ जाती है । मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए भी कि हमको किस प्रकार से राजस्थान राज्य की सरकार और जनता को इस ऋण के दायित्व से मुक्त करना है इस दिशा में हम बदकिस्मती से कोई ठोस कदम नहीं उठा पाये हैं, और इस वर्ष भी बजट के भाषण में कोई आशा की किरण नहीं दिखाई पड़ रही है । तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि इस तरीके से जब तक कि हम कोई विशेष प्रयत्न सही दिशा में नहीं कर पायेंगे और नहीं सोच पायेंगे इस प्रकार के पैच वर्क से मैं यह निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान राज्य की देनदारी, इन्डेटेडनेस, इस बीसवीं शताब्दि के एण्ड तक भी समाप्त नहीं हो सकती है । मुझे माफ करें यदि मैं यह कहूं कि यह इक्कीसवीं शताब्दी के मध्य तक भी समाप्त नहीं हो सकती है । तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे यह राज्य इस ऋण से मुक्ति पा सके, यदि पूर्ण रूप से नहीं तो आंशिक रूप से ही छुटकारा पा सके । राजस्थान की ढाई करोड़ जनता के चुने हुए हम प्रतिनिधि जो यहां एकत्रित हुए हैं तो इसके लिए हम सब पर बहुत बड़ा दायित्व है ।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि इसका थोड़ा सा इशारा हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में दिया है । उन्होंने एक नेशनल डेट कमीशन की स्थापना का जिक्र किया है । उसमें भारत सरकार के विशेषज्ञ होंगे । भारत सरकार उसका गठन करेगी, और माफ करें भारत सरकार के नुक्ते नजर से

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

सारे मामले देखे जायेंगे, और राज्यों की वित्तीय स्थिति जो दयनीय होती जा रही है, जिसमें राजस्थान राज्य एक अग्रणी राज्य है बदकिस्मती से, वह इस दिशा में अपने नुक्ते नजर से इसको देख पाये और हल निकाल पाये यह एक बहुत ही ऐसी आशा है जिसको निराशा ही कहा जा सकता है। इसलिए यह कोई हल नहीं हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर हम अपनी भावी संतान के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सारी शक्ति लगाकर, इधर-उधर बैठने वालों को अपने भेदभाव भुलाकर खास तौर से जनता के नुमाइन्दागण को जो इस सदन की छत के नीचे बैठे हैं, उनका पहला कर्तव्य है कि वे यह सोचें कि राजस्थान पर बढ़ते हुए ऋण के हिमालय पहाड़ से भार को जिससे सारे प्रयत्नों के बावजूद छुटकारा नहीं मिल रहा है कोई आशा की किरण नहीं दिख रही है, उसको कम करने के लिए, कोई न कोई हल निकालें। यह राजस्थान के पब्लिक मैन, नेता साहबान का सम्मिलित दायित्व है। हमको एक कोआपरेटिव स्प्रिट से मिलकर इसका साल्युशन जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं दो ही बातें निवेदन करना चाहूंगा कि फेडरल फाइनेन्स सेट अप जो है भारत का वह बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार है, इस मायने में कि जो भी फ्लेक्सिबिल सोर्सेज आफ रेवेन्यू हैं, आमदनी के अच्छे जरिये हैं वह भारत के संविधान में राज्यों और केन्द्र के बीच में कर्तव्यों और ड्यूटीज का बंटवारा किया गया है तो उसमें सारे फ्लेक्सिबल सोर्सेज आफ रेवेन्यू जो हैं वे चले गये हैं केन्द्र के पास में और जो एक्सपेन्डीचर के आइटम्स हैं वे राज्यों के पास रह गये हैं। जैसे शिक्षा का विषय है वह हमारे राज्य को आमदनी में से 46–48 करोड़ सालाना ले लेता है। वह पूरी की पूरी राज्य की जिम्मेदारी है। पुलिस की, राज्य की जिम्मेदारी है, चिकित्सा की राज्य की जिम्मेदारी है, दुर्भिक्ष, फ्लड रिलीफ, फेमीन रिलीफ, ये सारी राज्य की जिम्मेदारियां हैं। जो बड़े बड़े खर्चे की चीजें हैं वे सब राज्यों की जिम्मेदारी में हैं, और भारत सरकार के पास में जो फ्लेक्सिबल सोर्सेज आफ रेवेन्यू हैं वह सारे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन्कम टैक्स जो एक बहुत बड़ा सोर्स आफ रेवेन्यू है वह भारत सरकार के पास में है। रेलवेज हैं वह एक अच्छा सोर्स आफ रेवेन्यू है वह केन्द्रीय सरकार के पास में है। पोस्ट एण्ड टेलिग्राफ भी एक अच्छा आमदनी का जरिया है वह भी भारत सरकार के पास में है। शिपिंग है वह भी भारत सरकार के पास में है। सिविल एवियेशन सेन्टर के पास में है। सारे जो फ्लेक्सिबल सोर्सेज आफ रेवेन्यू हैं वह हमारे संविधान में जो डिस्ट्रिब्यूशन आफ पावर बिटवीन दी सेन्टर एण्ड स्टेट्स में वह दे दिये गये हैं केन्द्र को और खर्चे के मद दिये गये हैं राज्यों को। मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान–निर्माता वास्तव में बड़ी दूरन्देशी से सोचने वाले लोग थे। वे वास्तव में राष्ट्र के महान् शुभचिन्तक थे। सन् 47 में हिन्दुस्तान की जनता ने जिन हालत में आजादी प्राप्त की और देश की जो अवस्था

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)
थी उसको देखते हुए यह जो कुछ किया गया है वह सही किया गया है। भारत एक समय एक ऐसा राष्ट्र था जिसमें विचारों की भिन्नता थी, रहन-सहन की भिन्नता थी, मजहब की भिन्नता थी और हर प्रकार की भिन्नताएं थीं। उससे राष्ट्र की एकता को बहुत कुछ खतरा था। एक कहावत है अंग्रेजी में–

"He who plays the piper has the right to name the tune."

जिसके हाथ में थैली होती है वही सब पर कन्ट्रोल कर सकता है। भारतीय संविधान में केन्द्र के हाथ में थैली दी गई है इसलिए वह जो कुछ भी चाहे राज्यों से मनवाने की सोचे वह मनवा सकता है। जबरदस्ती का डंडा उनके पास नहीं था फिर भी वे वास्तव में बड़े समझदार थे कि उन्होंने थैली का सारा चार्ज केन्द्र को दिया और इसलिए दिया कि राज्यों की सरकारें उनका मुंह देखती रहें...

श्री निरंजननाथ आचार्य : The Chair is on the front side.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : I am sorry, I never meant any dis-respect to the Chair.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि असल में भारत के संविधान का निर्माण करने वाले दूरन्देशी लोग थे। उन्होंने सोचा कि इस देश के रीति-रिवाज अलग अलग हैं सोचने के तरीके अलग अलग हैं, कहां आसाम और कहां केरल। इतनी भिन्नताओं के बावजूद भी देश को एक रखना है तो यह जरूरी है कि पर्स स्ट्रिंग का सारा कन्ट्रोल अपने हाथ में रखो और उन्होंने इसको जरूरी समझा। तो सारे एलेस्टिक सोर्सेज आफ रैवेन्यू जितने थे वे सारे सेन्टर को ट्रान्सफर किये गये और खर्चे की मदें ट्रान्सफर करना पड़ गई स्टेट्स को, और राज्यों की ऐसी स्थिति बन गई कि जिससे सारे राज्यों को केन्द्र पर आर्थिक दृष्टि से अवलम्बित रहना पड़े, और यदि आर्थिक दृष्टि से अवलम्बित रहेंगे तो केन्द्र के खिलाफ़ बगावत करने की स्थिति में नहीं आ सकते हैं। तो एक तरह से भारत का संविधान बनाने वालों ने दूरन्देशी से काम किया है। प्रारम्भिक वर्षों में आज जैसी परिस्थितियां और आज जैसी परम्पराएं नहीं थीं। किन्तु आज 25 साल हो गये हैं। वह पेज भी पूरा हो गया है। ईश्वर की दया से काफी जाग्रति आई है। देश में जो अन्देशा था, वह कम हो चुका है। राष्ट्र के प्रति लोगों में भावना जाग्रत हुई है। इसलिए अब डिस्ट्रीब्यूशन आफ फाइनेंशियल पावर्स बिटवीन सेन्टर एण्ड दी स्टेट्स पर पुनः विचार होना चाहिये। आज स्थिति यह है कि स्टेट्स दबी हुई हैं। जो स्कीम्स हैं, वह सेण्ट्रल की दी हुई हैं। जो आय है, वह सेण्ट्रल के पास चली जाती है। स्कीम्स पर राज्य सरकार को व्यय करना पड़ता है। इरिगेशन है, शिक्षा है, दुर्भिक्ष है, फेमिन रिलीफ है, ये सारे खर्चे स्टेट को दिये हुए हैं। यह भारत के महान व्यक्तियों ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ में इस संविधान को बनाया था। 1947 में यहां स्टेट्स के अलग अलग रीति रिवाज थे। साउथ वाले कहते

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

थे कि हम हिन्दी को मानते ही नहीं। इसीलिए उन्होंने यह किया। क्योंकि कहावत है— He who plays the piper has the right to name the tune.

एक एक पैसे के लिए भारत सरकार के अधीन रखा तो भारत के खिलाफ कोई बगावत करने की नहीं सोचेगा। उस हालत में यह मामला उठा था। लेकिन अब वह खतरा दूर हो चुका है। देश के लिए सभी लोग सोचने लगे हैं। अपनी स्टेट्स के बारे में भी लोग सोचने लगे हैं। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन आफ फाइनेंशियल सोर्सेज बिटवीन सेण्ट्रल एण्ड स्टेट पर पुनर्विचार होना चाहिए अन्यथा ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी खर्चे की मद है, वह सब राज्यों को दी हुई है। शिक्षा, फेमिन रिलीफ, पी. डब्लू. डी., वह राज्यों को दी हुई हैं। आमदनी के जो जो जरिये हैं जैसे रेलवे है, शिपिंग है, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ है, और जितनी भी आमदनियां हैं, भारत के संविधान के अनुसार वह सब केन्द्र को दे दी गई हैं। भारत का संविधान बनाने वालों को यह अन्दाजा लग गया था कि इस प्रकार से राज्य केन्द्र के ऋणी रहेंगे। इसीलिए यह रखा है। मिसाल के तौर एवरी फाइव ईयर में केन्द्रीय सरकार ने एक कमीशन का प्रावधान किया है जो कि राज्य की स्थितियों को देखा करता है। हमारी सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट अनुदान भी देती है खर्चा चलाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सेण्ट्रल असिस्टेंस जो हमको मिलती है, उसमें लोन कम्पोनेण्ट ज्यादा रहता है, मदद कम्पोनेण्ट कम रहता है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आपके ख्याल से केन्द्र पर कर्जा नहीं होगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : इस गुलामी से कैसे निकला जाये, जोशी जी ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : गुलामी से निकलने की बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आप तो कर्जे से निकलने की तरकीब बताइये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : खास तौर से जिस बात के लिए यह किया गया था, वह परपज तो 25 साल में पूरा हो गया है। अब थोड़ा सा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसीलिए हम सेण्ट्रल गवर्नमेन्ट से एप्रोच करें। तो, मेरा ख्याल है, कोई बुरी बात नहीं है। जैसी कि बड़े भाई और छोटे भाई की बात होती है। इस तरह से मैं वित्त मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा। और भी दूसरे राज्य हैं ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ मूव किया था उस सम्बन्ध में आपकी क्या राय है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मुझे याद नहीं है। क्या मूव किया था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को एडवाइज देते हुए कहा था।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : दूसरा इसका उपाध्यक्ष महोदय, पहलू यह भी था कि फेडरल इण्टीग्रेशन जिस समय हुआ था, उस समय राजस्थान के लिए जो होना

Page No 61

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

चाहिए था, वह नहीं हुआ है। यह राजस्थान छोटी छोटी स्टेट्स को मिलाकर बना था। मुश्किल स राज्यों का उन्होंने बताया था। उसके बावजूद गवर्नमेण्ट जो कर्जा देती है, उसका व्याज भी लेती है। इस वर्ष 6 करोड़ व्याज है। आज भी इस बजट में हमको 48 करोड़ का प्रावधान केवल व्याज का करना पड़ा है। भारत सरकार ने एक पैसा भी दिए बिना गरीब जनता की पूंजी को, एक पैसा व्याज दिये बिना यह उन्होंने ले लिये। उदयपुर स्टेट रेलवे थी। बीकानेर स्टेट रेलवे थी। जयपुर रेलवे थी। धौलपुर रेलवे थी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : डूंगरपुर स्टेट रेलवे भी थी।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : डूंगरपुर स्टेट रेलवे थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : I did not say that.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : खैर, मैं यह मानकर नहीं चल सकता हूं कि हमारे भूतपूर्व स्पीकर महोदय मुझे गलत बतलायेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह मानकर चल रहा हूं कि हमारे भूतपूर्व स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर यह जानते हैं।

श्री **विश्वम्भरनाथ जोशी** : साढ़े 13 करोड़ की रेलवे, गरीब रियासती जनता की थी। वह एक फूटी कौड़ी लिए बिना भारत सरकार को दे दी गई। मिलेट्री फोर्सेज थीं। उनके इक्विपमेण्ट्स थे। हथियार, मशीनगन, राईफल वगैरह थीं। कण्टूनमेण्ट थीं। ट्रेण्ड फोर्सेज थीं। जिनको भारत सरकार ने अपने आप में इण्टीग्रेट कर लीं। एक पैसा भी मुआविजे का नहीं मिला। इसके साथ साथ बहुत सी रियासतों में पोस्टल सिस्टम था, जैसे जयपुर रियासत में पोस्टल सिस्टम था, उसको सारी प्रापर्टी वगैरह गवर्नमेंट आफ इंडिया को हैण्ड ओवर हो गई। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने कहा कि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन आफ असैट्स एण्ड लाइबिलिटीज होगा। तो इस प्रकार से साढ़े तेरह करोड़ तो रेलवे की बुक वेल्यू हुई, मिलिट्री ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, हथियार, वर्दी आदि का डेढ़ करोड़ मान लें, पोस्टल सिस्टम जो जिन रियासतों में था उसका एक करोड़ मान लें तो इस प्रकार रियासतों के सोलह करोड़ के असैट्स थे, वह असैट्स इतनी वेल्यू के थे, वह उस समय सस्ताई के जमाने में बने थे, महाराजा माधोसिंह के जमाने से पहले, साठ-सत्तर साल पहले, जब छः पैसे में मजदूर काम करता था, उस सस्ते जमाने में जयपुर के अन्दर स्टेट रेलवे बनी, जोधपुर में बनी, धौलपुर स्टेट रेलवे बनी। उस समय की बुक वेल्यू बताई है, वह साढ़े सोलह करोड़ की बुक वेल्यू बताई है, अगर मार्केट वेल्यू से देखें तो कम से कम ट्वेन्टी टाइम्स उस वेल्यू की होगी। इसमें ऐसा होता है कि साढ़े सोलह करोड़ आज के हिसाब से, यानि ट्वेन्टी टाइम के हिसाब से जब कि आज मजदूर तीन रुपये में भी नहीं आता है, 320 करोड़ होती है, साढ़े सोलह करोड़ का ट्वेन्टी टाइम्स 32 करोड़ की असैट्स होती है जो फूटी कौड़ी मुआवजा दिये बिना फेडरल फाइनेन्सियल इन्टेग्रेशन स्कीम के तहत ट्रान्सफर हो गये जो कि रियासतों की जनता ने गरीब जनता ने, कर का भार वहन कर, असैट्स बिल्ड किये थे, उन असैट्स को मार्केट वेल्यू आज होती है 320 करोड़...

Page No 62

श्री निरंजननाथ आचार्य : दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।

श्री शिवम्भरनाथ जोशी : मैं अर्ज कर रहा था, वह हो गया, वह देश की एकता के लिहाज से जरूरी था, इसलिये वह किया उसके लिए हमनें कोई शिकायत शिकवा नहीं है, कोई शिकायत शिकवा रखे बगैर आज इसके लिए हम मुस्तहक हैं। लेकिन भारत सरकार आज मनी लेण्डर की तरह व्यवहार करती है, जैसे बोहरे और आसामी का रिस्ता होता है वैसा रिस्ता रखती है कि इतने रुपये का कर्ज हो गया, वह आप चुकायेंगे असल में और इतना व्याज लिया जाता है, जब कि हमारी जो चीज थी वह ले ली और उसके एवज में एक पैसा भी नहीं दिया गया, जो कि गरीब जनता ने बड़ी मुश्किल से बनायी थी और उसका एक पैसा भी हमें नही मिला। लेकिन वह कर्ज का जो व्याज लेती है उस व्याज के रूप में माननीय वित्त मंत्री जी को छत्तीस करोड़ तो भारत सरकार को व्याज के चुकाने पड़ेंगे। मैं कहता हूं यह कहां तक जस्टीफाइड है। मैं निवेदन करूंगा यह स्थिति राजस्थान सरकार की ही नहीं है, मोर और लेस यह स्थिति हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों की भी है। इसलिये सारे राज्यों को फ्रेण्डली और कोआपरेशन की स्प्रिट से भारत सरकार से इस क्वेश्चन पर एजीटेट करना चाहिये और बातचीत के बाद में किसी एग्रीमेंट पर आना चाहिये कि जो यह ह्यूज लाइबिलीटी है, उसको या तो स्केल डाउन किया जाय या सर्टेन पर्सेन्टेज, जो भी भारत सरकार उचित समझें, आज की इन परिस्थितियों में, तीस पर्सेन्ट, चालीस पर्सेन्ट, पचास पर्सेन्ट, जितना भी मुनासिब समझें, राइट आफ करे। इस बिना पर कि आज जो परिस्थितियां हैं, उसके अलावा आखिर हमारी उन छोटी-छोटी रियासतों जिनकी जरा-जरा सी आमदनी थी, जिनके एम्पलाइज की जरा जरा सी तनख्वाह थी के सब लोगों ने अपना पेट काट कर उन असैट्स को बिल्ड किया था, जिनकी आज के जमाने में 320 करोड़ की वैल्यू होती है, वह भारत सरकार को मुफ्त में दे दी उसके बाद भी जो कर्ज है उसका इतना व्याज लिया जाय और असल भी लिया जाय तो यह तो मनी लैण्डर की तरह का व्यवहार है। इसलिए इस पर पुनः विचार करें और जो भी, तीस पर्सेन्ट, चालीस पर्सेन्ट, मुनासिब समझें, वह पर्सेन्ट राइट आफ होना चाहिये ह्यूज डेट का, इससे राज्य चैन की सांस ले सकते हैं और ऋण से मुक्त भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से राज्य सरकारों को भारत सरकार को एप्रोच करना चाहिये और फ्रेन्डली और कोपरेशन के तरीके से बैठकर विचार कर सारी स्कीम को रखना चाहिये। आखिर हिन्दुस्तान के अन्दर कल्याणकारी राज्य है, लोगों को साधन सुविधायें उपलब्ध करानी पड़ती हैं, जो भी प्राजेक्ट हैं उनको मेन्टेन करना पड़ता है और राज्यों के पास यह सोर्सेज हैं, यह साधन हैं। इस पर भारत सरकार के जो एक्सपर्ट है, वह अपनी सलाह दें। यह प्रयत्न करने की बात है क्योंकि राज्य सरकार को जनता को मिनिमम स्टेण्डर्ड के लिये एमिनिटीज तो देनी ही पड़ेगी। ऐसी हालत में क्या राजस्थान सरकार का इरादा है? मेरा निवेदन है कि सबसे ज्यादा और इस बात पर वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री को देने

Page No 63

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

की जरूरत है, वह इस मामले को भारत सरकार से टेक अप करें और यह समझाने की कोशिश की जाय कि राजस्थान प्रदेश एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, यह एक बोर्डर का राज्य है, यदि यह राज्य कमजोर होता है तो सारे देश की सुरक्षा को खतरा होता है·····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : हम तो सागड़ी हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वित्त मंत्री जी के हाथ मजबूत हुए हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : भारत सरकार ने सागड़ी बना रखा है, इस स्थिति से हटायें।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : ऐसी बात नहीं है। भारत सरकार एक कल्याणकारी सरकार है। भारत सरकार सही तर्क को मानती है, न्याय की मांग को मानती है, यदि उसके सामने ठीक ढंग से इस केस को रखा जायगा तो मुझे पूर्ण आशा है कि वह विचार करेगी।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : नहीं माने तो हम लड़ने के लिये तैयार हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : नहीं गलत बात है, लड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह दो सरकार का मामला है, जिनमें बड़े भाई और छोटे भाई जैसा रिश्ता है। मुझे पूर्ण आशा है, आप और मुख्य मंत्री जी इस मामले को गवर्नमेंट आफ इण्डिया के साथ टेक अप करेंगे तो यदि डेट राइट आफ नहीं किया जायगा तो सर्टेन पर्सेन्ट को राइट आफ किया जायगा यदि सभी राज्य सही तरीके से रिप्रेजेन्टेशन करेंगे·····

श्री निरंजननाथ आचार्य : केस को अच्छी तरह से रख सकते हैं यदि आप जैसे सरकार के स्पोक्समैन हो जायं।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : सदन में बहुत अच्छे अच्छे स्पोक्समैन बैठे हुए हैं, आप करें मैं करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : भारत सरकार नहीं माने तो राज्य सरकार के वित्त मंत्री हरिद्वार में जाकर पेड़ी पर बैठें। इस कर्ज की स्थिति में रहने से क्या फायदा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब शांति है वहां।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : करेन्ट ईयर का बजट है इसमें हमने 95.96 करोड़ का सायद कर्ज और ब्याज माना है। 41.90 करोड़ तो इन्ट्रेस्ट का बाकी है, असल का 95.96 का डेट सर्विसिंग चार्जेज का प्राविजन किया है। इसके साथ ही में निवेदन करूं कि 9.23 करोड़ का करीब करीब 92 के उस ओवर ड्राफ्ट के सिलसिले में प्राविजन किया है। कुल मिला कर राजस्थान जैसे गरीब राज्य को 105 करोड़ 19 लाख रुपये को डेट सर्विस के लिये प्रोवाइड करना पड़ रहा है, जो राजस्थान सरकार के बजट का रफली 1/3 होता है, तो राजस्थान सरकार को बजट का 1/3 तो कर्ज में चुकाना पड़ता है, इस कारण राजस्थान सरकार और जनता को बहुत लो स्टेण्डर्ड आफ लिविंग रखना पड़ता

Page No 64

(श्री विश्वम्भर नाथ जोशी)
है जब कि कल्याणकारी राज्य से बहुत सी फैसेलिटीज की आशा लेकर चलते हैं। इसलिये इस बात की नितान्त आवश्यकता है भारत सरकार से राजस्थान सरकार और दूसरी राज्य सरकार एप्रोच करें क्योंकि मोर और लेस सबकी एक ही हालत है उनकी आर्थिक हालत मजबूत हो सके क्योंकि कमोबेसी सबकी एकसी स्थिति है यह मिल कर भारत सरकार को एप्रोच करें और खास कर आज की परिस्थितियों में, गवर्नमेंट की कल्याणकारी नीति को मद्दे नजर रखते हुए न्यायपूर्ण डिसीजन लें ताकि कर्जेदारी का प्रश्न है उसमें कुछ डिक्रीज हो····

श्री निरंजननाथ आचार्य : निकाल लें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : निकाल लें। इसके बाद जो बचे उसके सम्बन्ध में हम इर्रेस्पान्सिबल एटीट्यूड नहीं बनाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया को कहें कि इसको राइट आफ कर दें, जो खर्च कर दिया सो खर्च कर दिया। बाकी जितना गवर्नमेंट आफ इंडिया उचित समझे वह स्केल डाउन कर दिया जाय, राइट आफ कर दिया जाय फिर और जो बाकी बचे वह चुकाना है और उसको चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए, इसमें दो राय की गुंजाइश नहीं रहती है।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं······

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब अपने रिसोसिज की बात बता दें थोड़ी।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : आप फर्मायेंगे तो मैं जरूर अर्ज करूंगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप बोलें तो फर्मा दें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : रिसोंसेज के बारे में आपने फर्माया। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा लीकेज आफ रेवेन्यू हो रहा है, जिसकी ओर माननीय वित्त मंत्रीजी का आपकी मार्फत ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं समझता हूं, यह मेरा तजुर्बा है और इस सदन के सब सज्जनों का तजुर्बा होगा, राजस्थान में कोई शहर नहीं, कोई ऐसा कस्बा नहीं है, कोई ऐसा प्रगतिशील गांव नहीं है, जिसकी पेरीफेरी में या जिसकी लिमिट में जो जमीन हैं, उस पर नाजायज कब्जा नहीं हो रहा हो। लोग कानून को हाथ में लेकर धड़ाधड़ एग्रीकल्चर लैंड पर मकान बना रहे हैं दुकान बना रहे हैं, यहां तक कि मोहल्ले बना दिये। इस बारे में पटवारी से लेकर जो रेवेन्यू एजेंसी है वह विजिलेण्ट नहीं है, वह अतिक्रमण नहीं रोक पाती है। अगर किसी मामले की रिपोर्ट करते हैं तो उस पर वर्षों तक फैसला नहीं होता है, उस पर कारगर कार्यवाही नहीं हो पाती है और ऐसी स्थिति में आठ, नौ, दस साल हो जाते हैं। क्या होता है, वित्त मंत्रीजी, माफ कीजिये, दस बारह साल का कब्जा हो जाता है तो कहते हैं, अब क्या कर सकते हैं, लीगल पोजीशन काम्प्लीकेटेड हो गई है। हम असहाय महसूस करते हैं, इसलिए मजबूरी में फैसला करना पड़ेगा कि रैगुलेराइज कर दिये जायं। इनसे नामीनल पैसा ले

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

लिया जाय और रेगुलेराइज कर दिया जाय। इससे अतिक्रमण करने वालों का हौंसला बढ़ता है, लालेसनेस की टेण्डेन्सी बढ़ती है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत चरितार्थ होती है। आज करोड़ों रुपये को रैवेन्यू का राजस्थान की लोकल बाड़ीज और म्यूनीसिपैलिटी का लॉस हो रहा है है। इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि पांच साल, दस साल तक हम चुप रहें और पटवारी और तहसीलदार रिश्वत खाकर नाजायज कब्जे करा लें, नाजायज मौहल्ले बन जायं, नाजायज लोकेलिटी बन जायं, उनके इजेक्टमेंट की कार्यवाही इफेक्टिव नहीं हो सकें और बाद में यह डिसीजन लें कि जो कब्जा कर लिया है तो कोई बात नहीं उसको रेगुलेराइज कर दे। माफ कीजिये। मैं कहता हूं कि कन्डक्ट आफ गवर्नमेंट्स में यह लौजिक वाजिब लोजिक नहीं है। एक बार, कई बार नियमन कर दिया इरेग्यूलरिटीज का। दो तीन साल बाद वही शिकायत आती है। फिर फैसला कर दिया कि रेग्यूलराइज किया जाय। आज बन हैड लॉलिसनेस की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, एनरकी होती है और लोग समझते हैं कि सरकार से मांगने से क्या फायदा उसके बजाय 10-20 रुपए नजराना दे दें। खेत ले लिया सड़क के किनारे और उस पर दुकान या मकान बना लिया। यह खतरनाक टेन्डेंसी है इस टेन्डेंसी से हर साल राजस्थान को करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। मुझे खेद है कि कोई कारगर उपाय सरकार ने नहीं उठाए। आप राजस्व विभाग और दूसरे संबंधित विभागों से मिलकर, कन्सेरटेड एक्शन लेकर, योजना बनायें और लालेसनेस की टेन्डेंसी को रोकिए और करोड़ों रुपए की जो राजस्थान के शहरों और कस्बों से आमदनी होने वाली है, वह नहीं हो रही है। इससे लालेसनेस होगी। जितना जल्दी इसको देखलें उतना राज्य को वित्तीय स्थिति के लिए अच्छा है।

उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य रखा। उसके साथ ही हमने राज्य के कुछ हिस्सों में ट्रांस्पोर्ट का राष्ट्रीयकरण किया लेकिन कुछ हिस्सों का राष्ट्रीयकरण रह गया। उनकी तरफ हम देख नहीं पाए कुछ दिन पहले मालूम पड़ा कि रोडवेज निगम ने काफी मुनाफा कमाया है इसलिए क्यों नहीं बाकी डिवीजन्स में भी राष्ट्रीयकरण किया जाय? यह कदम समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य के अनुकूल है, आमदनी के ख्याल से भी जरूरी है। कुछ न कुछ आमदनी होगी। किस बात की शिथिलता है? उदासीन होने की क्या जरूरत है मैं आशा करता हूं कि जल्दी निर्णय लेकर कारगर कदम उठायेंगे जिससे रैवेन्यू के लोकेज का जो बड़ा सोर्स है वह जल्दी खतम हो जाना चाहिए। जब किसी भी घर में कमाने वाले लड़के से, उसके माता पिता या घर वाले उसकी जरूरतों के प्रति उदासीन होते हैं और जो बिना कमाने वाले हैं उनको प्रेफरन्शल ट्रीटमेंट देना शुरू करें तो उस घर की को स्थिति खराब होगी...

श्री निरंजन नाथ आचार्य : रिवोल्ट।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : पूर्वी राजस्थान, जिसको जयपुर डिवीजन भी कह

Page No 66

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)
सकते हैं, यहां राजस्थान राज्य की जो कुल आमदनी है उसका 44.6 प्रतिशत, फ्राम आल सोर्सेज देता है। उसके बावजूद भी आज भारत की आजादी के 25 साल बाद राजस्थान बनने के 20 साल बाद, भी, पूर्वी राजस्थान की जमीन उपजाऊ होने के बावजूद, जो रेवेन्यू दे सकती है, एक भी मेजर इर्रीगेशन प्रोजेक्ट आज की तारीख में नहीं है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मैनपावर और कास्ट्स हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मेजर इर्रीगेशन प्रोजेक्ट एक भी नहीं है। दूसरे इलाकों में कहीं बोर्डर रोड्स के नाम पर, कहीं डिफेंस नीड्स के नाम पर सडकों का जाल बिछा रहे हैं।

श्री रघुनाथ बिशनोई (सांचौर) : काम ही किया जाता है डिफेंस की आवश्यकतानुसार।

श्री विश्वम्भनाथ जोशी : इट इज ए चेंज आफ नामेन्क्लेचर। कोई फर्क नहीं है। इस मामले में सौतेला व्यवहार पूर्वी राजस्थान की जनता के साथ, जो कमाने वाला लड़का है, उसकी उपेक्षा की जाएगी तो घर की स्थिति अच्छी नहीं होने वाली है। कुल मिलाकर सारी बातें हैं। क्या सड़कें क्या इर्रीगेशन प्रोजेक्ट के एलॉकेशन के मामलों में दूसरे सारे मामलों में इस क्षेत्र की बदकिस्मती से उपेक्षा होती रही है इसमें हमें प्रोत्साहन नहीं मिलता है। यह क्षेत्र राज्य के काफर्स को अच्छा रिटर्न दे रहा है.

श्री निरंजन नाथ आचार्य : आपका क्षेत्र उसी में आता है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मेरा क्षेत्र उसी में आता है और भी क्षेत्र उसी में आते हैं। वित्त मंत्री ने प्राथमिक शिक्षा के लिए जो प्रावधान किया है, उसके लिए धन्यवाद। करीब एक हजार प्राइमरी स्कूल और एक हजार मिडिल स्कूलों का आपने इस वर्ष प्रावधान किया है लेकिन इसके साथ ही मुझे कहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह जो प्रगति इस साल करने जा रहे हैं वह दूसरे सैक्टर्स के एक्सपेंस पर हो रही है। उदाहरण के लिए आयुर्वेद औषधालय खोलने जा रहे हैं या नहीं, बजट में जिक्र नहीं है। अस्पतालों का जिक्र

(समय समाप्त सूचक घंटी)

नहीं किया। इसी प्रकार से सड़कों के लिए ग्रोसली इन्एडीकुएट प्रावधान रखा है। कई सड़कों के लिए 5 हजार का टोनिक प्रोवीजन है। मोर आर लेस यह स्थिति राजस्थान के दूसरे हिस्सों में भी होगी। शिक्षा में जो कुछ अचीव कर रहे हैं दूसरे सैक्टर्स के एक्सपेंस पर हो रहा है। यह स्थिति नहीं होती तो ज्यादा श्रेयकर होता और ज्यादा तेहदिल से में मुबारकबाद देता।

शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ अतीत में संबंध रहा है। मैंने बजट देखा है। कम से कम नए हास्टिल खोले जाने के लिए या सीट्स बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है जो आवश्यक था जबकि हमारा उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी पिछड़ेपन को दूर किया जाए क्योंकि दो बार मियाद बढ़ चुकी है और तीसरी बार भी बढ़ानी पड़ेगी। इस बीच में अगर पिछड़ेपन को दूर नहीं किया, अगर हमारे

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)
स्टेप्स इतने हाल्टिंग और स्लो रहे तो आशा दुराशा मात्र रह जाएगी ।

एक तो आपने पेज 16 पर जिक्र किया है कि कुछ प्रोजेक्ट्स खोलने जा रहे हैं तो उनके लोकेशन का जिक्र नहीं किया । मैं जानना चाहता हूँ कि उनमें जयपुर जिला और जयपुर डिवीजन भी सौभाग्यशाली होगा एक, दो या तीन खोले जायेंगे, उसका आपने इशारा नहीं किया । हो सकता है कि अपने उत्तर में आप इशारा दे पायें ।

आपने 400 नलकूपों के लिए कहा है। ये किस क्षेत्र में होंगे, मुझे पता नहीं । आपने यह जरूर कहा है कि शायद फलां स्कीम में से इसक पैसा दिया जाएगा । इन 400 में से कितने जयपुर डिवीजन को एलाट होंगे, अगर प्रकाश डालते तो हम इसके लिए आभारी होते ।

पूर्वी राजस्थान जिसकी जमीन बड़ी उपजाऊ है, यदि इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छा रिटर्न दे सकती है । इसका किसान राजस्थान में सबसे ऊंचा लगान देता है । 10 रु. बीघा, 14 रु. बीघा, 16 रु. बिघा या 21 रु. बीघा पूर्वी राजस्थान के किसान को देना पड़ रहा है । उसके लिए नहरें नहीं बन पातीं । मेजर इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स से पानी नहीं मिलता है, वह बैल खरीदता है, मजदूर लगाता है । जमीन में से 70-80 फीट में से पानी निकालता है उसके बाद में खेत को पानी देकर फसल करता है और सूखे, अकाल और ओले को सहन करता है । फिर भी 12-14 रुपए फी बीघा उसको देना पड़ता है । जब कि दूसरे हिस्सों में कहीं 4 आने कहीं 6 आने और वहां अरबों रुपये की कमाई राजस्थान को है, जहां के गरीब नागरिकों की कमाई दूसरी जगह प्रोजेक्ट में लगी हुई है, वहां 12 और 16 रुपए फी बीघा लिया जाता है । जैसे गंगानगर या दूसरे इलाके हैं, वहां भी किसान से शायद 4-5 रुपये फी बीघा से ज्यादा लगान नहीं है जहां इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं । यह राजस्थान के किसान के साथ कहां तक न्याय है, यह देखना पड़ेगा ।

लैंड रेवेन्यू का राजस्थान में राशनलाइजेशन होना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो इनसेंटिव को हम डेस्ट्राई करेंगे, हमारा उत्पादन सफर करेगा, प्रास्पेरिटी सफर करेगी, सारी बातों की ओर ध्यान देना जरूरी है ।

फारेस्ट रैवेन्यू का अच्छा सोर्स है । मुझे दुख हुआ जब मैंने फारेस्ट की आमदनी और खर्चे की तरफ निगाह डाली । बजट स्टडी आयव्ययक पेज 9 । 1960-61 में 79.81 लाख, 1965-66 में 108.36 लाख आमदनी थी, उसके बाद न मालूम क्या हुआ वन विभाग में 1967-68 से लगातार आमदनी गिरती चली गई । 1970-71 में 108.36 से घटकर 79.50 हुई । उसके बाद मैं 1971-72 में 90.21 लाख और 1972-73 में 90.20 लाख हुई । मतलब यह है कि 1965-66 की लेविल तक आज भी नहीं पहुँच पाई । 1965-66 के बाद आमदनी में स्टेडी डिक्लाइन रहा । खर्चे में स्टीप राइज । फोरेस्ट में आइटम नं. 7 में जहां 1965-66 में हाइयेस्ट रैवेन्यू थी, खर्चा था 103.86 लाख । 1970-71 में रैवेन्यू गिरी और खर्चा बढ़ गया 103 से 166.68 । 1971-72 में और बढ़ा 277.15, 1972-73 में

Page No 68

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

288 लाख हो गए। खर्चे में कम से कम 200-1000 प्रतिशत वृद्धि और आमदनी 60-65 प्रतिशत गिरी। इस तरह राजस्थान जिसकी कि फोरैस्ट प्रापर्टीज मैनेज होती रही तो यह राजस्थान 775 करोड़ की देन दारी है। माफ कीजिए वह दिन नहीं देखना पड़े लेकिन इस तरीके से कोई व्यक्ति या कारपोरेशन फाइनेन्सेज का इन्तजाम करे तो दिवालिया की दरख्वास्त देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। कम से कम फाइनेन्शल स्थिति को इम्प्रूव किया जाना चाहिए।

डेब्ट सर्विसेज का बोझ गरीब जनता पर बेरहमी से बढ़ता जा रहा है। 1951-52 में डैब्ट सर्विसेज का प्रावधान कर पाए थे केवल 20.29 लाख और 1955-56 में केवल 25.27 लाख। उसके मुकाबले 1972 के अन्दर हम प्रावधान कर पा रहे हैं 4543.30 लाख का, जो कि 1955-56 के आंकड़े के मुकाबले में 178 गुना है डेब्ट लायबिलिटी इस हद तक बढ़ गई है कि वित्तीय वर्ष 1965-66 के मुकाबले 1971-73 में 178 गुना हमें खर्च करना पड़ रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। यह सही है कि हमारा कर्तव्य है कि वह भाग जो मुसीबत में है उसको यथा संभव वित्तीय साधनों को देखते हुए अधिक से अधिक मदद करें और इसकी खुले दिल से मदद करनी चाहिए। इस तरह तो राजस्थान की वित्तीय स्थिति गिरती जाएगी, सुधर नहीं सकती।

1951-52 में अकाल का खर्चा 53.92 जैसे जैसे पंचवर्षीय योजनाएं बढ़ती गई, इर्रीगेशन पोटेन्शल बढ़ता गया, हम उम्मीद करते थे कि इर्रीगेशन पोटेन्शल बढ़ेगा और माइनर, मीडियम और मेजर इर्रीगेशन प्रोजेक्टस बन रहे हैं, नलकूप खुद रहे है, उसके बाद अकाल पर खर्चा कम होना चाहिए था। लेकिन 1965-66 में 33.72 लाख खर्चा था, 1951-52 के 53.92 लाख था। 1970-71 की मिसाल दूंगा क्योंकि उसमें एक्सट्राडिनरी अकाल था लेकिन 1971-72 में 8.93 करोड़। इस साल और भी बढ़ गया 9.42 करोड़। 1955-56 के मुकाबले में 27 गुना, 1960-61 के मुकाबले में 23 गुना ज्यादा खर्चा बजट में इस साल रखा है। अकाल के लिए समझते हैं कि पड़ेगा ही इसलिए 8-9 करोड़ खर्च करना हो है। इस स्थिति पर विचार कर गंभीरता से देखें। जैसे इर्रीगेशन पोटेन्शल बढ़ रहा है, कृषि विकास हो रहा है, मेजर, मीडियम, माइनर इर्रीगेशन पर अरबों रुपये खर्च किए। उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पहले के मुकाबले 8-12 गुना एज ए मैटर आफ रूटिन और रून इतना प्रोवीजन बढ़ता रहा। आपने इर्रीगेशन और एग्रीकल्चर पर इतना खर्च किया वह कहां गया? फैमिन सारे एरियाज को फीड करने का जरिया अपनाया जा रहा है, वह नहीं होना चाहिए। 775 करोड़ की देनदारी है उस राज्य को बेटर तरीके से मैनेज करना चाहिए।

वित्त मंत्री के बारे में मैं उच्च राय रखता हूं। मेरे हृदय में उनके लिए आदर है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के फाइनेन्सेज को ध्यान में रखते हुए इम्प्रूव करने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे और भारत सरकार से इस मामले को टेक-अप कर सारी बातों की पृष्ठभूमि में रजामद कर सकेंगे। भारत सरकार के साथ बड़े

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

भाई और छोटे भाई का ताल्लुक है। वरना इन हालत से जो इस साल 31 करोड़ की देनदारी हो रही है और 92 करोड़ का ओवरड्राफ्ट की पोजीशन चल रही है इस तरह से बीसवीं शताब्दी के अंत तक भी राजस्थान राज्य कर्जे की देनदारी से मुक्त नहीं हो सकता। इतना ही नहीं कर्जे की देनदारी बढ़ती जाएगी और राजस्थान की स्थिति आने वाले सालों में गिरती जाएगी। मंत्री महोदय ने बिगड़ती हुई परिस्थितियों में अच्छा प्रयास किया है स्थिति को सुधारने के लिए, उनको धन्यवाद देते हुए आशा करता हूं कि जो कुछ सुझाव सदन में आते हैं उनकी पृष्ठभूमि में बिगड़ती हुई हालात को सुधारने का प्रयास करेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सामाजिक संस्थान द्वारा डिम डिम घोष की चेष्टा की जा रही है कि यह बजट गरीबों के लिए सुखदायी होगा, हमारी राष्ट्रीय आय, वित्तीय आय, उनके आंकड़े बढ़ चुके हैं। मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय आय का विकास दर का भी विकास देश के लिए उत्थान का कारण बन सकता है लेकिन जिस राष्ट्रीय विकास की आय के अंदर उन गरीबों का योगदान न होगा तो उन गरीबों को खुशहाल कैसे करेंगे, गरीबी उनकी कैसे मिटेगी। आज गरीब की स्थिति यह है कि वह गांवों, शहरों में, पूंजीपतियों, धन्ना सेठों मालिकों के शोषण से अपने आपको भाग्य के भरोसे छोड़कर वह अनुभव करता है कि शायद हमारे भाग्य में यही लिखा हुआ है, यह सोचकर आप भी आश्वस्त हो गये हैं। भारत सरकार ने बताया है कि 250) या 200) से कम कमाने वाले गरीब की खिंची हुई लक्ष्मण रेखा, उसके नीचे 40 प्रतिशत लोग बताए हैं। लेकिन अगर इस प्रकार के आंकड़े आप से पूछे जावें तो मेरा अनुमान है कि दो सौ रुपयों से कम कमाने वालों की संख्या 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत और इससे भी अधिक आंकी जा सकती है। तो इन गरीबों के उत्थान के लिये आपके पास क्या प्रावधान है ?

हमारा राज्य सबसे पिछड़ा और उपेक्षित रहा है। भारत सरकार ने पचास करोड़ रुपया अर्द्ध-शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये हमें दिया था। उसका क्या हुआ ? वह सारा रुपया लेप्स हो गया। उसका उपयोग हम नहीं कर सके। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार अपने उस कार्यक्रम की कोई ठोस रूपरेखा तो जनता के सामने रखे कि वह किस तरह से गरीबी को दूर करना चाहती है और इसके लिये क्या प्रक्रिया अपनावेगी।

कुछ लोगों को रोजगार दे देने से, नौकरी दिला देने से, गरीबी दूर नहीं हो सकती। वह तब मिटेगी जब देश के हर बेरोजगार को संवैधानिक आश्वासन दिया जावेगा कि हर गरीब को, हर सक्षम व्यक्ति को, अपना गुजारा करने लायक कम से कम काम अवश्य मिलेगा। इस प्रकार का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक गरीबी दूर नहीं हो सकती।

अब राजस्थान राज्य पिछड़ा क्यों है ? देश में सबसे ज्यादा ओवरड्राफ्ट राजस्थान राज्य में क्यों ? अब तो केन्द्र ने इस पर प्रतिबन्ध

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

लगा दिया है। करजा हमारा सबसे ज्यादा 91.82 करोड़ का ओवरड्राफ्ट और 643.16 करोड़ का करजा।

अब यह सब क्यों है ? सब कामों में हमें घाटा क्यों है ? मैं दावे से कह सकता हूं कि यदि हमारे मुख्यमंत्री जी जिनका वक्तव्य अखबारों में भी पढ़ने को भी मिला कि भ्रष्टाचार की शिकायतें उनको कोई नहीं करता, सही माने में अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना ही चाहते हैं तो जो सूचनाएं उनके पास हैं उनके आधार पर ही कड़ा कदम उठा लें। इस सरकारी तन्त्र को ही वे ठीक कर डालें।

यह सरकारी तन्त्र ऐसा बना हुआ है या यों कहना चाहिये कि यह सरकारी कारोबार ऐसे लोगों के हाथों में है जो भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना नहीं चाहते। भ्रष्टाचार की सूचना दी जावे तो एक्शन लेना नहीं चाहते उल्टे शिकायत करने वाले को ही समाप्त करने की नियत रखते हैं।

अब मक्का पर आपने टैक्स लगा दिया। मक्का कौन खाता है ? आप उत्तर से दक्षिण तक अपने राज्य के दर्शन करिये और देखिये यह मक्का कितने उपयोग की चीज है ? अधिकांश वनवासी लोगों का यह प्रमुख खाद्य है।

आज सरकार की इस कोटा, परमिट, कन्ट्रोल, लाइसेन्स की दूषित नीति के कारण भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ रहा है। लाखों करोड़ों का घोटाला हो जाता है पर यह सरकारी तन्त्र एक को भी छूना नहीं चाहता मैं इसके उदाहरण दूंगा कि किस तरह से सरकारी धन का गबन होता है और किस तरह से यह भ्रष्टाचार पनपता है।

इससे पहले निवेदन करूंगा कि इस बजट में अकाल राहत के लिये खर्चा बताया गया है। मैं पूछता हूं इस स्थायी समस्या म निपटने के लिये सरकार कोई स्थायी योजना बनाकर क्यों नहीं चलती ? आज फुटकर अस्थायी बेतरतीब बनी योजनाओं में लाखों, करोड़ों रुपया व्यर्थ चला जाता है और इसमें भयंकर भ्रष्टाचार होता है। सरकारी लोग कई ठेकेदारों आदि से मिल कर अधिकांश पैसा खा जाते हैं। मस्टर रोल गलत बनते हैं। यह सारी जानकारी सरकार को है, पर फिर भी इसके लिये कोई ठोस और स्थायी योजना सरकारी तन्त्र बनाना नहीं चाहता। मेरा स्पष्ट आरोप है कि सरकारी तन्त्र स्वयं भ्रष्टाचार को बनाये रखना चाहता है क्योंकि इससे वे फलते फूलते हैं। गरीबी हटाना तो मात्र ऊपरी दिखावे के लिये नारा मात्र है। हम इस तरह से लगभग 175 करोड़ रुपया पानी में बहा चुके हैं। भ्रष्टाचार में दे चुके हैं।

आज एक स्थायी हल इसका राजस्थान कैनाल के रूप में हमारे सामने है जिसे राजस्थान सरकार अपने साधनों से पूरी करने में असमर्थ हो सकेगी, इसमें सन्देह है इसे एक राष्ट्रीय योजना के रूप में लिया जावे और भारत सरकार इसको अपने हाथ में लेकर पूरा करें।

आपको शिकायत है कि अनुदान की राशि सरकार कम करती जा रही है। मैं आपको बताऊं कि आज से दो साल पहले तक काश्मीर को केन्द्रीय सरकार ने अनुदान

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

के रूप में 4600 करोड़ रुपया दे दिया है। जब भारत सरकार काश्मीर को इतना रुपया दे सकती है तो राजस्थान के सामने मुंह बाये खड़ी इस अकाल की भयंकर समस्या का समाधान करने के लिये क्यों नहीं कोई बड़ी सहायता देती है? क्यों नहीं राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को इसी समस्या के हल हेतु केन्द्र सरकार अपने हाथ में लेती है?

दूसरी बात, मैंने अखबारों में पढ़ा है, कहां तक सही है, नहीं कह सकता पर कहा यह जाता है कि मुख्यमन्त्री जी ने और सरकार के कई मन्त्रियों ने लिफ्ट इरिगेशन के लिये काफी बातें कहीं हैं। पर उस लिफ्ट इरिगेशन के कार्यक्रम का कोई उल्लेख इस बजट में नहीं है। इसका उल्लेख करते तो अच्छा रहता।

शरणार्थी समस्या भी हमारे सामने है। उसके प्रति भी अपना उत्तरदायित्व निभाने का उल्लेख इसमें नहीं है।

मैं उदयपुर की भी चर्चा करना चाहूंगा। आज कइयों को यह शिकायत होगी कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने उदयपुर में बहुत पैसा व्यय किया है और उसे काफी आगे बढ़ाया है। बढ़ा दिया होगा। कुछ फव्वारे लग गये होंगे। पर इनसे तो गरीबों का पेट नहीं भरा करता। आज उदयपुर के निवासी गरीब लोगों की औसत आमदनी चार आना रोज से ज्यादा नहीं है। उनके तन पर पूरा कपड़ा नहीं है। महिलाओं के तन पर वस्त्र नहीं है पूरा। इस प्रकार की स्थिति आज वहां के वन वासियों की बनी हुई है। इस स्थिति में सुखाड़ियाजी के राज में भी कोई अन्तर नहीं आया है। कुछ सेठ साहूकारों की, कुछ अधिकारियों की, कुछ मन्त्रियों की पूंजी जरूर बढ़ गई होगी आपस में इनकी सांठगांठ और लूट खसोट कर जनता को नौंचने के कारण, सामान्य जनता का कोई विकास नहीं हुआ है।

टैक्स आप कम से कम लगाइये और कठोरता से उनको वसूल करिये ताकि भ्रष्टाचार घटे। हमारा मनीलैंडर्स एक्ट पास हो गया। पर आज भी वनवासी मनीलैंडर्स पर ही निर्भर है। आज उनका जीवन एक दिन भी इन मनी लैंडर्स के बिना नहीं चल सकता। इस तरह से फिर इन कानूनों का क्या हल होगा? तो इन कानूनों का व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करने योग्य बनाया जाना चाहिये।

औद्योगिकरण की दृष्टि से भी अन्य राज्य हमसे अधिक आगे हैं। हरियाणा को देखें आप उसका विकास हो रहा है राजस्थान का क्यों नहीं? मैं यह कह कर कोई पूंजीपतियों का पक्ष नहीं लेना चाहता। पर राज्य की बेरोजगारी मिटे इसके लिये उद्योग धन्धों का जाल हमें यहां बिछाना होगा। सही अर्थों में जो एन्टरप्रेन्योर हैं उनको प्रोत्साहन देना होगा।

प्राइवेट कैपिटल को इधर आकर्षित करने के लिये भी हमारे कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं।

पानी की व्यवस्था हम नहीं कर पाये। गिरवा में मैं गया। एक कुआ कई वर्ष पहले वहां माइन्स वालों ने खुदवाया। उसकी केपेसिटी है कम से कम सात आठ सौ एकड़

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
जमीन सिंचित करने की। पर वह पानी दो तीन सौ फीट की गहराई पर है। इसलिये कोई प्रयास नहीं करता। पर क्या अगर ऐसी स्थिति है तो राजस्थान सरकार यह प्रयास नहीं कर सकती कि पाइप और बिजली की वहां व्यवस्था करके उस इलाके को पानी दिला सके?

दूसरी तरफ आज जो हमारा लीकेज हो रहा है हर तरफ उसको रोकने का भी प्रयास सरकार नहीं कर रही है। हमने एक नीति अपना ली कि हम सब जगह राष्ट्रीयकरण करेंगे: पर इसके बाद भी उदयपुर में बसों के रूटों का राष्ट्रीयकरण नहीं हो पाया। प्राइवेट बसें चलती हैं वहां काफी संख्या में। वे क्या करती हैं? सरकार के टैक्सों की पूरी की पूरी चोरियां करती हैं। वे चुनावों के समय सत्ताधारी दलों को चुनाव फण्ड में पैसा देते हैं और परमिट निकलवाते रहते हैं। राष्ट्रीयकरण भी इस कारण वहां नहीं हो पाता। उदाहरण देता हूं। आज जिन लोगों को जिन रूटों पर बसों के परमिट दिये गये हैं उनमें से कितनों की बसें उन रूटों पर चलती हैं, यह जाकर देखें तो पता लग जावेगा कि ये बसें तो यात्रा आदि के परमिट लेकर काश्मीर या अन्य स्थानों पर चलती हैं और उनकी जगह रूटों पर वे बसें लगी हुई है जो पुरानी हैं जो सीज हो गई हैं ये अपने स्वयं के टिकटों पर यात्री कर भी वसूल करते हैं। मैंने देखा है और अनुभव किया है कि बीच में जब कभी वे परमिट से बाहर गई हुई गाड़ियां वापिस आती हैं तो ये सीज की हुई गाड़ियां कुछ दिन के लिये रुक जाती हैं और जो टिकट उन्होंने काटे और जो यात्रीकर का भी पैसा इकट्ठा कर लिया वह सब से स्वयं डकार जाते हैं और उन यात्री कर की टिकटों की किताबें जलाकर समाप्त कर देते हैं और कुछ पैसा रिश्वत के रूप में देकर आर.टी.ओ.की नजरों से बच जाते हैं। आर.टी.ओ.मालामाल हो गये हैं। उनसे परमिट लेकर वे बसें तो कश्मीर आदि घूम रही हैं और उनके स्थान पर ऐसी बसें चल रही हैं जो सीज्ड हैं और जिन पर सरकार का पैसा बकाया निकल रहा है और बस के ऊपर टिकटें चलती हैं उन व्यक्तियों की जिनकी बसें चल रही हैं कश्मीर में और बद्रीनाथ में। और उन टिकटों के एक महीने बाद सारे पैसे जब जनता से वसूल हो जाय तो फाड देते है। जब बस लौटकर वापिस आ जाय और रूट पर चलने लग जाय तो उन टिकटों को जला दिया जाता है और जब पूछा जाता है तो जवाब मिलता है मेरी बस तो परमिट लेकर गई है कश्मीर और बद्रीनाथ। सीज्ड बसें रूट पर चलती हैं और परमिट वाली बसें कश्मीर और बद्रीनाथ में चल रही हैं। आपस के बीच बिचौलिया पैसे खा जाते हैं। वित्त मंत्रालय आपका कोई ध्यान नहीं देता है। मेरा सुझाव है कि जो यात्री कर सरकार का निकलता है उस को रसीदों के जरिये पकड़ा जाकर वसूल किया जाय। पहला तो मेरा निवेदन है इन रूटों का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये। रसीदों के बारे में मेरा सुझाव है कि रसीदें ट्रेजरी से मिलें। मैं सदन को इस प्रकार के नम्बर बता सकता हूं। उदयपुर—भीलवाड़ा, उदयपुर—भीम, उदय-

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

पुर-कोटड़ा की बसें वहां गई है। मैं नम्बर यदि सरकार पूछना चाहे तो बता सकता हूं।

दूसरे एक प्रोजेक्ट इन सारे टैक्सों का जवाब दे सकता है लेकिन राज्य सरकार ऐसे भ्रष्ट लोगों के सहारे के बिना चल नहीं सकती है जो केवल भ्रष्टाचार करने पर ही अपनी हुकूमत चलाते हैं। मेवाड़ और उदयपुर राजस्थान का सोना चान्दी है। वहां राक फास्फेट पैदा होता है और उस राक फास्फेट का ठेका पूंजीपतियों को दे रखा है। वे पूंजीपति क्या कर रहे हैं-डायरेक्टर और पूंजीपति मिलकर हमारी समाजवादी सरकार के पैसे खा रहे हैं। यह सरकार को पता नहीं है और अगर पता है तो उनके खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने की हिम्मत नहीं रखती है। ठेके उनको देते है जो इतने पैसे जमा करवा दें। पैसे जमा हो जाने के बाद ही ठेके दिये जाते है इस प्रकार की आवाज सदन में उठाने के बाद हमारा भूतपूर्व मंत्री मण्डल उसको नीचे दबाये बैठा है। कोई कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं रखता है। उदयपुर में लाखों रुपयों का घोटाला है। सारी उपज हमारे राजस्थान सरकार के खजाने में से जा रही है। मैं एक उदाहरण दूंगा बी. जे. एल. कम्पनी को ठेका दिया हुआ है। बी. जे.एल. कम्पनी एक फर्टीलाइजर की फैक्टरी है जो क्रसिंग पाऊडर बेचती है। हमारी राजस्थान सरकार का कान्ट्रक्ट है कि वह क्रसिंग पाऊडर स्टेशन पर देगी और उसके पैसे कान्ट्रक्ट में जोड़े हुये है। 18 और चार इस तरह 22) रु. दिये हुए है। यह 22)रु. इसको फोकट में दिये जा रहे हैं। उस राक फास्फेट के माल को वहीं से उठाया जा रहा है और 22) रु. सरकार को मुफ्त में देने पड़ रहे हैं और हमारी सरकार का जो आडिट विभाग है-अंकेक्षा विभाग है, उसने ऐतराज भी उठाया है कि इस प्रकार के जो पैसे कान्ट्रेक्टर को दिये जा रहे हैं वह फोकट में ही दिये जा रहे है। लगभग 24 हजार रुपये की रिकवरी आडिट विभाग ने निकाली है। उसको अभी तक दबा कर रखा है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है यह सारी कान्सपिरेसी, यह सारा षड्यन्त्र रचकर एक विभाग का डायरेक्टर पैसे खा रहा है। मैं आपको एक भ्रष्टाचार की चिट्ठी की बात बताता हूं एक डायरेक्टर ने चिट्ठी लिखी है, अमुक मिनिस्टर को कि अमुक व्यक्ति को इतने पैसे पहुंचा दें। मैं ऐसी ओरीजनल चिट्ठी सदन में पढ़कर सुनाता हूं-किस प्रकार पूंजीपतियों ने लाखों रुपयों का सरकार का नुकसान किया है। माईन्स एन्ड जूलोजी विभाग के मिस्टर सेठी चिट्ठी लिखते हैं—

"My dear Chand Mal Jain,

I have fixed up my programme to reach Bhilwara on 9th instant and in the meantime I expect you must have made suitable and necessary arrangements according to our discussions here. You know the pressing demand from Shri Komal for Rs. 25,000 and I wish that the matter may be finalised at the earliest. Hukam Singhji met me after you left from here and gave me Rs. 5,000/- and has further promised to pay Rs. 2000 which you

Page No 74

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

must please collect from him before I reach there. Now in the circumstances you are required to recommend the case of M/s. Ram Lal & Sons for compensation of their area submerged in Meja Dam. He will pay you Rs. 1000 separately.

यह भ्रष्टाचार का कितना आरोप है। मैं सारी चिट्ठी पढ़कर सुनाता हूं।

"Regarding compensation to M/s. Pussa Lal Mansinghka Ltd., I wish that you do not make any recommendation for their claims of Godas area because I feel that these people are not reliable. you are further advised not to make any contracts with them otherwise they will put us in some trouble."

उनसे बात मत करिये ताकि कहीं हम ट्रबल में पड़ जाय।

"Their application of Godas area in block 7 has also been rejected. Shri Bansi Lal Chaudhry approached me with the request to get the area of Godas recommended in favour of Messrs Moolchand Nemichand and have offered a good return if the area is sanctioned to them. Now you should deal the things in such a way which may be beneficial to both of us.

Mr. George is reaching to Bhilwara earlier to examine the cases of compensation and you are requested to manipulate things with him intelligently and tactfully. This letter may be returned at Bhilwara to me."

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : एक निवेदन कर दूं, विरोध की बात नहीं है। यह निवेदन है कि यह चिट्ठी जिसका हवाला दे रहे हैं यह 12-13 साल पहले चर्चा का विषय थी। यह भीलवाड़ा में माइनिंग बिभाग में कोई क्लर्क था उसने पेश की थी। यह पूर्व हो चुका है कि यह चिट्ठी फोर्ज्ड है। इस पर केस चल गया है और आज आप 14 वर्ष बाद लावो तो मुझे ऐसा लगेगा कि यह सब खतम हो गया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह ओरीजनल चिट्ठी है। इस केस को दबा दिया गया। उसका जजमेंट क्या हुआ-क्या सरकार के पास इसका कोई जजमेंट है? यदि सरकार के पास है तो उसको सामने लाये कि हमने यह कार्यवाही की है। मेरा आरोप है यह सारा केस दबा दिया गया है। मेरा आरोप है मिनिस्टर इसमें इन्वोल्व्ड है। आज राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी कहते हैं भ्रष्टाचार के आरोप मुझे नहीं मिलते हैं। यह चिट्ठी उनकी है या किसी और की है, इसको देखें और देखने के बाद जांच करने के बाद बतायें। दूसरी बात...

श्री यशवन्त सिंह नाहर : यह फोर्ज्ड चिट्ठी है। हैन्ड राइटिंग एक्सपर्ट ने लिख दिया है कि यह फोर्ज्ड है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं समझता हूं राजस्थान सरकार के पास अगर ऐसी व्यवस्था है तो उसको रखें। अकाउन्ट्स आफिसर है, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है जो अभी रिसेन्टली प्राप्त हुई है। वह भी आपको सुनाता हूं—

I regret to inform you that I shall not be available upto 13th Febr. 60 and you may please fix up some other convenient date, I know you have paid huge amounts to Shri Sukhadia and our Director but your work is such that none of them is in a position to assist you without take me into confidence. If you are really serious to get your work done, please come prepared with the amount suggested to you in your next visit. It shall be better if you come here with Shri Kedia who is well acquainted with Shri B. L. Mathur and Shri Dangi. With Best Wishes—

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : यह तो टेलीफोन से ही काम हो जाता।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सदन के अन्दर यह अच्छा होता कि मंत्री महोदय यहां विराजे हुए हैं और डिसीजन लेते। मैं समझता हूं, मेरा यह अधिकार है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सदन चाहे इसको रिजेक्ट कर दे, चाहे जैसा कर दें। आप इस पर कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। आप यह चाहते हैं कि उदयपुर के झामर कोटड़ा का ठेकेदार मालामाल हो और आप इस प्रकार पूंजीपतियों को ही संरक्षण देना चाहते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं विरोध की बात नहीं करना चाहता। सदन के अन्दर माननीय सदस्य पत्र रखते हैं तो सदन के अन्दर उनको इसकी प्रामाणिकता भी बताना चाहिये। आप कहां से उठा लाये या किसी ने आपको पकड़ा दिया? आप यह मानते हैं कि यह चिट्ठी सही है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : चिट्ठी सही है मैं इसको प्रामाणिकता को मानता हूं। चिट्ठी ओरिजनल है, उस पर हस्ताक्षर हैं। आप इसकी जांच कराइये आपको कौन रोकता है, कौन इन्कार करता है? यदि झामर कोटड़ा प्रोजेक्ट को सरकार अपने हाथ में ले लेती, राजस्थान की आर्थिक स्थिति का काफी सुधार हो सकता है। लाखों रुपये की आमदनी मामूली ठेके पर दी हुई है। 20/25 रुपये में ट्रक भर कर जाते हैं। मंत्री महोदय वहां पर पधारे थे, मैं चाहता था कि मैं उनको बताऊं लेकिन मेरा उनका तालमेल बैठा नहीं। डाइरेक्टर नहीं चाहता था कि मैं सही स्थिति का बता दूं।

मजदूर जो वहां पर कार्य कर रहे हैं उनको दो रुपया रोज मिलता है। मजदूरों को लेबर लौज के हिसाब से मिनिमम वेजेज दीजिये। कम्पनी का मालिक आकर कहता है कि मेरा मकान बनेगा। मजदूरों के मकान तोड़कर बनाना चाहता था इसलिये केस चल रहा है। बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था का हाल यह है कि वेलफेयर के नाम पर दो रुपया देते हैं। यदि आप भ्रष्टाचार की जांच ही कराना चाहते हैं तो आप एक

(श्री भानुकुमार शास्त्री

कमीशन बिठा कर जांच कराइये ताकि आपको भी मालूम हो सकेगा कि किस प्रकार लाखों रुपये के प्रोजेक्ट पर क्या हो रहा है। इसलिये मेरी मांग तो यह है कि आपको इस प्रोजेक्ट का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये और इसको अपने हाथ में लेना चाहिये। मेरी मांग है कि सरकार इसको अपने हाथ में ले। उदयपुर में कई सदियों से राज्य में मेवाड़ स्टेट रेलवे चल रही है उसको ब्राड गेज से जोड़ा जाय। यह खान करोड़ों रुपया दे सकती है। आज उसमें उत्पादन नहीं बढ़ाया जा रहा है। 300 मजदूर 500 टन प्रतिदिन खनिज निकालते थे। ठेकेदार को दे रखा था, निकालते थे। कम उत्पादन करते हैं। अधिक सख्ती के साथ इसका उत्पादन बढ़ाया जाय तो झामर कोटड़ा में प्रतिदिन एक हजार, दो हजार टन के बीच रोक फास्फेट निकाला जा सकता है। हम सलफरिक एसिड आज विदेशों से मंगाते हैं जो कि हमारे राज्य में खनिजों के रूप में विद्यमान हैं। इस ओर राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यदि आप गरीबों को रोजी रोटी देना चाहते हैं तो फर्टीलाइजर पर से टैक्स हटा दें। विशेष चीज यह है आप उन पर कन्ट्रोल करें, भ्रष्टाचारियों पर नियन्त्रण रखें। कोई व्यक्ति यदि डाइरेक्टर बनता है तो उस समय उसके पास कितनी सम्पत्ति थी और अब क्या है-इस ओर सबसे पहले नियन्त्रण चाहिये। लाखों के ऊपर डाइरेक्टर के पास सम्पत्ति कहां से आ जाती है ? भूतपूर्व मुख्य मंत्री और अनेक लोग इस भ्रष्टाचार में व्याप्त थे। मैं अनेक चिट्ठियां पढ़ कर बता सकता हूं। सुखाड़ियाजी को लड़की की शादी में अमुक मंत्री ने लिखा कि यह चीज भेज दी जाय। उनके सिग्नेचर हैं, लेटर पड़े हैं। यदि ये झूठे हैं पत्र, तो सी. बी. आई. को देकर इसकी जांच कराइये। इस प्रकार आप भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। इस पोइन्ट पर अधिक कहना नहीं चाहता। अब दूसरे पोइन्ट पर आता हूं।

आपने गहनों पर टैक्स लगाया। ठीक है मालदार गहने पहिनते हैं, 5 परसेन्ट टैक्स लगेगा। आपने पांच परसेन्ट टैक्स तो लगा दिया लेकिन आपने इस पर विचार नहीं किया। जो व्यक्ति एक परसेन्ट दो परसेन्ट टैक्स देता था वह वह अब पांच परसेन्ट टैक्स क्यों देगा, वह उसको किसी कारीगर से बना लेगा और टैक्स बचा लेगा। आपको टैक्स की आमदनी नहीं मिलेगी, वह खत्म हो जावेगी। इसलिये इस टैक्स से आपकी आमदनी बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। दूसरी बात, जो इस रोजगार में लगे हुए हैं वे बेकार होंगे और इससे व्योपार भी आपका घटेगा और आमदनी भी नहीं होगी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात। इनमें एक परसेन्ट आधा परसेन्ट और 2 परसेन्ट टैक्स से अधिक नहीं है 5 परसेन्ट टैक्स लगावेंगे तो इससे हमारी आमदनी घटेगी। तो इसके बारे में अधिक कुछ नहीं कहते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का टैक्सेशन का भार आप अगर हटाना चाहेंगे तो आपको कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैं कुछ दिन पूर्व शिक्षा विभाग के एक कार्यालय में गया था, वहां पर मैंने दो बैंक ड्राफ्ट देखे पचपन-पचपन हजार के। मैंने पूछा कि ये काहे के ड्राफ्ट हैं तो उत्तर मिला कि यह

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

लौटाये हुये ड्राफ्ट्स हैं। मैंने पूछा कि ये ऐसी कौनसी संस्था है जो ड्राफ्ट लौटाती है, तो उत्तर मिला कि यह हैं सेन्ट पाल स्कूल और सेंट जेवियर स्कूल। उन संस्थाओं ने यह ड्राफ्ट यह लिखकर लौटाये थे कि आपसे मांगा ही किसने था। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो राज्य सरकार के पास प्राइमरी स्कूल के लिये बिल्डिंग बनाने के लिये पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ आप इस प्रकार की संस्थाओं को पैसा देते हैं जो कि आपको वापिस कर देती हैं। इस प्रकार से आपने जैसे अनाथालय खोल रखे हैं। आप प्राइवेट संस्थाओं को 90 प्रतिशत अनुदान देते हैं, उनकी रिकवरी होती है या नहीं इसका आपको पता नहीं।

जब अनुदानों की मांगों पर बहस होगी तब मैं डिटेल्स में अपनी बात कहूंगा लेकिन मैं राज्य सरकार से यह निवेदन कर देना चाहूंगा कि शिक्षा का कार्य सही ढंग से किया जाये। मैं मानता हूँ कि शिक्षा केवल राजकीय स्तर पर ही नहीं दी जाती। बच्चों को सही शिक्षा देना और उनमें अच्छे संस्कार डालने का कार्य स्वतन्त्र शिक्षालय ही कर सकते हैं। लेकिन यदि शिक्षालयों का राजनैतिक आधार पर ही निरीक्षण किया गया और राजनीतिक आधार पर ही सहायता दी गई, अनुदान दिया गया, तो वे शिक्षालय, शिक्षालय नहीं रहेंगे, केवल सरकार को चुनाव जिताने के स्टण्ट रह जायेंगे।

मैं अधिक चर्चा न करते हुए, अन्त में, इस बजट को जिसे समाजवादी बजट कहा जा रहा है, मैं उसे गरीबों का शोषण करने वाला बजट मानता हूं। राजस्थान की जो गरीब जनता आज इस बात पर तसल्ली करके बैठी थी कि हमारे भाग्य विधाता हमारा कुछ फायदा करेंगे, उसी जनता के ऊपर इन करों का भार जाकर पड़ने वाला है। यह कहना कि गरीब लोग दाल नहीं खाते, गेहूं नहीं खाते, मैं नहीं मान सकता। आप इस प्रकार के करों को हटाइये। आपको चाहिये कि आप सिंचाई के साधनों को बढ़ावें और सिंचित भूमि को बढ़ावें जिससे उत्पादन में वृद्धि आये। आज ऐसे कई स्थान हैं जहां सिंचाई के साधन होते हुए भी खेती नहीं हो रही है। उदयपुर के पास ही गिरवा तहसील में भोई पचोली (खांडी) में सिंचाई के साधन होते हुए भी खेती नहीं होती। आप ऐसी जगहों को खेती के अन्दर ले आवें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं कि इस बजट के अन्दर नये कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपको जनता को राहत देनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह लगा कि वर्तमान माननीय वित्त मंत्रीजी ने एक सेठ के रूप में इस बजट को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बजट की मूल आइटम्स को लेकर मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा जो हर साल की बजट की आइटम्स के मुकाबले में इस साल बहुत स्पष्ट है। स्टेट इनकम, पर कैपिटा इनकम इस साल गिरी है। 6।। अरब का कर्जा है और जो आपके कामर्शियल प्रोजेक्ट्स है उनका रिटर्न इस साल

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

का 4 आना है जब कि हमें मिनिमम 6 परसेन्ट व्याज देना पड़ता है। ऐसी हालत में यह मालूम पड़ता है कि इस साल तो क्या आइन्दा दस, बीस, चालीस वर्षों में व्याज की रकम हमारी बढ़ती चली जायेगी और विकास के नाम पर यह राज्य कर्जदार होता चला जायेगा और तब जाकर आज जो हम अनुभव करने जा रहे हैं कि एक सेठ हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी बन कर बैठे हैं और आगे जाकर मालूम पड़ेगा कि विकास के नाम पर, सड़कों के नाम पर और प्रोजेक्ट्स के नाम पर पैसा नहीं है। सिंचाई के प्रोजेक्ट्स बन्द कर दिये गये हैं, माईनर सिंचाई की योजनायें समाप्त कर दी गयी है। क्या यह सही है ? और इस आधार पर जब हमारे साधन नहीं हैं तब हम विकास के लिए हमारी सरकार की तरफ क्या झांकें ? या फिर बराबर कर्जा लेते हुए साल का 4 आना रिटर्न तो लें और 6 रुपया सैंकड़ा जिससे कर्जा लें उसको देते चले जायें। यह तो समय बतायेगा जो भी उस समय हमारी पोजीशन होगी लेकिन दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जिससे राज्य के बजट खर्चों को मीट करने के लिए न बनते हों। जिस तरह से जनता के ऊपर कर्ज का भार बढ़ता जाए हम टैक्स लगाकर उसकी पूर्ति करना चाहते हैं लेकिन खर्चा किस प्रकार से बढ़ता है और उसमें किस तरह की कमी की जा सकती है मैं गत पांच वर्षों से इस असेम्बली में बैठता आ रहा हूं और यह मेरा छठवां साल है। पांच वर्षों की असेम्बली में मैंने नहीं देखा कि हमने कभी यह प्रस्ताव रखा हो कि बजट में खर्चे का जितना अनुमान लगाया गया है उसमें किसी तरह की कमी हो। विकास की कमी न हो लेकिन अविकास का जितना खर्चा है उसके सम्बन्ध में हमने कभी कोशिश की कि यह गलत प्रशासन के खर्चे हैं और अविकास के खर्चे हैं। गलत ओवर-स्टाफिंग हो रहा है, इतना स्टाफ भरा हुआ है कि जिसकी आवश्यकता नहीं है या ऐसे खर्चे हो रहे हैं जिसकी बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। हर साल आडिट रिपोर्ट निकलती है। आडिट रिपोर्ट में पचासों तरह के ऐसे खर्चे के ऊपर आपत्ति होती है और मैंने आज तक इस राज्य के द्वारा किसी अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन लेते हुए नहीं देखा कि जिस अधिकारी ने लाखों रुपयों की चीज बिना आवश्यकता के खरीद कर ली और 5 वर्ष के बाद 1/5 वेल्यू में उसको बेच दी। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यता है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं जयपुर की मिल्क सप्लाई स्कीम के बारे में। दुग्ध वितरण पर 25 लाख रुपया खर्चा आता है। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार क्या योजना बनाकर चल रही है ? कौनसा विकास करने जा रही है ? इसलिए मैंने जब इस बजट के आंकड़ों को देखने का प्रयत्न किया तो माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कह दिया कि 6।। अरब तो हमारी देनदारी है और ऋण के अलावा एक रकम और है कि जो इस बजट में नहीं दी। राज्य सरकार ने जो प्राईवेट आदमियों की या कारपोरेशन की या बोर्ड्स की जमानत दे रखी है और जिसके द्वारा उस कर्ज का भार भी राजस्थान के कन्सोलीडेटेड फण्ड पर आ गया है और इसमें 1 या 1। करोड़ रुपया प्राईवेट आदमियों के जमानत के हैं और इन पार्टीज को

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

पैसा दिलाया है और वह कन्सर्न्स फेल हो गयी हैं उसका भार भी राजस्थान की सरकार के ऊपर आ गया है । इसलिए मैं गत पांच वर्षों से असेम्बली में बजट पर सामान्य चर्चा होती है तब एक बात को लेकर हमेशा मैंने प्रेस किया है और राज्य सरकार से निवेदन किया है कि राज्य सरकार का मंत्री मण्डल, कर्मचारी वर्ग और सचिवालय यह तो सदन के पृथक् अंग हैं लेकिन असली सत्ता इस सदन में बैठी है इसलिए संविधान के आर्टीकल 293 के तहत एक प्रावधान है और वह प्रावधान यह है कि आप कन्सोलीडेटेड फण्ड के खिलाफ कितना कर्जा, कितनी जिम्मेदारी और कितनी सिक्योरिटी आप लेना चाहते हैं उसका निर्णय यह सदन करे । मैं उपाध्यक्ष महोदय, पिछले पांच वर्षों से इस पाइन्ट को प्रेस कर रहा हूँ और माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि यह कहीं भी नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, आन्ध्र में नहीं है, मद्रास में नहीं है । आज जब हमारी आंख खुली कि जो पुराना कर्जा 6॥। अरब का है, वह बुरी तरह से खा रहा है मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि अनडेवलप्ड कन्ट्रीज का बजट जब केवल ऋण के आधार पर चलता है तो उस देश का कल्याण नहीं हो सकता, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता । ऐसी हालत में इन्फलेशन बढ़ेगा और हालत दिन ब दिन खराब होती जायेगी । हमारा कन्सोलीडेटेड फण्ड जिसकी परिभाषा में टैक्स भी आ जाता है, रेवेन्यू भी आ जाता है और दुर्भाग्य से लोन भी आ जाता है । यह दुर्भाग्य है उस कन्सोलीडेटेड फण्ड का जिसकी सिक्योरिटी पर राज्य सरकार ऋण लेती हैं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा हूं कि आज की हालत में आप बचना चाहते है, इस चुनाव के बाद हमारी विशेष जिम्मेदारियां आ गई हैं और वह यह आई है कि जब जनता के बीच में जाते है तो गरीबी का जो नंगा दृश्य सामने है उसको नहीं मिटा सके तो आइन्दा पांच वर्षों के बाद मेरा मत यह है कि इस कर्ज से देश तो दीवालिया नहीं होगा लेकिन यह जनतंत्र कभी दीवालिया न हो जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चुनौती देना चाहता हूं, मैंने प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन का भाषण सुना है और हमारे यहां के कृषि मंत्री महोदय का भी भाषण सुना है, भारत के योजना मंत्री सुब्रह्मण्यम् ने भी भाषण दिया है कि लेण्ड अलाट करते चले जाओ । क्यों साहब ? 6 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन अभी राजस्थान में खेती योग्य है । उसमें से 5 करोड़ एकड़ जमीन को हमने अलॉट कर दी । गांवों में आप जाइये वहां जमीन नहीं है । उसके बाद पोजीशन यह है कि 5 करोड़ एकड़ में से 3 करोड़ 75 लाख एकड़ जमीन में 1969-70 में खेती हुई हैं, यह फैक्ट है, उसके बाद के आंकड़े नहीं हैं क्योंकि बरसात के बाद पता नहीं क्या हुआ लेकिन जो आपका बजट है, राजस्थान में आर्थिक सर्वेक्षण किया गया । 1969-70 में जो टोटल जमीन कल्टीवेट हुई उसमें 60 लाख एकड़ सिंचित है । 3 करोड़ 75 लाख एकड़ जमीन को हम मान ले कि अगर खेती होती है तो 60 लाख एकड़ के बाद 3 करोड़ 15 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जोकि प्रभु के सहारे है और उस पर काश्तकार जीता है । बरसात चली गई तो उसका खाद गया, बीज गया और मेहनत भी गई और उसका दीवाला

Page No 80

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

.ी आ गया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के अन्दर आर्थिक व्यवस्था को सुधारना है तो इस एग्रीकल्चर का 93.7 सुपर-सेचुरेशन पाइन्ट पहुँच गया है और 6.3 परसेंट पोपुलेशन में से साढ़े दो लाख आदमी सरकारी कर्मचारी हैं और दो लाख आदमी अन्य धन्धों में लगे हुए हैं। कोई व्यापार करता है, कोई ट्रांसपोर्ट के साधन चलाता है, कोई गवर्नमेंट की पब्लिक अण्डरटेकिंग में है तो कोई प्राईवेट अण्डरटेकिंग्स में लगे हुए हैं। बकाया आदमियों के पास कोई धन्धा नहीं है। यह आपकी राजस्थान की स्थिति है। प्रभू को ज़मीन दी हुई है लेकिन गरीबी दूर करने का कोई साधन नहीं है। उस गरीब आदमी को भुलावे में डालना चाहते हैं। उसके पास साधन नहीं है, न बैल है, न इरिगेशन के और साधन हैं और न ही इरीगेशन के आयन्दा आने वाले वर्षों में साधन होने वाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मार्जिनल फार्मर्स को भीलवाड़ा जिले के लिए 19 लाख 20 हजार रुपया इस योजना के लिए स्वीकार किया गया लेकिन पता नहीं क्यों एक पैसा भी नहीं दिया गया है। अब कहते हैं कि दो लाख रुपया दिया है लेकिन 17 लाख रुपयों का क्या हुआ? बरसात आ रही है और मार्जिनल फार्मर बैठा रह जाएगा। 1952 में ग्रो मोर फूड कम्पेन चला, उसमें सात अरब रुपया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के नाम पर खर्च किया गया और इस सात अरब रुपये में से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नही करने वाली जो सात परसेंट आबादी है उसके पास रहा लेकिन जो 93 परसेंट एग्रीकल्चरिस्ट है, जो साधन सम्पन्न नहीं है, गरीब हैं उनके पास नहीं पहुँचा और आज की स्थिति भी मैं निवेदन कर दूं कि आज की जो अवस्था है, उस अवस्था में भी जो आपका काश्तकार है, जो मार्जिनल फार्मर है उसके पास उन्नत कृषि के साधन नहीं पहुँचे। आज मार्जिनल फार्मर के पास न अच्छा खाद है, न बीज है और न ही और साधन हैं। मेरे जिले में कम से कम 95 परसेंट लेबर मार्जिनल फार्मर है जिनके पास साधन उपलब्ध नहीं है और न उनको कुओं से पानी मिलता है, न उनके पास बैल है और न खाद-बीज है। वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा कि अनावश्यक खर्चों की कमी करेंगे, टैक्स की चोरी को रोकेंगे लेकिन वह अनावश्यक खर्चे क्या हैं यह मेरी समझ में नहीं आया। इस सारे बजट भाषण को पढ़ने के बाद भी मेरी समझ में नहीं आया कि वे अनावश्यक खर्चे क्या हैं? मैं निवेदन करना चाहूंगा वित्त मंत्री महोदय से। आपका एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन बना। मैं व्यक्तिगत किसी चीज का आक्षेप नहीं करूंगा लेकिन एक बात का निवेदन करना चाहूंगा : हमारे यहां दो लाख कर्मचारी हैं, राजस्थान में जो राज्य सरकार के काम में लगे हुए हैं। इन दो लाख कर्मचारियों के बारे में कोई आफहैंड निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इनके लिए बड़े-बड़े कमीशन, रिफार्म्स कमीशन बने, उन्होंने तय किया है और कमीशन पर कमीशन बने हैं, हर अधिकारी ने छानबीन करके अपने यहां के ढांचे को तैयार किया है, लेकिन मेरा मत यह है कि आपके यहां सेक्रेट्रियेट में तीन कागजों से ऊपर कोई नही निकालता है। मैं एक बात निवेदन करूं कि पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन का सवाल है, इसमें कोई दुविधा की बात

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

नहीं है। अटेस्टेशन करके रजिस्ट्रेशन करना है लेकिन उसके लिए भी छः छः महीने तक कागजात पड़े रहते हैं और चार चार दफा कागजात चलते रहते हैं कि पता दुरुस्त नहीं है। किसी भी तरह से कागजों को दबाए रखना है। यह डिले ही मेन काज है जो आपके यहां के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का मूल कारण हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह रिपेटिशन आफ पेपर्स बन्द कर दो। आपके यहां असिस्टेंट सेक्रेट्री, डिप्टी सेक्रेट्री, जोइन्ट सेक्रेट्री है मैं नहीं समझ सकता कि इनकी इतनी बड़ी संख्या की क्या आवश्यकता है। मैं इस बात को चुनौती देकर नहीं कहता लेकिन यह मेरे मन की बात है जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से और मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि आधारहीन खर्चे कम होने चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रभू के नाम पर आज इन सेक्रेट्रीज और चीफ सेक्रेट्री का कमीशन बना कर अगर आप इनकी जांच करायेंगे तो वही रुपये के सोलह आने होंगे, कहीं एक आने का भी फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तव में अगर खुद आप कुछ करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप विधायकों की एक कमेटी बनावें जिसमें कुछ चुने हुए लोगों को रख सकते हैं और उनकी राय लें तो ही कुछ हो सकता है। मुझे आश्चर्य हुआ मैंने आपके बजट के फिगर्स देखे। बजट में विकास का खर्चा और अविकास का खर्चा अलग अलग दे दिया है। यह बहुत सुन्दर है। इससे मालुम होता है कि विकास के काम में कितना खर्चा होगा और अविकास के काम में कितना खर्चा होगा। सही है, इंजीनियर से लेकर चपरासी तक का खर्चा विकास और अविकास के काम में दिया हुआ है लेकिन जब मैं यह कहूं कि एक्चुअली विकास के काम में कितना खर्चा होगा और एडमिनिस्ट्रेशन पर कितना खर्चा होगा तो आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि राजस्थान केनाल में 72 परसेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा है और 28 परसेंट एक्चुअल खर्चा विकास का है। पंचायत समितियों में भी 89 परसेंट खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन पर और 11 परसेंट खर्चा विकास के कामों पर होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भगवान के नाम पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सही रूप में डायरेक्शन दें। यह हमारी खुशकिस्मती है कि महाजन के हाथ में बजट का काम आया और महाजन की तरह से कारोबार को निपटाने का प्रयत्न किया गया है और घाटे के बजट को पूरा करने का प्रयत्न किया है और आगे भी प्रयत्न करना चाहते हैं इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसका सही हाथों में परीक्षण करावें, सही हाथों से इसका सर्वेक्षण कराइए और इसके बाद तय करिये कि किस अवस्था में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारी आबादी 93.7 परसेंट एग्रीकल्चर बेस्ड है जबकि इंगलैंड की आबादी 13 परसेंट एग्रीकल्चर बेस्ड है और अमेरिका की 7 परसेंट एग्रीकल्चर बेस्ड है और हमारे यहां

(2.37 म.प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

Page No 82

(श्री सुदर्शनसिंह नाहर)

93 परसेंट है, तो बिना उद्योगों के इस देश का कल्याण नहीं हो सकता और उद्योगों में भी जब तक एग्रीकल्चर मिनरल बेस्ड उद्योग नहीं पनपेंगे तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। हमारा राजस्थान, मरुधरा, रत्नगर्भा वसुंधरा कहलाता है। रत्नगर्भा तो इसे कहते हैं लेकिन एक्चुअल फीगर्स में रत्नगर्भा का क्या हो रहा है। 1950-51 में मिनरल प्राडक्ट्स में वहां 22 हजार मजदूर माइनिंग के काम पर लगे हुए थे वहां आज बारह सौ मजदूर काम कर रहे हैं। केवल शब्दों में मरुधरा और रत्नगर्भा कहते रहे तो क्या होता है। मेजर मिनरल निकालना कहां चला गया। आज हम केवल पत्थर निकाल रहे हैं और पत्थर निकालने के काम में 33 हजार मजदूर काम कर रहे हैं। यह हमारे यहां की कहानी है और इस पत्थर निकालने में भी क्या हालत है, पत्थर निकालने का ठेका किसको दिया जा रहा है। छोटे छोटे कारीगरों की कोई कोआपरेटिव सोसायटी नहीं है। कोई हमारे कार्यकर्ता आए, तो उनको ठेका मिल गया, कोई सेठ साहूकार आया, तो उसको ठेका मिल गया जिनके द्वारा मजदूरों का शोषण हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री महोदय से कि राजस्थान एक अनडवलप्ड स्टेट है इसको वेलफेयर स्टेट बनाना है तो यहां की पर-केपिटा इन्कम को भी देखना होगा। आप जो पर केपिटा इन्कम बताते हैं उसमें एक हजार वार्षिक की इन्कम भी शामिल है तो दस हजार मासिक की इन्कम भी शामिल है। आपके सामने लोगों की सही स्थिति सामने आनी चाहिये। इसके लिये आप क्या करने जा रहे हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके राजकीय जितने भी प्रोग्राम हैं, जितने डिपार्टमेंटस हैं, सिंचाई, आबकारी पी० डब्ल्यू० डी० फोरेस्ट आदि इनमें काम ले कर ठेकेदारी प्रथा को बिल्कुल बन्द कर दीजिये। किसी ठेकेदार से काम मत कराइए और जो मजदूरों की कोआपरेटिव सोसायटी हो उनके द्वारा काम कराइए और इस प्रकार जब तक आपके ग्रामीण एरिया में आपका इण्डस्ट्रियलाईजेशन नहीं होगा, हमारी हालत नहीं सुधरेगी। मैं तो गांव-गांव में जाकर देखकर आया हूं उनके पास दूसरा कपड़ा पहनने को नहीं है। शाम को खाने को भोजन नहीं है। मैं तो यह मानता हूं कि गांव में सौ घर हैं तो 99 घरों की हालत ऐसी है जिनमें एक हजार रुपया साल कमाते होंगे और उधर एक घर दस हजार रुपया महीना कमा रहा है। इसलिये मेरा मत है कि 209/- 100/- रुपया एक साधारण आदमी की कीमत रही है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में आप राजस्थान का उद्धार करना चाहते हैं। तीन महीने पहले एक आर्टिकल आया था टाइम्स आफ इन्डिया में। आयंगर करके एक इन्जीनियर थे। इस सम्बन्ध में मैंने राजस्थान के इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट को लिखा है कि आप मेहरबानी करके इस इन्जीनियर साहब की सेवाएं लीजिये। उसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अनुसंधान किया है। 2.2 में एक स्क्वायर फीट की कीमत उन्होंने आंकी है, एक मकान बनाने के लिये और आज 40.71 एक स्क्वायर फीट की आज कीमत आती है

Page No 83

(श्री यशवन्तसिंह नाहर): इससे 30 करोड़ रुपये की फौरन ... भी बच सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सरकार ध्यान दे।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि कहीं मैं रिएक्शनरी ट्रीट नहीं किया जाऊं। यह आपने मिनिमम वेजेज की बात कही है परन्तु इसमें मुझे कृषि के मिनीमम वेजेज देखने को कहीं नहीं मिले है। आज भी जमींदार मौजूद हैं और उसके जो खातेदार हैं उनको उनके यहां पर तीन महीने काम करना होता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इसके लिये मुझे रिएक्शनरी ट्रीट नहीं किया जाना चाहिये, इस एग्रीकल्चर लैण्ड को जो भगवान की दी हुई है उसको अलाट कर देंगे तो गरीब की गरीबी दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ जायेगी एग्रीकल्चरल एकोनोमी को आप बढ़ाना चाहते हैं और जो काश्तकार काम कर रहे हैं उसकी मिनिमम वेजेज पांच रुपया प्रतिदिन करके उसकी हालत को सुधारने की आप कृपा करें वरना इस तरह से तो उसकी हालत सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में 3 करोड़ 35 लाख एकड़ जमीन है और उसमें से केवल 60 लाख एकड़ सिंचित एरिया है। यहां पर मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। सीलिंग को लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है—सिंचित एरिया में सीलिंग क्या हो और दूसरे एरियाज में क्या हो? यह सारा एरिया मैंने तो देखा नहीं है परन्तु राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एरिया को मैं जानती हूं। एक लड़का था, भूले भटके मेरे पास आ गया, उससे मैंने पूछा—क्या तुम्हारे यहां पर साल भर बहने वाली कोई नदी है? उसने कहा—हां, एक नदी है उसको खारी नदी कहते हैं जिसमें साल भर में एक बार भी पानी नहीं आता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में ऐसी विषमताएं बहुत है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि भीलवाड़ा जिले में इर्रीगेशन केवल सीजनल है, राजस्थान में ही इर्रीगेशन सीजनल होता है। राजस्थान केनाल और गंगा केनाल के एरियाज को छोड़कर। मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि हमने एक सर्वे कराया और ट्यूब वैल्स खुदवाये प्रयत्न करके भीलवाड़ा जिले में 18 ट्यूब वैल्स खुदे और सब में ही पानी निकला है और एक से तो 100/100 बीघा की पिलाई चालू है। हमारे चीफ इन्जीनियर साहब कहते हैं कि भीलवाड़ा जिले में पानी नहीं है। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार या दूसरी फाइनेन्सींग ऐजेन्सीज से यह काम पूरा कराया जा सकता है परन्तु इस बजट की ओर देखते हैं तो आपने सिंचाई फंड को बन्द कर दिया है, सड़कों का विकास रोक दिया है। हमने भीलवाड़ा जिले में सिंचाई कोआपरेटिव सोसाइटी डवलप की है आप बैंकों से ट्यूब वैल्स के नाम से इसको कर्जा दिला दीजिये। यदि ट्यूब वैल से पानी नहीं निकला तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है अगर पानी निकल गया तो भीलवाड़ा जिले की एक वर्ष में काया पलट हो जायेगी। हमको इस दिशा में आगे बढ़ने दीजिये। आज इर्रीगेशन के कार्मशियल प्रोजेक्ट्स से रिटर्न कितना है, केवल चार आना? नान कार्मशियल प्रोजेक्ट्स का रिटर्न तो जीरो परसेन्ट है। बजट में इर्री-

Page No 84

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

गेशन चार्जेज बढ़ाने की बात देखी। बड़े ढंग से कहा है हमारे वित्त मंत्रीजी ने कि मैं इस दर को रेशनलाईज कर रहा हूं भाखरा नांगल और मीडियम का। यह अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि इस दिशा में इसी तरह से काम हुआ तो हमारी सरकार को चार आना सैंकड़ा का ब्याज देना भी संभव नहीं है और आज इतने करोड़ों का ब्याज दे रहे हैं। इसको देखते हुए ब्याज और मूल को, तो वह वन-थर्ड हमारे बजट का होता है। इस तरह से यह देते रहेंगे तो हमारा विकास कहां जायेगा? मेरे इस निवेदन पर आप मुझे प्रतिक्रियावादी न कह दें। जो सिंचाई की दरें हैं उसके सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्रीजी से कहूंगा कि उन्होंने इस सदन के अन्दर साहस का काम कर दिखाया है लेकिन जो अनाज पर टैक्स लगाया है उससे किसान लोगों पर भार बढ़ेगा। इसको आप वापिस लें तो राजस्थान के विकास को बल मिलेगा।

मैं इस बजट के सम्बन्ध में जनरल बातें कह रहा हूं। आपने एक बार बहुत बड़ा प्रोग्राम उठाया था। पहले लेन्ड का अन-आथोराइज्ड आकूपेशन करके मकान बन गये थे। मैं यह शहरों की बात नहीं कह रहा हूँ। गांवों की बात कर रहा हूँ। 1955 में, 18 फरवरी, 55 में मकान बने थे और उनको रेगुलराइज करने का काम अब यह 72 आ गया है, नहीं हुआ है। 15 वर्ष का समय बीत गया। चार आना गज कीमत लेने का कहा गया था। इस सम्बन्ध में मुझे एक बात याद आ रही है। 1961 में तत्समय के प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुरजी शास्त्री ने एक बात कही थी-कम्पलसरी एजूकेशन हो, 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों की कम्पलसरी एजूकेशन होना चाहिये। इसका एक सरक्यूलर निकला। इसके लिये ग्राम पंचायत को कहा गया। पंचायत ने सरपंच साहब से कहा। सरपंच साहब ने दीवालों पर यह लिखवा दिया कि बच्चों स्कूल में पढ़ो। इस तरह से बात सरपंच से उप-सरपंच तक गई और उप-सरपंच से पंचों के पास और वह दीवालों पर लिखवा दिया गया कि 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल भेजो। लड़के वहां के स्कूल में जो पहले थे वहीं रहे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है है कि यह व्यवस्था आपके कानून और नारों की है। इन्सपेक्टर और पटवारी से बात की है कि क्या ऐसा सरक्यूलर आया है कि 55 में जिसने अन-आथोराईज कब्जा करके मकान बना लिये हैं उनको रेगुलराईज कर दिया जाये, उन्होंने कहा हमारे पास नहीं आया है। मैंने कहा लिख कर दे दो, उन्होंने लिख कर दे दिया कि ऐसा कोई सरक्यूलर नहीं आया है। कलक्टर के पास गया। उन्होंने एक नई बात कही, हां आया तो है परन्तु वह तहसीलदार साहब के पास नहीं पहुंचा। उन्होंने एक बात और फर्माई कि वह सरक्यूलर लागू नहीं होता है और उन्होंने वह आर्डर निकाल कर बता दिया। तो यह 18 फरवरी 1955 की बात है कि जो मकान बन गये हैं उनका आप नियमन कर दें और 55 से 1970 तक उनकी यह खूबसूरती है। मेवाड़ में एक कहावत है कि 17 वर्ष में किसी मुकदमे का फैसला नहीं हो तो वह फैसला लागू नहीं होगा और अगर फैसला हो गया तो वह उस पर लागू नहीं होगा। मैंने यह सारी बात लिख कर रेवेन्यू सचिव

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

महोदय को भेजी है। यह तो हम कल्पना करके ही चले हैं कि आपने यह सरक्यूलर 55 में निकाला है और 17 वर्ष तक वह पड़ा रहा और किसी की निगाहों में वह नहीं आया। कोई जमीन ऐसी है जिस पर अनआथोराईज्ड आकूपेशन है और अब जाकर के वह ध्यान में आया है कि उसको रेगुलराइज नहीं किया गया है और अगर फाइन हो गया तो वह फाइन लागू नहीं होगा। मैंने राजस्व मंत्रीजी से बात की है और उनके ध्यान में यह बात है। राजस्व सचिव से भी बात की है और इस कागज का कोई रास्ता निकल जायेगा, ऐसी आशा करता हूँ, वैसे रेवेन्यू विभाग के सैकड़ों सरक्यूलर निकलते हैं और एक का भी पालन नहीं होता है। तो यह जो हमारा दकियानूसी, सामन्तशाही लॉ है उसको जितना जल्दी हो सके खतम करना चाहिये।

एक और बात निवेदन करना चाहता हूं। आपके सब जगहों पर तालाब हैं और जहां पर तालाब से जमीन सिंचित होती थी वहां पर पिलाई और लेन्ड रेवेन्यू शामिल कर दिया गया। था अब वे तालाब तो जागीरदार के पास रह गये और सरकार उनसे लेन्ड रेवेन्यू वसूल कर रही है जिसमें पिलाई भी शामिल है। इसके अलावा वही जागीरदार 20/- रुपया फी बीघा पिलाई किसानों से वसूल कर रहा है। एक ओर वह किसान लेन्ड रेवेन्यू और सिंचाई का कन्सोलिडेटेड फन्ड राजस्थान सरकार को दे रहा है और पिलाई भी अलग से दे रहा है। 1961 के मुकदमें जागीर कमिश्नर के यहां पर पेंडिंग हैं और वहां से वे मुकदमें 1972 तक हाईकोर्ट में पेन्डिंग पड़े हैं और कोई निर्णय नहीं हुआ है। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर करीब करीब 80 हजार बीघा भूमि आवंटित की गई है उनके केसेज लैण्ड रेवेन्यू कोर्ट्स में पड़े हुए हैं। ढाई वर्ष हो गये हैं और 6—6 महीनों से पेशियां पड़ रही हैं। यह जो मसले हमारे सामने हैं इन सब मसलों को हल करना पड़ेगा। खाली यहां भाषण दे दिये, तूफान मचा दिया, और समाजवाद का नारा लगा दिया, उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन क्या हम गरीब जनता के पास पहुंच सके ऐसी कोई स्थिति नहीं है? केवल मात्र यह कह दिया कि गरीबी हटाना चाहते हैं उससे गरीबी नहीं हटेगी। हम तो गरीबी बढ़ाने के और साधन पैदा कर रहे हैं।

वे हमारे यहां एग्रीकल्चर जो है वह 10 बीघे से कम है, और यह जो फीगर दिखाये हैं मार्जिनल फार्मर के उनको देख लें। 72 पर्सेन्ट मार्जिनल फार्मर्स हैं। उनके कुओं की स्थिति यह है कि वे 2-3 बीघे से ज्यादा की पिलाई नहीं कर सकते हैं। कोई कुआं ही किसी भाग्यशाली के ऐसा होगा जिससे 10 बीघे की पिलाई कर सके। वह तीन बीघे की पिलाई तीन दिन में कर देता है। फिर इसका प्रयत्न किया गया कि इसको बदल दे और इलेक्ट्रिसिटी का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अन्दर प्रयोग कर दें। उस पर एक एन्जिन लगा दें और एक कुट्टी की मशीन लगा दें। लेकिन उसको बिजली 18 पैसे में देंगे। वह चार हजार का कर्जदार बनकर एक पंपिंग सेट लगायेगा और मोटर लगायेगा तो उसका 40 रु.

Page No 86

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

महीना ब्याज हो गया और, आठ आने के हिसाब से 20 रुपया महीना ब्याज होता है, तो साल भर का कितना होता है। हमारा मार्जिनल फार्मर जो कि अपनी मेहनत से कमाता खाता है और उसकी आमदनी 1 हजार से कम है जब कि हमारे यहां यह होता है कि हर 5 वर्ष में ... वर्ष अकाल पड़ता है, और एक वर्ष केवल ... अच्छा निकलता है। 5 वर्ष में एक वर्ष की कमाई में चार वर्ष के अभावों की वह पूर्ति करता है। इसके लिए 18 पैसे और बड़े बड़े जो कारखाने हैं उनके लिए 5 पैसे प्रति युनिट। मैं यह निवेदन करता चाहता हूं कि इन्डस्ट्री वालों को जितने एक्जम्पशन दिये हैं उतने उनको नहीं दिये गये हैं। उन्हें बिजली 18 पैसा प्रति युनिट से देते हैं। उसके लिये कहा जाता है कि बड़ा कन्जम्पशन करने वाले हैं, 1 लाख से ज्यादा युनिट कन्ज्यूम करने वालों को दिया है तो हमने भी इसको समझने की कोशिश की है। इसका मानना यह है कि इतनी बड़ी सहूलियत दी जाय। आपकी कमाई का साधन एक और है। इसकी तरफ आप ध्यान देंगे तो गरीबों का कल्याण होगा। यह जो धारणा है कि आपने अमीर को नहीं छुआ है आपने गरीब भोली गाय को छूने का प्रयत्न किया है। आप कृपया जितने बड़े आदमी हैं जो कि इन्डस्ट्री को लेकर बैठे हैं और लाखों करोड़ों रुपये केवल बिजली से कमाते हैं उनको छूने का प्रयत्न किया जाय।

मैं यह निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्री महोदय कानून के ज्ञाता हैं आर्टिकल 93 के तहत कम से कम यह अधिकार असेम्बली को सौंपा जाय कि वह यह देखे कि सरकार ने कितना कर्जा ले चुकी है। हम यह समझ सकते हैं कि विकास कार्य के लिए कर्जा लिया है, यह अधिकार राज्य सरकार का नहीं है और असेम्बली का अधिकार है। इस अधिकार का यह सदन इस वक्त जो हालत पहुंच चुकी है प्रयोग कर सकता है और हमारी अन्दर की यह आवाज आई है कि हम खुद इस चीज को ऐसे सम्हालें कि जिसके द्वारा कन्सोलिडेटेड फण्ड पर अधिक से अधिक भार न पड़े।

एक निवेदन और मैं करना चाहता हूं। जब हम स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट द्वारा निकाले गये आंकड़ों को देखते हैं तो इन्डस्ट्रीज के बारे में भुलावे में पड़ जाते हैं। राजस्थान के बारे में राजस्थान के लिए आपने बताया है और आपके भाषण में लिखा है कि 55 हजार कम्पनियां आपके यहां रजिस्टर्ड हुई हैं, पार्टनरशिप फर्म्स रजिस्टर्ड हुई हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इसमें राजस्थान की भोली जनता को धोखे में डालने का प्रयत्न नहीं किया है? इनका प्रोडक्शन कितना हुआ? यह फीगर्स आपके सामने नहीं आये। कई पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां फेल होती जा रही हैं। कितने लोगों को एम्प्लायमेंट मिला और कितना प्रोडक्शन हुआ है और पर-केपिटा इनकम में क्या फर्क पड़ा है यह कहीं भी सरकार ने आंकड़े पेश नहीं किये हैं। इस साल थोड़े से इसमें पेश किये हैं उसके लिये तो आप बधाई के पात्र हैं वह भी पूरे नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बधाई भी आधी दीजिये पूरी काहे को दे रहे हैं।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आपने यह लिखा है कि जो विकास खर्च है उनको कम करने का प्रयत्न करेंगे तो मैं आडिट रिपोर्ट की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। 10 वर्षों की आडिट रिपोर्ट को पढ़िये उसके बाद में जन लेखा समिति की कार्यवाही होती है, वह क्या होती है मुझे नहीं मालूम लेकिन 10 वर्षों की जन-लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह दिखें कि अनधिकृत चीजें जिनकी कोई उपयोग नहीं है खरीदी गई हैं ऐसे कौन से अधिकारी हैं उनको दण्डित किया जाय। आपने एक दफा दण्डित करने का प्रयत्न किया तो ये सारी चीजें दूर हो जायेगी।

हमारा जो पेटर्न है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक सर्वेक्षण किया है कि गवर्नमेंट अण्डरटेकिंग और गवर्नमेंट आफिसेज ओवर स्टाफ्ड हैं। मैं भी यह मानता हूं और भूतपूर्व पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर भी यह बता रहे थे और उन्होंने एक भाषण भी दिया था कि डाइरेक्टर, ज्वाइंट डाइरेक्टर, एडिशनल डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, असिस्टेंट डाइरेक्टर, और पता नहीं कितने कितने नये नये पदों का सृजन होता चला जा रहा है और सृजन होने बाद जो विस्तार सामने आता है उसकी हालत यह है कि ओवर स्टाफिंग का इतना बड़ा पटर्न है कि इनके फीगर्स को आपके सामने रखें तो अम्बार हो जायगा। मैंने दो उदाहरण दिये हैं आपको 78% स्टाफ का खर्चा है। 88% विकास का खर्चा है। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप एम. एल. एज. की एक कमेटी बनायें। नहीं तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाये हैं उनसे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। यह खर्चा तो द्रोपदी के चीर की तरह से बढ़ने वाला है। नतीजा यही है कि अब भी 6 सौ करोड़ का ब्याज देना पड़ता है। नहीं तो कहीं सरकार को सड़क पर ने निकलना पड़े वैसे सरकार भी सड़क पर निकलती नहीं है बात साफ है यह हमारा अधिकार है यह देश के सुधार कार्यों में लगेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक आप को-आपरेटिव सेक्टर को मजबूत नहीं करेंगे तब तक यह नहीं होगा। आप के महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े मिल हैं, कम्पनी हैं। को-आपरेटिव बैंक हैं। बैंक के पास भी कुछ नहीं है। दो लाख, बीस लाख लेके बैठे हैं। तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस सब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक सामने आयेंगे नहीं तब तक देश का भला नहीं हो सकता है। राजस्थान की जो अवस्था है, कोई भी सरकार कर्ज को खतम नहीं करती है। अभी आपने जो टैक्स बढ़ाये हैं, उस बारे में आप को सोचना है। यही मेरा निवेदन है। यही कह कर मैं अपने स्थान पर बैठता हूं।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 143 के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों को सदन के नेता महोदय द्वारा जनलेखा समिति की सलाह पर विचार करने के पश्चात् निश्चित किया जाता है परन्तु अभी जनलेखा समिति का गठन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह कम दिनांक 8 अप्रैल, 1972 को कार्य सलाहकार समिति की दूसरी प्रतिवेदन में स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार माननीय अध्यक्ष द्वारा

(श्री खेतसिंह)
सदन के नेता महोदय के परामर्श से निश्चित किया जाता है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि आय-व्ययक, 1972-73 से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों को सदन में मतदान हेतु प्रस्तुत किये जाने का क्रम निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 143 को लागू होना निलम्बित कर दिया जाय जिसमें मांगों को सदन में प्रस्तुत किये जाने का क्रम निश्चित करने का प्रावधान है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि प्रक्रिया के नियम 143 को निलम्बित किया जाये?

(स्वीकृत)

स्वीकार किया गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय सभापति जी, इस वर्ष का अनुमानित बजट सदन में प्रस्तुत हुआ है। इस बारे में इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के सुझाव दिये हैं। फिलहाल जो स्थिति देखते हैं तो राजस्थान की स्थिति वस्तुतः शंका पूर्ण है। हम राजस्थान के विकास की ओर दृष्टिपात करें तो अन्धकार नजर आता है। ऐसी स्थिति में माननीय वित्त मंत्री जी ने टैक्स लगाये हैं तथा रिकवरी करने के लिए भी कुछ स्टेप्स लिये हैं। परन्तु सभापति महोदय, जब हम पश्चिमी राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्र की ओर दृष्टिपात करते हैं तो अन्धकार ही नजर आता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो स्टेट की वित्तीय स्थिति रखी है उसको देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी से सोचना पड़ता है, लेकिन दूसरी ओर हमारी जनता की जो समस्याएं हैं, जो ग्रामीण जनता की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के बारे में भी हमको ही सोचना है। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्लान एक्सपेंडीचर के अन्दर जो आप कट करने की बात करते हैं वह न करें। हमारा प्लान एक्सपेंडीचर बहुत ही नेग्लीजेबिल है। जब हम हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स को देखते हैं तो उनके मुकाबले में राजस्थान का प्लान एक्सपेन्डीचर बहुत ही कम है। हम जब जिलेवार विकास के आंकड़े देखते हैं, तो हमारे यहां विकास का कार्य न के बराबर नजर आता है। एक तरफ तो राजस्थान में अभाव की स्थिति हो रही है, दूसरी ओर राजस्थान के फाइनेन्सेज इस तरह के सामने आते हैं और तीसरी ओर ग्रामीण जनता की समस्याएं, इन सब बातों पर हमें गम्भीरता से विचार करना होगा।

आज राज्य की जो स्थिति है, हमारे ऊपर साढे छः अरब का ऋण है, ओवर-ड्राफ्ट की पोजीशन भी यह है कि केन्द्रीय सरकार ने कह दिया है कि ओवरड्राफ्ट आपको चुकाना होगा वर्ना कोई पेमेंट नहीं किया जायेगा। तो ऐसी स्थिति में सदन को यह विचार करना होगा कि केन्द्र ने जो कठोर रुख राजस्थान के प्रति अपनाया है जब कि हमारी वित्तीय स्थिति इतनी गम्भीर है, तो वह रुख कहां तक ठीक है।

जब अप्रेल महीने का अन्त होने जा रहा है। कई गांवों को दो महीने से ही

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

अभावग्रस्त पाया है, पाया गया है, कलेक्टर्स की रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन कुछ दिन पूर्व जब यह प्रश्न आया तो अकाल राहत मंत्री कोई उत्तर देने में असफल रहे कि उनके पास कोई योजना है, या कौन से कार्य लेने हैं। राज्य सरकार ने अकाल मंत्री बदल दिया, परन्तु यह नहीं बताया गया कि आज उन क्षेत्रों में कौन से कार्य चला रहे हैं और लोगों को रोजगार देने का, क्या प्लान है। हम जब अब दस बारह दिन की छुट्टी में अपने गांव में गये तो लोगों की हालत बहुत गम्भीर देखी। जो लोग वेजेज पर अपनी जिंदगी बसर करते हैं, सैकड़ों लोग जालौर और बाड़मेर से गुजरात, अहमदाबाद और पालनपुर चले गये। आपने बताया कि क्रैश प्रोग्राम चला रहे हैं रूरल वर्क्स प्रोग्राम ले रहे हैं और उनके अन्तर्गत रोजगार देने की बात कही गई। रूरल वर्क्स के अन्तर्गत सरकार ने दो करोड़ का अनुदान मन्जूर किया है, लेकिन मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि यदि आप इन वर्क्स की संख्या देखें और मजदूरों की संख्या देखें तो यह अनुदान नहीं के बराबर है। जो वर्क्स हुए हैं उनके बारे में सुनें तो बड़ा ताज्जुब होगा कि वर्क्स नहीं के बराबर हैं। आज अप्रेल का महीना समाप्त होने जा रहा है, कलेक्टर ने इतने अर्से पहले सूचित कर दिया है तो राज्य सरकार सो क्यों रही है? दूसरी तरफ राज्य सरकार के पास साधन नहीं हैं-यह बात कही जा रही है तो क्यों नहीं राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से जाकर कहे। अब स्टेडी टीम के आने की बात हो रही है, वह स्टेडी टीम आये वह उसके बाद अपनी रिपोर्ट दे, तब जाकर पैसा मिलेगा और कुछ काम शुरु करेंगे, तब तक बरसात आ जायेगी। लेकिन आज इस तरह की स्थिति पश्चिमी राजस्थान की है, यह स्थिति शोचनीय है। सभापति महोदय, आपकी मार्फत, अकाल सहायता मंत्री तो इस सदन में हैं नहीं, लेकिन जो भी मंत्री बैठे हैं उनको कहता हूं, वह अकाल सहायता मंत्री को सूचित कर दें, सुबह भी जो इन इलाकों से माननीय सदस्य आये हैं उन्होंने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, तब यह कहा था कि बजट डिस्कस करने जा रहे हैं उस पर कह दें। आज लोगों की यह हालत है कि भूखमरी की स्टेज पर वह पहुँच गये हैं। उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। ऐसी हालत में राज्य सरकार द्वारा कम से कम कुछ कदम शीघ्र उठाये जाने चाहिए और व्यवस्था की जानी चाहिए वरना वर्षा के पूर्व जो मजदूरी के लिए लोग बाहर गये हुए हैं वह समय पर वापिस नहीं आ सकेंगे और समय पर खेती नहीं होगी।

दूसरा मैं ऋण की वसूली के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, पीछले सालों के ऋण की वसूली का सवाल है, रेवेन्यू की वसूली का सवाल है, कोपरेटिव के ऋण की वसूली का सवाल है। यह वसूलियां बहुत जोरों से की जा रही है। यहां तक स्थिति है कि काश्तकारों को उसका समान बेचकर गुदड़े बेचकर, मवेशी बेच कर, कुर्की करने की कार्यवाही हो रही है कई लोगों के यहां तो कुर्की की जा चुकी है। ऐसी हालत है कि जो उनके काश्त करने के साधन हैं वह कुर्क हो जायेंगे, फिर वह खेती किस प्रकार से करेंगे यह भली भांति आप सोच सकते हैं।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इसलिए इस बारे में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस बारे में वह तुरन्त कोई कदम उठाये और उचित व्यवस्था करके इस सदन को सूचित करें, ताकि कुछ लोगों को रिलीफ मिल सके और लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जा सके। कुछ लोगों को रिलीफ मिल सके और लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जा सके।

सभापतिजी, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति जो हैं उसके बारे में मेरा निवेदन है कि घाटे का बजट हमेशा पेश होता रहा है। घाटे का बजट है और राज्य सरकार की ऐसी वित्तीय स्थिति है उसके बावजूद इस साल, थोड़े अर्से पहले एडहाक रिलीफ कर्मचारियों को दिया है, उसका चार करोड़ 12 लाख रुपया चुकाना पड़ा। ऐसी स्थिति होते हुए भी मजबूरी की हालत में कर्मचारियों को रिलीफ देना पड़ा। जो घाटा आया उसको देखते हुए टैक्स का भार राज्य सरकार ने डाला है और जैसा कि एक पूर्व वक्ता ने कहा मनोरंजन कार्यक्रम टैक्स के मामले में ऐसे लोगों पर गया है, जो स्माल इन्डस्ट्री में काम में लगे हैं, कुटीर उद्योग में हैं और छोटे छोटे कारीगर हैं।

(3.13 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव उपाध्यक्ष, पदासीन)

उनको उनमें काम मिलता है। उन पर सैंकड़ों लोग निर्भर रहते हैं, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के सैंकड़ों लोग रहते हैं। इन टैक्सों से उनको धक्का लगेगा। उनको सहायता देने की बात तो दूर रही इन टैक्सों को लगाकर उनको आप धक्का पहुंचा रहे हैं। आस पास के प्रदेश हैं वहां पर जो टैक्स लगे हुए हैं उनको देखते हैं तो दो पर्सेन्ट, ढाई परसेन्ट से अधिक नहीं है, उसके बजाय यहां पांच परसेंट कर देना न्यायसंगत नहीं हैं। साथ ही इस टैक्स से जो रेवेन्यू आयेगी उसकी भी गारन्टी नहीं है। पहले भी अनुमान जो किये, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने कई बार ऐसे टैक्स लगाये लेकिन बाद में अनुमान फेल हो गये और आमदनी नहीं हुई, तब राज्य सरकार को वह विथड्रा करने पड़े। तो क्या गारन्टी है कि जो टैक्स रखे हैं उनसे पूरी इन्कम हो ही जायेगी। तो एक तरफ तो इन्कम नहीं होगी, दूसरी ओर इन्डस्ट्री को नुकसान होगा। इसलिए आस पास के पड़ोसी राज्यों की स्थिति को देखते हुए, वहां की रेट को देखते हुए टैक्स की रेट निर्धारित होनी चाहिए नहीं तो इन्डस्ट्री डिस्करेज होगी और दूसरे प्रदेशों में गहने आदि बनवाये जा सकते हैं।

दूसरे आपने अनाज पर टैक्स लगाया है। जो रेट लगाई है, अनाज पर, मोटे अनाज पर, जो बाजरे वगैरह पर, इस टैक्स को लगाने का आधार क्या रखा है? मेरा निवेदन है कि यह जो टैक्स इन्क्रीज किया है, यह न्यायसंगत नहीं है। एक तरफ हम देखते हैं यह टैक्स, दूसरी तरफ राज्य सरकार ने ट्रैक्टर फर्टीलाइजर, जो भी काश्तकार के उपयोग की चीजें हैं, उन पर टैक्स ज्यादा कर दिया है। आप देखिये, पिछले तीन चार साल में गांवों की क्या

Page No 91

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

प्रोजीशन थी, इन्डिया की क्या थी और राजस्थान की क्या थी ? फेमिन के टाइम में डेढ़ सौ रुपये क्विन्टल में अनाज नहीं मिलता है, लेकिन जब किसान के खेत पर फसल होती है तो पचास रुपये क्विन्टल पर कीमत आ जाती है। लेकिन राज्य सरकार की ओर से फार्मर की प्रोड्यूस के लिए मार्केट की व्यवस्था नहीं है। आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि फार्मर को अपनी प्रोड्यूस की फेअर प्राइस मिल सके। दूसरी तरफ आप टैक्स पर टैक्स लगाते जा रहे हैं। मार्केट में उनकी प्रोड्यूस की फेअर प्राइस मिलने की व्यवस्था नहीं है, कोई स्टैन्डर्ड मार्केट का नहीं है, मार्केटिंग सोसाइटी को सशक्त नहीं बना सके हैं, इसके उपरान्त भी जब आल इन्डिया की प्राइस निर्धारित होती है तो उसमें प्राइस नीचे गिर जाती है। उनकी प्रोड्यूस के राज्य सरकार द्वारा या फूड कोर्पोरेशन के द्वारा खरीदने की व्यवस्था नहीं है कि वह तुरन्त ऐसी व्यवस्था कर सकें और रेट नीचे जाने पर मार्केट में तुरन्त उतर सकें। इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। आज के काश्तकार की क्या हालत है, काश्तकार की प्रोड्यूस की क्या हालत है–यह देखिये। राजस्थान की भौगोलिक कन्डीशन ऐसी है कि मानसून की सर्टेन्टी नहीं रहती है, फेमिन अफेक्टेड एरिया हैं वहां फेमिन की कन्टीनियुटी है। ऐसी हालत में आपने जो टैक्स का आधार रखा है वह डिफेक्टिव है। आप चाहते हैं जितने दुकान खोल कर बैठे हैं वह टैक्स दें। आप सोचते हैं कि अनाज के व्यापारी से टैक्स वसूल होगा ? कतई नहीं होगा। वह टैक्स डाइरेक्ट कन्ज्यूमर पर पड़ेगा। आप कोई भी टैक्स लगायें, कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं है जो दे, वह गरीब के ऊपर पड़ेगा। आपने जो टैक्स लगाया है उससे दुगुना वह वसूल कर लेगा और वह कन्जूमर को देना पड़ेगा। ऐसी हालत में जो टैक्स आपने लगाया है काश्तकारों की प्रोड्यूस पर, जिनको पिछले सालों में कुछ इन्सेन्टिव मिला है, और दो तीन साल में इरिगेटेड एरिया में जो काश्तकारों की हालत सुधरने लगी है, उस पर इससे धक्का पड़ेगा और आपकी कोई इन्कम नहीं होगी। इसका प्रोडक्शन पर बुरा असर पड़ेगा। जो फेमिन अफेक्टेड एरिया हैं वहां पर सौ सवा सौ रुपया क्विन्टल अनाज अब मिलता है, लेकिन जब अपनी प्रोड्यूस को दूसरी जगह बेचने के लिए जाते हैं तो उनको पचास रुपये क्विन्टल मिलता है। ऐसी हालत में राज्य सरकार को सोचना चाहिए और मार्केटिंग सोसाइटी, कोपरेटिव सेक्टर पर आशा करके बैठे हैं तो उनको मजबूत करने के लिए वित्त मन्त्रीजी को घोषणा करनी चाहिए। एक तरफ आप समाजवाद की बात करते हैं और दूसरी तरफ काश्तकारों की हालत सुधारना नहीं चाहते हैं तो उनकी जो बेसिक प्राबलम हैं, उनको सोल्व करने की बात आती है। दूसरे एग्रीकल्चर लेबर की समस्या आती है, आज जो एग्रीकल्चर लेबरर्स की फेमिलीज हैं उनमें जितने मेम्बर्स हैं, अगर वह दस हैं तो दस ही काम करते हैं, इस प्रकार आप ताज्जुब करेंगे कि भारत में 80 पर्सेन्ट पीपुल लिविंग आन एग्रीकल्चर हैं जब कि अमरीका में केवल 1 पर्सेन्ट पीपुल हैं। फिर भी उनके यहां से कई मुल्कों में अनाज आता है और इतना अनाज होता है कि समुद्र में फेंकने की स्थिति आती है। वहां एग्रीकल्चर इन्डस्ट्री की यह हालत है

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जब कि हिंदुस्तान में यह हालत है ऐसी दयनीय हालत होते हुए भी राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। फेमिन पड़ते हैं, फावर के अन्दर काश्तकार तबाह होते हैं और फलड से परेशान होते हैं। आप ताज्जुब करेंगे सैंकड़ों काश्तकारों के मकान जल जाते हैं, उन लोगों को आप पच्चीस रुपया देते हैं इमीजियेटली, और दूसरा कोई प्रावधान नहीं है। इतना एक्सपीरियेन्स होते हुए भी राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। नेचुरल केलेमिटीज एकदम आती है, चारा फूस और घास जल जाते हैं लेकिन उनका कम्पेन्सेशन देने के लिए कोई योजना नहीं लाये हैं।

शीप एण्ड वूल के बारे में वित्त मन्त्री ने कुछ नहीं कहा है और गांवों के शीप ब्रीडर हैं वह राजस्थान में मारे मारे फिरते हैं, उनके पास शीप को चराने की व्यवस्था नहीं है। उनकी हालत को सुधारने की व्यवस्था हो तो वूल का डाइरेक्ट फायदा मिले। लेकिन इसके लिए भी कोई व्यवस्था या प्रावधान नहीं है, सुविधा नहीं है। वित्त मन्त्रीजी ने विलेज में जो यह शीप ब्रीडर्स रक्खे हैं उनके बारे में इस बजट में कोई घोषणा नहीं है–उनकी हालत को सुधारने के लिए या उनको कोई कन्सेशन देने के लिए।

दूसरे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बात आती है। उनके बारे में कुछ घोषणा की है, यह कहा है कि पानी बिजली की मुफ्त सुविधा दी जायेगी। इसके अलावा वित्त मन्त्रीजी ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए लोन की व्यवस्था की जायेगी, जो उनको एलॉटेड लैंड है, उनको लोन की गारन्टी देकर उनको लोन देंगे। आप ताज्जुब करेंगे साचोर में एक भी शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का एक भी मेम्बर बता दीजिये, जिसको बैंक ने ऋण दिया हो। आप ने सिर्फ ऐसी घोषणा कर, दी लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या रहता है–यह नहीं देखते। आपके जो अधिकारी और आफिसर बैठे रहते हैं उनकी यह मेन्टेलिटी और टेन्डेन्सी है कि जो पालिसी डिक्लेअर होती है, हाउस में तालियों की गड़गड़ाहट में कन्सेशन दिये जाते हैं उनका कैसा इम्प्लीमेंटेशन वह करते हैं।

दो साल पहले ओल्ड एज पेंशन शुरू की गई कि जिनके कमाने खाने का साधन नहीं है और जो ओल्ड हैं उनको ओल्ड एज पेंशन देंगे। मैं जालौर जिले के बारे में निवेदन करूं कि जालौर जिले में एक भी व्यक्ति को ओल्ड एज पेंशन नहीं दी गई। क्या सारे जिले में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है? क्या सभी की हालत कमाने खाने की है? आपने बजट में प्रावधान कर दिया लेकिन कलेक्टर को कोई निर्देश नहीं है। कलेक्टर की और डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स की ड्यूटी होनी चाहिए जो जाकर देखे कि कौन सा ऐसा वृद्ध है जिसके पास साधन नहीं है। तुरन्त ऐसे लोगों का पता लगा कर केस बनाया जाना चाहिए और इमीजियेटली उनको पेंशन मिलनी चाहिए। आपने घोषणा तो कर दी लेकिन घोषणा करने से ही क्या हुआ, किसको इससे राहत पहुंची? आपकी मशीनरी का वही पुराना मेंटल आउटलुक है जब कि आज यहां डेमोक्रेसी है। आज इस मशी-

Page No 93

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नरी का मेंटल आउट लुक चेंज होना चाहिए। लेकिन आज आपकी हालत क्या है? आज सुबह ही एक प्रश्न के जवाब में बताया असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में और इंस्पेक्टिंग असिस्टेण्ट डायरेक्टर के बारे में कि दो साल तक वे लगातार बीमार ही रहे और कुछ काम नहीं हुआ। तो इस प्रकार का खर्चा करने की क्या जरूरत है? आपने कहा कि हम फालतू खर्चा रोकेंगे। आप अपने सेक्रेट्रियेट लेवल के आफिसर्स की परफार्मेंस को देखिये, क्या हालत है। हम सेक्रेट्रियेट बराबर जाते रहते हैं। कागजात दबे पड़े रहते हैं और महीनों एक टेबल से दूसरी टेबल पर नहीं जाते। किसी एक टेबल पर जाकर ठप्प हो जाते हैं। इस हालत के बारे में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट भी आई लेकिन उससे भी कुछ हो सकेगा इसमें संदेह है। हम गांवों में जाते हैं और जिन गांवों के लोगों की वजह से हम जीते हैं, उन्हीं को जब कर्मचारी परेशान करते हैं तो वे हमको परेशान करेंगे। हम कुछ न कुछ पोलिसीज के बारे में हर रोज डिक्लेयर करते रहते हैं लेकिन जितना डिक्लेयर करें उसके अनुसार कम से कम काम भी होना चाहिए। आप डिक्लेयर तो करते जायें लेकिन उसके अनुसार काम नहीं हो तो लोग हमको परेशान करते हैं। आपके सेक्रेट्रियेट के अन्दर जितने सेक्रेट्रीज हैं उनको तीन हजार रुपया मासिक मिलता है तो उनकी भी कुछ डायरेक्ट जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन आज उनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी कुछ नहीं है। एल. डी. सी., यू. डी. सी. पर जुम्मेदारी डाल देता है, यू. डी. सी. कागज को लेकर बैठ जाता है, जो आपका सेक्शन इंचार्ज है वह लेकर बैठ जाता है, सेक्रेट्रीज कहते हैं कि हमारे पास फाइल नहीं आती। तो यह काम कब तक चलेगा? यह हमारे स्टेट की हालत कब तक चलती रहेगी? कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का सवाल आया और उसमें चार-करोड़ 12 लाख रुपया उसमें निकल गया। कितना ही टैक्स लगाते हैं वह रुपया इधर-उधर भत्तों में निकल जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे तो भी घोषणा करें, हम चाहेंगे कि जो भी आप घोषणा करें उसका इम्प्लीमेंटशन होना चाहिए और मशीनरी पर कट आना चाहिए। जिस प्रकार आप सीलिंग लगा रहे हैं, शहरी सम्पत्ति और भूमि पर सीलिंग लगा रहे हैं उसी प्रकार इनको तनख्वाहों पर भी सीलिंग लगा देनी चाहिये और जो इनएफिशियेंट हैं, जो कागजों को लेकर बैठ जाता है उसको आप डायरेक्ट शण्ट आउट कीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशियेंसी को इम्प्रूव कीजिए। इसी तरह से सर्विसेज के सर्विस रूल्स बहुत पुराने बने हुए हैं, इस सर्विस क्लास का मेंटल आउट लुक चेंज करने के लिये सर्विस रूल्स में चेंज करना होगा। जब तक आप इस मशीनरी का मेंटल आउट लुक चेंज नहीं करेंगे, जनता की जो भावनाएं हैं, जनता की जो आशाएं हैं, उनको पूरी नहीं कर सकेंगे। इससे हम भी परेशान होंगे और जो लोगों में हमने भावनाएं जगायी हैं, जो लोगों को हम रिलीफ दिलाना चाहते हैं जो भी क्रैश प्रोग्राम के द्वारा और दूसरे प्रोग्रामों

Page No 94

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

के द्वारा, जनता को राहत पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए केवल घोषणाएं होकर ही न रह जायं, उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिये। इस बारे में जो भी राज्य की फाइनेंशियल स्थिति है, फाइनेंस की हालत इतनी खराब होते हुए भी आपने जो घोषणाएं की हैं, उनको पूरा कीजिए इसके अलावा जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनको टेप कीजिए। टैक्सों की चोरी होती है, टैक्स इवेजन होता है, जो आपके धनी आदमी हैं वे रुपये लिए बैठे रहते हैं, गरीब पर अगर किसी प्रकार का बकाया है तो उसके तो कपड़े तक कुर्क हो जाते हैं, खेत कुर्क हो जाते हैं, लेकिन जो धनी लोग हैं उन पर बराबर एरियर्स चले आ रहे हैं। आपके सामने आडिट रिपोर्ट आती है, पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी बराबर सालाना रिपोर्ट देती है कि इतने करोड़ का आपका एरियर है। बराबर रिपोर्ट सरकार को जाती है लेकिन न मालूम विभाग उसको देखता भी है या नहीं, वसूली होती नहीं और बराबर एरियर चलते रहते हैं। तो उपाध्यक्षजी, ऐसी हालत में जो हमारे स्टेट की फाइनेंशियल पोजीशन है, वित्त मंत्रीजी को इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जो टेक्सेज का वजन ज्यादा उठा सकते हैं उनसे ज्यादा लिया जाना चाहिये और इस मामले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। जहां ज्यादा टैक्स लेने की आवश्यकता है वहां बराबर लिया जाना चाहिये। लेकिन जो ग्रामीण लोगों की मेन प्राब्लम्स हैं उनको हल किया जाना चाहिये। ग्रामीण लोगों की मेन प्राब्लम आज जल प्रदाय योजना की है। आप जल प्रदाय योजना पर काम करना चाहते हैं और आपने जो प्रावधान रखा है उससे हो सकता है कि सीटिज की सेवन्टी-फाईव परसेंट प्राब्लम सोल्व हो जाये लेकिन आज गांवों के अन्दर कितनी दिक्कत है इसको देखने की जरूरत है। आज भी ऐसे ऐसे गांव हैं जहां दस दस मील से लोगों को पानी लाना पड़ता है। इसके बारे में बार बार कहा जाता है। पहले एक कमेटी हरिश्चन्द्र माथुर कमेटी बनी थी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया था कि ड्रिंकिंग वाटर बोर्ड की स्थापना की जावेगी। पांच साल से लगातार यहां पर भी हम कहते आ रहे हैं और नोन-आफिशियल रेज्यूलेशन के जरिए भी इस मामले को यहां पर उठाया है और उस पर राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि बोर्ड का गठन किया जावेगा ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिए और गांवों को मीठा पानी पीने का उपलब्ध करायेंगे, परन्तु हमें अफसोस है कि उस बोर्ड के गठन का क्या हुआ, पता नहीं?

उपाध्यक्ष जी, दूसरी बात मैं मुख्य मंत्रीजी को आपके मार्फत और निवेदन करना चाहता हूं। आपने विभागीय कन्सलटेटिव कमेटीज की स्थापना की घोषणा की थी। यह बड़ी उपयुक्त बात है परन्तु मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि एम.एल.एज. की कमेटी होनी चाहिये। आफिसर्स का जिस प्रकार का रवैया है उसमें हम कोई बात रखेंगे तो वे उसमें नुक्ताचीनी करेंगे और उससे हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। हम जो गांवों में देखते हैं, जो इम्प्लीमेंटिंग स्टेज पर कम-

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जोरी है उसको हम रखते हैं और मेरा सुझाव है कि उस पर हम अपनी डायरेक्ट रिपोर्ट दें। एम. एल. एज. की हाउस कमेटी हो जिसको सम्बन्धित मंत्री महोदय प्रिसाईड करें और उस रिपोर्ट के आधार पर काम होना चाहिये। अगर आफिसर्स उसको इम्प्लीमेंट नहीं करें और अड़चन डालें तो उनको बराबर सजा मिलनी चाहिये। तो इस प्रकार जो विभागीय कंसलटेटिव कमेटीज बने, वे हाउस कमेटीज की तरह बननी चाहिए और मिनिस्टर महोदय को चेयरमैन रह कर इसकी रिपोर्ट बनानी चाहिए और विभाग को इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जो लेकूनाज हैं, रूल्स रेगुलेशन में जो कमियां हैं, उनको पूरा करके इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि जो कानून की अवहेलना करे, जो गवर्नमेंट की पालिसीज को फेल करने का प्रयास करे उसको सजा मिलनी चाहिए और सजा भी कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। इतनी कड़ी कि उनको सर्विस से अलग किया जा सके ताकि जो योग्य आदमी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको काम मिल सके आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, डबल एम. ए. को एल. डी. सी. की जगह नहीं मिलती और ये इनएफिशियेंट लोग सांप की तरह बैठे रहते हैं और कागजों को मन माने तरीकों से तोड़ मरोड़ कर डिले करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। यह जनता की मांग है और हमें इस मांग को पूरा करना होगा। इस मशीनरी का आउट लुक चेंज करना होगा। ऊपर के अधिकारियों का आउट लुक जरूर कुछ चेंज हुआ लेकिन नीचे के तबके की आज भी वही स्थिति है और इसी वजह से डिले होती है।

तो उपाध्यक्षजी, इन्हीं बातों के साथ जो कुछ मेरे सुझाव थे मैंने दिए और इसके अलावा विशेष कर वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण इंसानों के बारे में विशेष तौर से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि हम ज्यादातर ग्रामीणों के वोटों से यहां आकर बैठे हैं और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी और जो उनकी प्राब्लम्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर की प्राब्लम है, उसको हल करना पड़ेगा, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उसको सुधारना पड़ेगा और जो कुछ उनकी मिनिमम नीड्स हैं वे पूरी होनी चाहिए और विशेष तौर से जो उनकी हाउसिंग प्राब्लम है शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जमीन के अलाटमेंट की प्राब्लम है, उनकी फाइनेंशियल प्राब्लम है (समय समाप्ति सूचक घण्टी) और दूसरी तरह तरह की जो गांवों की प्राब्लम हैं, उनको हल करना पड़ेगा।

दूसरी उपाध्यक्षजी, विशेष तौर से एक और डिफिकल्टी हमारे सामने गांवों में आती है वह रेवेन्यू रूल्स-रेगुलेशन की है। आपके आदेश इम्पलीमेंट हुए नहीं हैं। सरकार ने एनाउन्समेंट किया था कि जोइन्ट खाते के अन्दर जो डिफाइन्ड शेयरहोल्डर लिखे हुए हैं उनको बराबर का खातेदार माना जावेगा। एक खाते में चार बराबर के हिस्सेदार हैं और खाता एक के नाम से ही लिखा हुआ है और चारों खेती करते हैं तो भी उनको रिकोग्नाईज नहीं किया जाता है। इस बारे में सर्क्यू-

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

लर भी निकाला गया था परन्तु उसको कलेक्टर ने माना नहीं और इससे लोगों का बड़ा परेशानी है। रेवेन्यू लाज बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं और उनके तहत कई प्राब्लम्स खड़ी होती है तो उनका समाधान तत्काल किया जाना चाहिये। जो घोषणायें सरकार के द्वारा की जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिये। आगे भी सीलिंग का कानून आने वाला है और उसमें भी कई समस्यायें खड़ी होगी उनका समाधान तुरंत किया जाना चाहिये।

इन्हीं बातों को कह कर मैं उपाध्यक्षजी आपके मार्फत वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करके विशेष तौर से यही कहना चाहूंगा कि जो भी आपके उपेक्षित एरियाज हैं उनके बारे में निकट भविष्य में ही बैठ कर कुछ इन्तजाम करें ताकि उन लोगों को जो आश्वासन देकर आए हैं उनकी पूर्ति हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री झावरमल।

श्री झावरमल (फतहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने जो आय-व्ययक का विवरण यहां रखा है उसमें तीन बातें साफ नजर आती हैं। भयंकर कर्जा, भारी घाटा, और भारी कर भार।

वित्तमन्त्रीजी ने किसान की जमीन पर ×××डालने की कोशिश की है। गरीब की रोटी पर×××डालने की कोशिश की है। यह स्वाभाविक है। बिल्ली दूध रखा नहीं कर सकती। यह हालत हमारे वित्त मंत्रीजी की है। वे एक सफेद×××हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह के अनपार्लियामेन्टरी शब्द में नाट बी रेकार्डेड।

श्री झावरमल : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई अनपार्लियामेन्टरी शब्द नहीं है। यह बजट काश्तकार विरोधी है। इसमें किसान के लिये कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है कि वह अपनी क्षमता बढ़ा सके। पुनर्नियोजन की उसकी क्षमता को समाप्त कर दिया गया है। जमीन का घेरा भी घटाने की कोशिश की गई है।

एक तरफ तो ट्रेक्टर से खेती करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसके लिये 27 एकड़ होने की बात स्वयं कहती है यह सरकार पर दूसरी तरफ सीलिंग में जमीन 18 एकड़ ही रहने देना चाहती है। अब इस छोटी सी जमीन में किस तरह से ट्रेक्टर से खेती कर पावेगा, किस तरह से अन्य आधुनिक कृषि के उपकरणों का उपयोग करके अपनी खेती को इकोनोमिकल बना पावेगा, इन दोनों बातों में आपस में कोई साम्य नहीं बैठता है।

इसी तरह से किसान से ऋण के सूद के रूप में दस परसेन्ट लिया जाता है जब कि इण्डस्ट्री में साढ़े सात, चार और छः परसेन्ट तक लिया जाता है ऋण वसूली का समय भी इण्डस्ट्री के मुकाबले में जहां उनका 15 साल तक है किसान से सात साल में ही वसूल करते हैं। किसान का खेत सिक्योरिटी में लेते हैं, जबकि इन्डस्ट्री में

++++ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्य विवरण से निकाले गये।

(श्री झाबरमल)

मशीनों ही सिक्योरिटी है इण्डस्ट्री फेल होती है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार पर आती है लेने वाले पर नहीं। इण्डस्ट्री से किश्त तीन साल बाद लेने का प्रोवीजन आपने रखा है जब कि किसान से अगले ही साल आप लेना प्रारम्भ कर देते है। हमने काश्तकारों को लोन कोआपरैटिव के मार्फत दिया है। नतीजा यह हो रहा है कि आज इन किसानों की जमीनें ढोल पीट पीट कर बेची जा रही हैं। तो इस तरह से किसानों का दुहरा शोषण आपने किया है। एक तरफ सीलिंग से उसकी जमीन कम कर दी, और दूसरी तरफ ऋण से भी आपने उसे वंचित रखा। तो यह है आपका बजट जिसमें काश्तकार को हो और भी ज्यादा कमजोर करने की चेष्टा की गई है। उसे एक तरह से लेबर में कनवर्ट करने का षड़यंत्र × × × किया गया है। उसे मारने और मिटाने की चेष्टा की जा रही है। गरीबी मिटाने की चेष्टा नहीं की जा रही है।

दूसरा, जो कोआपरैटिव का मामला है जिसका मिश्रित अर्थव्यवस्था में स्थान होना चाहिये था वह स्थान वह नहीं ले पा रहा है। इस ओर समुचित ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। उसके स्थान पर कारपोरेशन बना बना कर पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक हाउसिंग कारपोरेशन बना जिसमें सरकार का शेयर कैपिटल उसके बराबर नहीं है जो अपेक्स सोसायटी का है। उनके चेयरमैन का अधिकार क्षेत्र सीमित है। पर इनके चेयरमैन उन लोगों को बनाया गया है जो पब्लिक से रिजेक्टेड हो चुके हैं, चुनावों में हार गये हैं, पर मिनिस्टरों के, चीफ मिनिस्टर के मुंह लगे हुए हैं। यही कारण है कि इनमें लाखों करोड़ों के घोटाले हो जाते हैं फिर भी कहीं उनकी सुनवाई नहीं होती। शराब की स्मगलिंग करते हुए इनके चेयरमैन पकड़े गये हैं। ऐसे आदमियों को ऐसी संस्थाओं में बिठाकर सरकार कैसे आशा कर सकती है कि ये कुछ ठीक काम कर पावेंगे या सरकार के पैसे का सदुपयोग हो सकेगा? एक दूसरा कारपोरेशन बना जिसमें भी इसी तरह से एक को बिठा दिया गया है एग्रीकल्चरल कारपोरेशन को बिठा दिया गया है एग्रीकल्चरल कारपोरेशन बनाते जा रहे हैं और कोआपरेटिव्ज को खतम करते जा रहे हैं ये।

अब आप जोइन्ट सेक्टर की बात करते हैं इसमें इण्डस्ट्रीयलिस्ट और सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे। एक सीधा सादा है है तो दूसरा पक्का ठग और चालबाज। सीधे और ठग का सहयोग कैसे चलेगा?

आज तो चारों ओर दौड लगी है सबकी आंखें सरकार के पैसे पर, जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे पर, लगी है कि इसको कैसे हड़पा जावे। तो कोआपरेटिव को छोड़कर किसी जोइन्ट सेक्टर की बात करना और कारपोरेशन की बात करना मेरे खयाल में मिश्रित अर्थव्यवस्था को आघात पहुँचाने की साजिश है।

बेरोजगारी के बारे में भी बातें बहुत अच्छी कही गई हैं। पर जो पैसा सरकार को इनको रोजगार देने के लिये मिला उसका भी यह सरकार समय में उपयोग

+++ अध्यक्षीय आदेशानुसार 'शब्द' कार्य विवरण से निकाले गये।

(श्री झावरमल)

नहीं कर पाई। बहाना बनाया गया कि योजना देर से शुरू हुई इसलिये पूरा पैसा यूटीलाइज नहीं कर सके। पहली बात तो यही है कि देर से क्यों शुरू किया? यह स्पष्ट प्रशासनिक योग्यता का अभाव है। स्पष्ट है कि जिसके फटे न बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई।

एक जगह कहा गया कि हम पढ़े लिखे इन्जीनियर आदि का पूल बना रहे हैं। पर इसकी भी योजना पार नहीं पड सकी इसलिये धन नहीं दिया जा सका। टेकनिशियनों की भी सौ दो सौ की योजना बनती है, जबकि तादाद उनकी सैकड़ों में है। यह सौ, दो सौ की भी योजना आपसे नहीं बन पाती तो आप सैकड़ों का क्या प्रबन्ध कर पायेंगे यह शंकास्पद है।

एक जगह कहा गया है कि गांवों में सुथार, लोहार, चमार, मोची आदि के शिक्षण पर उपयोगी वार्तायें दो साल बाद शुरू करेंगे। दो साल बाद तो उपयोगी वार्ताएं ही शुरू करेंगे। काम तो पता नहीं कब करेंगे? जब कि इनको मदद की इमीजिएट जरूरत है। इस काम को तो उनको सबसे पहले हाथ में लेना चाहिये था।

जब इन्दिराजी, मोरारजी की बात चली और इन छोटे छोटे लोगों ने बैंक नेशनेलाइजेशन के वक्त इन्दिराजी का साथ दिया तो मोरारजी आदि ने ताना कसा कि यह तो रिक्शा तांगा वालों की सरकार है। इस पर इन्दिराजी ने गर्व से कहा था कि हां हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथी हैं। और इनको बैंकों से लोन मिलेगा। पर आज स्थिति उल्टी है। इन लोगों को बैंकों से कोई पैसा नहीं मिला। आज भी इन बैंकों से पैसा बड़े इण्डस्ट्रियलिस्टों को ही मिल पाता है। आज यह बजट भी उनके ही हितों की बात करता है। तो उनको तो घी के दिये जलाने चाहिये। तो यह कोई बेरोजगारी को दूर करने का तरीका नहीं है। ऐसे लक्षण दिखाई भी नहीं देते कि इस तरह के बजट से आप बेरोजगारी दूर कर पाओगे।

आप कुटीर उद्योग भी उनको नहीं देना चाहते जो किसान खेती के बाकी दिनों में बेकार हो जाते हैं या अकाल की स्थिति में बेकार बैठे रहते हैं। ये कुटीर उद्योग काफी बड़े पैमाने पर आप चलाने की योजना बनावें ताकि उन किसानों को और गांव के बेकार लोगों को वक्त पर सहारा मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बजट में दो दो सौ करोड़ रुपया फैमीन के नाम पर खर्च कर दिया जाता है पर फिर भी स्थिति वह की वह है। अगर यही मिलाकर चार सौ करोड़ रुपया एक साथ राजस्थान नहर पर खर्च कर दिया जावे तो अकाल का एक स्थायी हल निकल आवेगा।

आज अफसोस है कि अणुव्रत आन्दोलन में विश्वास रखने वाले हमारे वित्त मंत्री जी शराब की आमदनी से, आबकारी की आमदनी से, सरकार का खजाना भरना चाहते हैं और इससे विकास के काम करना चाहते हैं राजस्थान का। शराब जैसी गन्दी चीज से आप पैसा इकट्ठा करके विकास जैसा पवित्र काम कभी नहीं कर सकते। मैं कहता हूं महात्मा गांधी का यह मत रहा है शराब जैसी खराब चीज और कोई नहीं

Page No 99

(श्री झावरमल)
है। अगर वेश्यावृत्ति और असत्य से भी अधिक घृणित चीज कोई है तो वह शराब है।

मेरा आपसे निवेदन है कि आप गांधीजी के अनुयायी हैं। आप अगर नशाबन्दी पूरी तरह से बन्द करके जनता को राहत नहीं दे सकते तो मत दें पर एक काम करें। आपको पैसा चाहिये। आप नशाबन्दी तो जरूर कर दें। पैसे के लिये आप इससे कम घृणित तरीके अपना लें। गांधीजी के कथन के अनुसार कम घृणित है इससे। आप हर गांव और गली गली में शहरों में चकले खोल दें। इससे आपको अनायास ही बीस करोड़ के लगभग आमदनी हो जावेगी। आप तो वैसे भी पाश्चात्य बनना चाह रहे हैं। तो शराब पिला कर हमारा विकास करना चाहते हैं तो इससे तो अच्छा यह है कि आप उससे कम घृणित काम करें। वेश्यावृत्ति का प्रसार करें और इम्मोरल ट्रैफिक का कानून बना लें तो इससे अनायास ही बीस करोड़ के आसपास की रकम आपको सहज ही मिल जावेगी।

एक माननीय सदस्य : नये टैक्स के प्रस्ताव हैं क्या ?

श्री झावरमल : यह काम इनके लिये हमेशा छोड़ देते हैं।

एक माननीय सदस्य : बड़ी नाइस लैंग्वेज है।

श्री झावरमल : शराब की बिक्री करके हमारा विकास करना चाहते हैं ? (विराम) फिर ये हमारे इतने बड़े पैसे का सवाल जो योजना के हिसाब से आया है उसमें बचत के लिये कुछ नहीं रखा है। किस ढंग से बचाव करें अभी ट्रेजरी बेन्च से श्री नाहर साहब ने यह कहा 7–8 डायरेक्टरों के नाम गिना दिये जिनको इतना सहयोग है तत्परता से काम करना चाहिये लेकिन इनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो क्यों नहीं इनके खर्च को कम किया जाता है। हमारे ग्रामीण भाई प्यासे मरते हैं और शहरों में पानी आवश्यकता से अधिक उंडेला जाता है। ग्रामीण स्कूलों की तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। जो हमारी फिजूल खर्ची है इसको नहीं रोक सकेंगे तब तक गरीबी हटाने की बात है वह बिलकुल निरर्थक है और गलत है। इससे तो आप ज्यादा से ज्यादा तबके को गरीब करना चाहते हैं। सारी बातों के बाद मुझे एक ही बात कहनी है वह यह है कि जो भी बात हमारे सामने आये और उसके बाद यह महसूस कर लिया जाय कि जो सजेशन आ रहे हैं, चाहे वह ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से आयें, चाहें विरोधी पक्ष की ओर से आयें, अगर वे उपयोगी हैं, अगर उनमें दम है, आगे बढ़ाने लायक हैं, तो फिर मानने के बाद, उनको नजरन्दाज क्यों किया जाता है ? मैं समझता हूं महसूस करने के बाद भी ऐसे सुझावों को नजरन्दाज किया जाता है तो यह सरकार मोहम्मद तुगलक से कैसे ज्यादा पागल नहीं होगी ? मोहम्मद तुगलक इतिहास में पागलों की गिनती में गिना जाता है लेकिन वह भी इतना चतुर था कि एक गलती करता था और उसको फौरन मान लेता था और उसको दुरुस्त करने की कोशिश की है। लेकिन हमारी सरकार के समझ में आने के बाद भी उनको बदलने की चेष्टा नहीं करती है तो क्या यह मोहम्मद तुगलक से किसी भांति कम है

(श्री झावरमल)

हमारी जनतन्त्र की सरकार हमारे मनसूबों को न समझने पर भी जो उपयोगी बातें होंगी उनको नजरन्दाज किया जायगा तो उससे विकास अवरुद्ध होगा और जनता जनतन्त्र में आस्था और विश्वास रखती है वह विश्वास और आस्था उसकी क्षीण पड़ेगी।

किसान के बारे में मैं दो शब्द और कहना चाहूँगा। कोई भी कर भार है तो वह किसान पर ज्यादा पड़ा है। एक तरफ श्रीराम फर्टीलाइजर का कारखाना कोटा में है जो यूरिया बनाता है उसको बिजली कन्जम्पशन के लिए 5 प्रतिशत प्रति यूनिट की छूट दी जाती है और एक तरफ आप उसके फर्टीलाईजर के ज्यादा प्रोडक्शन का उपयोग कैसे किया जाय यह ज्ञान किसानों को नहीं सिखाया जाता है और टैक्स भी उन गरीब किसानों पर ज्यादा लगा दिया जाता है। केवल उन पर ही टैक्स बढ़ाकर आप अपने खजाने को बढ़ाना चाहते हैं और जो कैपेटिलिस्ट हैं उनका हित आपके सामने सर्वोपरि है। सरकार को बिजली देते हैं उसमें छूट नहीं देते हैं। इण्डस्ट्रियलिस्ट को जो बिजली दी है उनको आप काश्तकार से वसूल करना चाहते हैं। ट्रैक्टर के ऊपर भी आपने टैक्स लगा दिया है, ट्रैक्टर्स के जो इम्पलीमेन्ट्स हैं उन पर भी आपने टैक्स लगा दिया है। क्या इससे साफ नहीं है कि किसान को कर्ज से दबाने की चेष्टा की जा रही है, उसे कमजोर बनाने की चेष्टा की जा रही है ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सके ? बिजली के मामले में सबसे बड़ी उपेक्षा उसकी की जाती है। एक तरफ तो आप एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को ज्यादा महत्व देते हैं लेकिन जब कनेक्शन काश्तकार को लेना पड़ता है तो जब उसका एस्टीमेट बनता है तो पोल्स के ऊपर उसको 600) रु. देने पड़ते हैं। उसके यूनिट के चार्जेज इन्डस्ट्रियलिस्ट के मुकाबले हैवी हैं। एक तरफ तो आप इन्डस्ट्रियलिस्ट के मुकाबले काश्तकार से पर यूनिट ज्यादा चार्जेज करने की चेष्टा करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं हम काश्तकार को पनपाने की चेष्टा कर रहे हैं क्या इसी को आप काश्तकार को पनपाने की बात कहते हैं ? बिजली मुहैय्या करने का जो प्रश्न है उसका भी कोई टाइम फैक्टर नहीं है। टाइम फैक्टर एग्रीकल्चर में बहुत इम्पारटेन्ट है। चाहे काश्तकार के बोने का समय हो, चाहे काश्तकार के लिए फसल काटने का वक्त हो। जो फसल काटने का काश्तकार के लिये 6 महीने का समय होता है उसमें भी आप उससे मन्थली लेना चाहते हैं। महीने में अगर काश्तकार पैसे अदा नहीं करें तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। उसके लिये फसल का समय उपयुक्त होता है। अब फसल पकने को तैयार हो और उस वक्त भी उनके लिये रियायत नहीं बरती जाय तो क्या बिजली देने का आपका तरीका है ? क्या आपके तरीके में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो किसान के हित में हो सके ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत यह कहना चाहता हूँ कि कृषि के मामले में जो प्रक्रिया अपनाई जाय, चाहे ऋण की हो—ऋण उपलब्ध कराने की हो, चाहे बिजली देने की बात हो और चाहे और कोई बात हो, सबके लिए एक टाइम है। ऋण देने का एक वक्त होता है, वह वक्त निकल जाने के बाद उस ऋण का उसके लिए कोई

(श्री झावरमल)

महत्व नहीं रहता है। इसी तरह बिजली का एक वक्त होता है, समय पर अगर बिजली नहीं दी जाय तो उसके लिए वह बिजली बेकार सिद्ध होती है। इसी तरह बिजली की रिकवरी करने का टाइम होता है। अगर काश्तकार के साथ इन टाइम फैक्टर के साथ तालमेल नहीं बैठाया गया तो काश्तकार के लिए बेकार है और वह हर समय परेशान रहेगा और किसी प्रकार भी सरकार का साथ देने में हिचकिचायेगा। इतनी बड़ी मेजोरिटी जो आई है वह सब काश्तकार से आई है।

काश्तकार होने के नाते हम भी तकलीफ पाते हैं। आखिर यह तकलीफ हम पर भी पड़ती है इसलिये मेरा निवेदन है कि जो काश्तकार पर बोझ पड़ रहा है–फर्टीलाईजर का, ट्रैक्टर का, इम्पलीमेन्ट्स का उसको सरकार वापिस ले ताकि काश्तकार में यह भावना न हो कि सरकार काश्तकार का पेट काटकर इन्डस्ट्रियलिस्ट का पेट पाल रही है। आपकी इन बातों से स्पष्ट है कि आपकी नीतियां इन्डस्ट्रियलिस्ट को पोषक रही हैं और किसान के प्रति आपकी नीति शोषक रही है। जिस बजट में किसान का शोषण होगा वह बजट और राज्य कभी कल्याणकारी नहीं होगा। और यह हमारे लिये एक अभिशाप है।

इसी तरह हमारी जो प्लानिंग जिस ढंग से की जाती है उसमें इस बात का ख्याल नहीं किया जाता है कि बेरोजगारी कम हो, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े और हमारी पापुलेशन भी ज्यादा न बढ़े, लेकिन इसके विपरीत जो प्लानिंग हुई है उसमें पापुलेशन भी बढ़ी है। पापुलेशन को रोकने के लिए फेमिली प्लानिंग के दफ्तर को कई जीपें दे रखी हैं लेकिन उनका वास्तविक कोई अर्थ नहीं निकलता है। आपके जो दूसरे मेडीकल के तरीके अपनाये गये हैं, उनमें भी सफलता नहीं मिली है। जो प्लानिंग पापूलेशन बढ़ने की है उसको सही ढंग से रोकें ताकि काश्तकार की कम से कम पुन: नियोजन की क्षमता बढ़े। आपके आंकड़ों से साफ जाहिर है कि काश्तकार की पुनः नियोजन की शक्ति नहीं बढ़ी है। अगर पुन: नियोजन की शक्ति बढ़ती तो जो ऋण मिला है उससे उसका खेत नहीं छिनता। किसान का बहुत शोषण हो रहा है। जो कर्ज कापरेटिव से और दूसरे नेशनाईज्ड बैंक से लिया है अगर उसका समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया तो यह निश्चित बात है कि काश्तकार का खेत बिकेगा। जिस प्लानिंग में काश्तकार की पुन: नियोजन की शक्ति, बेरोजगारी को समाप्त करने की बात और पापूलेशन के इन्तजाम की बात नहीं होती है उसको सही प्लानिंग नहीं कहा जा सकता है।

बेरोजगारों के लिए जो बजट रखा गया है उसमें मकान निर्माण के लिए पैसा दिया गया है। मकान निर्मित करने में लेबर लगेगा और उसको पैसा दे देंगे। मकान का जो मालिक है उसको कर्जा मिलेगा। लेकिन इससे प्रोडक्शन क्या हुआ? यह साफ जाहिर है कि कोआपरेटिव सोसाइटी उनको लोन वितरण नहीं कर सकती, जो तबका इतना गरीब है जो अपना पेट भी नहीं भर सकता। बजट लैप्स हो गया। उनको चार हजार 6 हजार या बीस हजार देने के बाद आप सोचते हैं कि पेट अब आगे वे भर सकते हैं। बेरोजगारों को इस प्रकार रोजगार देना कि मकान निर्मित होंगे और लेबर को रोजगार

(श्री झाबरमल)

मिल जावेगा, यह तरीका निहायत गलत है। रोजगार देना है तो रोजगार देने का एक सिस्टम जो भी आपने एक बार चालू कर दिया वह फिर बन्द नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी को दूर करने का एक मात्र तरीका है वह प्रोडक्शन है और यदि दूसरे तरीके से उसको जोड़ा गया तो कर्जा बढ़ेगा। ओवर ड्राफ्ट बढ़ेगा और कर्जा बढ़ जावेगा। कर्जदार आदमी की क्या हालत होती है? उसका कोई प्लानिंग नहीं होता है। अपने हिसाब से कोई प्रोग्राम नहीं बना सकता है। उसकी इच्छायें पूरी नहीं कर सकता है। यही बात स्टेट के साथ भी लागू होती है। जो स्टेट इतनी कर्जदार हो जाय कि जो इस प्रकार का प्लानिंग नहीं कर सकती कि जो रोजगार के साथ प्रोडक्शन को जोड़े उसकी हालत को आप ही जान सकते हैं कि क्या हालत होती है? एक लिमिट तक के लिए क्रेश प्रोग्राम दिया दस महीने का। दस महीने के बाद क्या होगा? 11 वें महीने आपके पास क्या जवाब है रोजगार देने के लिए? क्या उसको भूख नहीं लगेगी? इसलिए बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो भी स्कीम दें उसको चालू रखिये और यदि आप नहीं रख सकेंगे तो आप पर वह इतने निर्भर हो जावेंगे कि किसी भी हुक्म को मानना उसके लिए जरूरी होगा। यदि बेरोजगारी को दूर करना है तो इसको इन्डस्ट्रीज से जोड़ दें काटेज इन्डस्ट्री हो या बडी इन्डस्ट्री जैसे अमेरिका में व्यवस्था है। काश्मीर में है। मजदूरों के साथ यह चीज जुड़ जाती है कि सरटेन समय के बाद हमारे पास आना पड़ेगा हर दस महीने बाद या छः महीने बाद आपके पास आवेंगे तो उसका मोरल और भी कमजोर होगा। जिस नेशन की मोरल वेल्यू क्षीण हो जाती है वह नेशन आगे नहीं बढ़ सकती है और कमजोर से कमजोर होती चली जावेगी।

लैण्ड रिफोर्म्स की बात कहते हैं। 1857 का गदर हुआ था उसको स्वतन्त्रता संग्राम कहते हैं। अंग्रेजों ने इसको गदर की संज्ञा दी। मैं एक काश्तकार हूं और काश्तकार होने के नाते मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि यह लैंड रिफोर्म्स नहीं लैंड स्मैशिंग है। काश्तकार के साथ ठगी की जा रही है। जो जमीन लेकर लोगों में बांटी जा रही है वह केबीनेट के इर्द गिर्द या बिजनिस जिसका धन्धा है पुश्तैनी, खेती जिसका धन्धा नहीं रहा, उनको या जो ठेकेदार हैं उनके अन्दर बांट दी जाती है। ऐग्रीकल्चर लेबर के लिए, जिसके लिए कहते है कि जमीन बंटेगी तो पहले उसको मिलेगी, पहला उसका हक रहेगा, लेकिन वह तो देखते ही रह जाता है। ++++

वित्त मंत्री, (श्री चन्दनमल वैद) : यह बिलकुल गलत है, अगर इसको आप साबित कर देंगे तो मैं सदन से स्तीफा दे दूंगा। यह बिल्कुल सफेद झूठ है, अगर आप साबित कर देंगे तो मैं सदन से ही स्तीफा दे दूंगा।

श्री झाबरमल : मैं चैलेन्ज करता हूं। बात प्रमाणिक है।

श्री चन्दनमल वैद : चैलेन्ज करने की बात नहीं है। सदन की मेज पर आप सबूत रख दीजिए और आप जो बात कह रहे हैं उसको साबित कर देंगे तो मैं सदन से स्तीफा दे दूंगा और बाहर चला जाऊंगा।

++++ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्य विवरण से निकाले गए।

Page No 103

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य का ध्यान में हमारे नियम और कार्य संचालन की प्रक्रिया के नियम 273 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि वे आरोप लगाना चाहें तो उसके लिए अलग व्यवस्था और प्रक्रिया है और जो भी सूचना है वह पहले उनको आसन को देनी चाहिए ताकि सम्बन्धित मंत्री या सदस्य उसका जवाब दे सकें। इसलिए इस प्रकार की बात कहने का कष्ट न करें और अभी आपने जो कहा उसको एक्सपन्ज करने के आदेश देता हूं।

श्री झाबरमल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कहता हूं वह नई नहीं है।

यह तो क्रानिक चार्ज है। स्तीफा देने की बात वित्त मंत्री महोदय करते हैं, कमेटी बना दीजिए· · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आसन की व्यवस्था होने के बाद आपको उस पर फिर आग्रह इस प्रकार नहीं करना चाहिए।

श्री झाबरमल : उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें सच हों उनको कहना हमारा फर्ज होता है और अगर चार्जेज के बाद इतनी हिम्मत है, जिस पर चार्जेज लगते हैं, मिनिस्टर हो या सदस्य, वह इन्क्वायरी का सामना करें।

श्री चन्दनमल बैद : आपके पास सबूत हों वे सदन की मेज पर रखिए। आप जबरदस्ती कहे जा रहे हैं। मेरे पास राजस्थान में खेती की एक भी जमीन नहीं है, न मेरे एक भी रिश्तेदार के पास है। फिर भी आप कहते जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन को पहले इस प्रकार की सूचना दीजिये, नोटिस दीजिये। नियमों में इसका प्रावधान है। आप नियमों को पढ़ने के बाद कुछ कहें अन्यथा भाषण के प्रसंग में ऐसा न कहें।

श्री झाबरमल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात कही है और मुझे जो कहा गया है· · ·

श्री चन्दनमल बैद : आपको किसी ने फरमाया है। आपकी अपनी जानकारी नहीं है।

श्री झाबरमल : मेरी जानकारी है। आप एग्रोइन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन के चैयरमेन थे उस समय के भी आप पर चार्जेज हैं। ठेकेदार जो ट्रैक्टरों का ब्लेक करते थे उनके पास आपके टूर प्रोग्राम की कापी जाती थी कापियां मौजूद हैं। ठेकेदार ब्लेक करे उसकी कार्य सूची नहीं होती है।

श्री चन्दनमल बैद : बार बार कहने के बाद भी ऐसे चार्जेज लगा रहे हैं जो बेबुनियाद हैं, झूठ है और सफेद झूठ है। आप अभी कह रहे थे जमीन मिलने वाली बात। खेती की जमीन है। मैंने कहा आपके पास जो भी सबूत हैं वे आप पेश कर दें। उसको छोड़ कर आप एग्रोइन्डस्ट्रीज पर आगये। पहले भी आपने इस प्रकार के चार्जेज लगाये सदन में तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था सदन में कि यदि आप इस प्रकार के चार्जेज सदन में मय सबूत के पेश कर देंगे तो न केवल मैं उनसे मंत्री पद से स्तीफा दिलाऊंगा सदन से स्तीफा दिलाऊंगा और कांग्रेस से भी उनसे स्तीफा दिला दूंगा। मैंने भी कहा था कि सबूत

(श्री चन्दनमल वैद)

पेश कर देंगे तो कांग्रेस से भी स्तीफा दे दूंगा। आपके पास सबूत हों तो महरबानी करके रखिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पुनः आप से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में जो भी कार्य होता है उसके लिये अलग प्रक्रिया है, प्रावधान है। इस तरह के एलीगेशन्स जो आप लगाना चाहते हैं उनके बारे में मैंने आपका ध्यान नियम 273 की ओर आकर्षित किया और मैं आप से आशा करता हूं कि सदन को गरिमा और अपने स्वयं के इस सदन में अस्तित्व के महत्व को ध्यान में रखते हुए अपने भाषण में इस प्रकार का प्रश्न दोहराने की कृपा न करें।

श्री झाबरमल : अगर मेरे ऊपर सारे सदन की ओर आपकी ऐसी अकृपा है तो मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल बैरवा।

श्री नन्दलाल बैरवा (केशोरायपाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, कल और आज 1972-73 के बजट के ऊपर वाद-विवाद माननीय सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट 1972-73 का पेश किया है वह बहुत ही सराहनीय बजट है और इस बजट मे समाजवाद का भी उन्होंने संकेत दिया है क्योंकि देश में और हमारे राजस्थान में हम समाजवाद की ओर जाना चाहते हैं। इससे पहले भी जो बजट पेश होते थे उनमें कई बातों के साथ साथ समाजवाद का भी उल्लेख किया गया था। साथ ही साथ इस बजट में भी समाजवाद का उल्लेख है।

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि जिस प्रकार से वित्त मंत्रीजी ने इस बजट को रखा है वह बहुत ही सूझबूझ के साथ पेश किया है लेकिन जिस प्रकार से समाजवाद की ओर हम जाना चाहते हैं, गरीबों को ऊपर लाना चाहते हैं और पूंजीपति वर्ग को हम नीचे लाना चाहते हैं-समाजवाद की परिभाषा में राज्य सरकार और भारत सरकार इस बात को मानकर चलती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वित्त मंत्री महोदय का भाषण सुना और पढ़ा भी। इसके अन्दर आपने अलग अलग योजनाओं का उल्लेख किया है और जिस प्रकार से टैक्स लगाने की बात और वसूल करने की बात कही है उसके बारे में मैं कुछ सुझाव पेश करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, चाहे निर्माण विभाग को आप ले लें, हर वर्ष पंचवर्षीय योजना के द्वारा उसमें धनराशि स्वीकृत की जाती है और उसी के अनुसार सारे राजस्थान में अलग अलग सड़कों को लेकर उनका बजट पास होता है और उसी के अनुसार सम्बन्धित डिपार्टमेन्ट उसका टेन्डर, ठेका या डिपार्टमेन्टल काम कराने की बात करता है लेकिन जितना बजट उस रोड के लिए पास किया जाता है एक वर्ष के अन्दर केवल 8 महिने ही उस रोड पर काम चलता है। टेन्डर तो 12 महीने का होता है लेकिन फिर उस रोड के ऊपर जितनी धनराशि योजना के अनुसार स्वीकार की जाती है उससे वहां पर 8 महिने गिट्टी गिरती है और बाकी के 4 महीने में वह बराबर हो जाती है। एक तरफ तो घाटे का बजट, दूसरी तरफ टैक्स और तीसरी तरफ गिट्टी चार महीने में ही साफ हो जाती है और

(श्री नन्दलाल बैरवा)

उसके बाद भी वह काम पूरा नहीं होता है। तो मेरा सुझाव है कि वह है चार मील का टुकड़ा हो, चाहे दस मील का टुकड़ा हो उतना ही पैसा उस सड़क को दिया जाना चाहिए या उतना ही सड़क का टेन्डर दिया जाना चाहिए जो कि सम्बन्धित डिपार्टमेन्ट या राज्य सरकार उसको पूरा कर सके जिससे कि बरसात में जो सड़क बह जाती है और उसमें जो पैसा खराब हो जाता है उसको दूसरी योजना में खर्च कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, सिचाई के बारे में मेरा स्वयं का अनुभव है कि चम्बल कमाण्ड एरिया के अन्दर करोड़ों रुपया खर्च करके चम्बल नहर को निकाला है और लाखों एकड़ जमीन पानी के द्वारा सिंचित होती है। आज जब हम वहां की नहर को ठीक करने की बात करते हैं तो सम्बन्धित विभाग इस बात के लिए कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम कहते हैं कि आम रास्ते खराब हैं तो सम्बन्धित विभाग कहता है कि बजट नहीं है, आप ऊपर से ले आओ पैसा हम काम कर देंगे। सिचाई विभाग के अन्दर जो कि नहर, पुलिया और धोरें बनाने की बात है उसका कैसे ठेका हो क्योंकि उनको मालूम है कि पैसा मन्जूर है, काम होगा उसका टेन्डर होता है, बाकायदा ठेका दिया जाता है उसके बाद जिस प्रकार से ठेका दिया जाता है, जितना पैसा उनको खर्च करना चाहिए वह दे दिया जाता है लेकिन जब उसको पूरा करने की नौबत आती है उस समय पानी उस नहर में चालू करेंगे और सम्बन्धित ठेकेदार उसको मिलकर बराबर कर देंगे। न तो पैसा काम आता है और न नहर का काम पूरा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप देख सकते हैं कि यह नहर 6 इंच खोदी गयी या फुटभर खोदी गयी या फिर 4।। इंच खोदी गयी। प्रमाण है कि आज से चार साल पहले ठेका दिया गया, ठेका देने के बाद हमने संबंधित अधिकारियों को और मुख्य मंत्रीजी को इस मामले से अवगत कराया। उनको पता चल गया कि इन्होंने ऊपर जाकर बात करली है तो दूसरे दिन ही नहर में पानी भरा हुआ मिला। हमारा पैसा डिपार्टमेन्ट में पानी की तरह बहाया जाता है और उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है।

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, समाजवाद की ओर हमें बढ़ना है तो शहरों और गांवों में जो भेद है उसको कम करना होगा क्योंकि गांवों के अन्दर जिस आदमी को हम जाकर कहते हैं कि आपके यहां प्राईमरी स्कूल खोली जायेगी, मिडिल स्कूल खोली जायेगी तो वह उसको नहीं मानता है। आज गांव का आदमी इस बात को जानता है क्योंकि वह शहर में आता है अपना माल बेचता है और अपने घर के लिये सामान लेने शहर में आता है। बड़ी बड़ी स्कूलें, कालेज और इमारतें राज्य सरकार या शिक्षा विभाग के द्वारा बनाई जाती हैं तो शहरों में। मेरा कहना है कि राज्य सरकार को ज्यादा पैसा देहातों से मिलता है क्योंकि वहां 80 प्रतिशत लोग रहते हैं। उनकी कमाई 20 प्रतिशत लोगों के हाथ में आती है, उनके बच्चे बरसात में नहीं पढ़ पाते हैं, बरसात में बैठ नहीं सकते हैं, मास्टरों को रहने के लिए मकान नहीं है। और हम समाजवाद की ओर जाना चाहते हैं तो

(श्री नन्दलाल बैरवा)

80 प्रतिशत लोगों के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। आज शिक्षा विभाग का जितना बजट है उतना किसी दूसरे विभाग का नहीं होता इसलिए गांवों और शहरों में मतभेद को दूर करने के लिए भगवान की दया से इस विभाग को तो बचाकर रखना चाहिये। क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज है जिसमें हम शहरों की तरह गावों में शिक्षा को फैला सकते हैं और शिक्षा के द्वारा ही हम समाजवाद की बात कर सकते हैं।

तीसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि आज शहरों और गांवों का मतभेद पीने के पानी के अन्दर भी है। आज करोड़ों रुपयों की योजना शहरों के लिए बनाई जाती है गावों के अन्दर जब से पंचायतें बनी उस समय हजारों रुपये राजस्थान सरकार ने जल प्रदाय विभाग के द्वारा योजना बनाकर सैकड़ो कुओं को खुदवाने की योजना बनाई वह योजना गांव 2 में फैली और पीने के लिए कुए खुदवाए। लेकिन मैं, बूंदी जिले की बात, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम दो सौ कुए आज भी बूंदी जिले में अधूरे हैं, जिनका पानी गांव वाले नहीं पी सकते और इन कुओं में लगाया गया लाखों रुपया बेकार गया है। उतना ही पैसा आपको दुबारा खर्च करना पड़ेगा तभी जाकर पीने के पानी की सुविधा मिल सकती है।

भले ही हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगावें। हम ज्यादा से ज्यादा योजना बनावें ज्यादा काम करें, समाजवाद की ओर जावें लेकिन जिस प्रकार से देश का, हमारे समाज का और हमारी गरीब जनता का पैसा बर्बाद जा रहा है, जिस प्रकार पैसे का दुरुपयोग होता है, राज्य सरकार और वित्त मन्त्रीजी को ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अपने बजट भाषण में यह कहा है कि हम चार हजार रुपयों के अन्दर मकान सोसायटी के द्वारा बनाकर देंगे। बहुत ही खुशी की बात है। गरीब लोगों को पक्का मकान मिलेगा और वह आराम से रहेंगे। आपके इस बजट भाषण को सुनकर राजस्थान के लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई कि गरीबों के लिए मकान बनेंगे। लेकिन वित्त मंत्रीजी यह कहना भूल गए या किसी ने उनको सुझाव नहीं दिया कि आज भी शहरों में सिर पर मैला उठा कर चलते हैं और उनकी जिन्दगी किस प्रकार की है वे भी इन्सान हैं। लेकिन उनके बारे में इस बजट में उल्लेख नहीं किया गया है। इससे पूर्व भी एक हजार रुपया देकर मकान बनाने का उल्लेख किया गया था लेकिन मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक हजार रुपया छोड़कर एक रुपया भी किसी को मकान बनाने के लिए नहीं मिला है। इसलिए कोआपरेटिव सोसायटी से चार हजार रुपये का लोन लेकर मकान बनाने की बात करते हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी एक भी मकान बनने वाला नहीं है और जो हमारे महात्मा गांधी का कहा हुआ सपना है वह पूरा नहीं हो पाएगा। सैंकड़ों हरिजन, सैंकड़ों मेहतरानियां सिर पर मैला लेकर आम बाजार से निकलती है। राज्य सरकार ने यह भी कहा था कि हम हरिजन बस्तियों में मुफ्त में बिजली देंगे, हम हरिजन बस्तियों में मुफ्त में पानी

(श्री नन्दलाल बैरवा)

देंगे लेकिन आज मेरे चुनाव क्षेत्रों में दो नगरपालिकाएं हैं लाखेरी और केशोरायपाटन। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कहीं पर चार खम्बे लगा दिए लेकिन अभी तक भी बिजली नहीं आई है। न ही जल प्रदाय विभाग द्वारा उनकी वस्ती में न नल लगाए गए हैं। इसलिए मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पैसे का राज्य सरकार में दुरुपयोग होता है उसको रोकने के लिए कोई कड़ी से कड़ी कार्यवाही फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से होनी चाहिए जिससे हमारा बजट काम में आवे।

साथ ही यह भी जिक्र किया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, कि बेरोजगारी को रोकने के लिए भारत सरकार की ओर से क्रेश प्रोग्राम राजस्थान में आया है। बहुत कठोर है। बेरोजगारी समाप्त होगी। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और हजारों लोगों को रोजी रोटी मिलेगी लेकिन पिछले सालों में बराबर देखते आ रहे हैं कि इस बेरोजगारी के सिलसिले में तीन तरह के विभागों की कड़ी है। पहला है निर्माण विभाग और दूसरा जिला परिषद् और तीसरा पंचायत समिति। निर्माण विभाग में सम्बन्धित अधिकारियों से भी हम भलीभांति परिचित है। अगर निर्माण विभाग के द्वारा काम ठीक तरह से किया जाता है तो मैं समझता हूं कि जो (समय समाप्ति सूचक घण्टी) लाखों रुपया लेप्स हुआ वह लेप्स होने वाला नहीं था लेकिन इसमें निर्माण विभाग निष्क्रिय है। वह इस कार्य को करने में असमर्थ है क्योंकि जितना हम चाहते हैं उतना काम वे कर नहीं सकते। इधर तो जिला परिषद् वाले कहते हैं कि निर्माण विभाग इसमें दोषी है। निर्माण विभाग कहता है कि पंचायत समितियां दोषी हैं क्योंकि लिस्टें नहीं आई गांवों की। पंचायत समिति कहती है कि हमारे पास ओवरसियर नहीं है। जहां एक हजार आदमियों को रोजगार मिलने की बात करते हैं लेकिन किसी को रोजगार मिलने वाला नहीं है। इस योजना को सफल बनाने में इन तीनों डिपार्टमेंट को एक कड़ी में लाने की जरूरत है, लेकिन आज इनमें मतभेद है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इनको एक ही कड़ी से जोड़ा जाना चाहिये। वह कड़ी बराबर देखे और जतना कर सकते हैं वह करें और जो पैसों का दुरुपयोग होता है उसको रोकें तभी बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है।

चौथी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि समाजवाद की ओर जाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद हमने हर जगह जाकर बात कही कि हमारे यहां बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा और कर्जा लेकर आप अपनी खेती आप अपनी दुकानें या और भी कोई सम्बन्धित उद्योग धन्धा चलायेंगे। मैं आपको निवेदन करूं कि हमारे यहां तो तीन बैंक हैं बूंदी में बड़ौदा बैंक है और स्टेट बैंक भी है, राजस्थान बैंक भी है लेकिन पहले तो कर्जा देने की बात ही नहीं है। अगर कोई कर्जा देने की बात करते भी हैं तो कहते हैं कि दस मील के दायरे में कर्जा देंगे और दस मील के दायरे में भी कर्जा तब देंगे जब हमारे पास वसूल करने वाला

(श्री नन्दलाल बैरवा)

होगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम जनता और गरीब लोग या किसान वर्ग जानता है कि बैंक में जाने के बाद वसूली करने वाले की व्यवस्था भी उन्हीं को करनी होगी। साथ ही साथ जिस प्रकार लोन या धन की बात करते हैं, किसान को एक हजार रुपया चाहिये तो उसके लिए उसको कम से कम अगर कोई सहयोगी मिल गया तो भी एक साल भर लगेगा। एक साल भर में भी एक हजार की जगह उसको मुश्किल से आठ सौ रुपये मिलेंगे। इस प्रकार की कमियां, इस प्रकार की असुविधा जब काश्तकार पाता है तो काश्तकार से हम लोगों का सीधा सम्बन्ध है, काश्तकार के मन में जो बात आती है वह हमारे पास आकर कहता है और वहां से आकर हम आपको निवेदन करते हैं। हम कहते हैं कि जहां गल्ती है और जो गल्ती हम बताते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उसकी वित्त मंत्रीजी के द्वारा जांच होनी चाहिए और इसको देखना चाहिए कि गरीबों को, किसानों को कर्जा सुविधा से मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे लाभ मिल सके। जो लोग उस पैसे का उपयोग करना चाहते हैं

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उनको लाभ नहीं मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट।

एक बात और वित्त मंत्रीजी अपने बजट भाषण में कहना चाहते थे लेकिन वह आधी बात कह कर ही रह गए पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि शराब पर टैक्स लगायेंगे। इससे सरकार को आमदनी होगी। बहुत ही खुशी की बात है कि सरकार को आमदनी होगी क्योंकि जो आमदनी होगी वह विकास के काम में आती है। लेकिन आज से एक साल भर पहले इसी सदन में वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा था कि जहां मजदूर बस्ती होगी, जहां कहीं हरिजन बस्ती होगी, उस जगह पर हम शराब की कोई दुकान नहीं लगायेंगे, न वहां पर ठेका देंगे, न यहां गारन्टी की शराब की दुकान रह सकती है। लेकिन आज भी वहां हरिजन बस्ती में शराब की दुकानें हैं, मजदूर बस्ती में दुकानें हैं और साथ ही यह भी जोडा गया था कि जिस दिन वेतन का दिन होगा, चाहे किसी डिपार्टमेंट का वेतन का दिन हो, शराब की दुकानें बन्द रहेंगी। लेकिन न तो वेतन के दिन दुकानें बन्द रही और न ही इन हरिजन और मजदूर बस्तियों में दुकानें बन्द हुई। तो आज, उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हम समाजवाद की ओर जाना चाहते है, और निश्चित तौर से हम इस ओर जायेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन जो लोग आज हमारे देश में, राजस्थान में ज्यादा रहते हैं जिनका बहुमत है जो कि गरीब लोग है जो अपने हाथों से खेती करते हैं जो मेहनत करते हैं उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये और जब उनकी ओर ध्यान देंगे उनकी मेहनत की हुई चीजों की ओर हम ज्यादा ध्यान देंगे उनका ज्यादा उपयोग करेंगे तभी हम समाजवाद की ओर जा सकते हैं। गत 25 साल पहले हम कहां थे। आज हमने राजस्थान

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री नन्दलाल बैरवा)

में काफी परिवर्तन किया है राजस्थान का काफी विकास हुआ है लेकिन जिस प्रकार से पिछले 25 साल की खामियां हैं उनको आहिस्ता 2 ठीक करने की बात कर रहे हैं। लेकिन बीच में जो कड़ी है, आज हम विधान सभा और सेक्रेटेरियेट में समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन वहां पर क्या किसान का काम हो रहा है ? यह प्रत्यक्ष है और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : यह सरकार दो जुबान से काम करती है।

श्री नन्दलाल बैरवा : आप और हम समाजवाद की बात करते हैं, किसान यहां पर आकर परेशान होता है तो इसके लिये नियम बनाना पड़ेगा। किसान, छोटे मजदूर और छोटे व्यापारी ये सब लोग बराबर देख रहे है और वे सब समाजवाद की ओर जाना चाहते हैं। वे सरकार से सहयोग करना चाहते है। मेरा निवेदन है कि आप इनका सहयोग लें और उनका सहयोग किसी दूसरे के द्वारा न लें। उनसे सीधा ही सहयोग लें।

हम बड़ी बड़ी योजनाएं हाथ में लेना चाहते है अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं को उसी प्रकार से लागू करना चाहिये और योजनाओं के पैसे को पानी और मिट्टी में न बहाया जावे। जो पैसा हम लगाते हैं, उसको टैक्स के द्वारा इकट्ठा करते हैं। आज आपने पिलाई के ऊपर टैक्स बढ़ाया है। ट्रैक्टर, सोने, चांदी पर टैक्स बढ़ाया है, लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस इस बात का है कि चांदी और सोना बी. ए., एल-एल. बी. पढ़े लिखे लोग बड़े सेठ लोग या मिल मालिक नहीं खरीदते हैं, वे इसको काम में नहीं लाते हैं। चांदी सोना वे लोग खरीदते है जो वे पढ़े लिखे हैं, जो खेतों में काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उनके पास इतना पैसा कहां है ?

श्री नन्दलाल बैरवा : आपके यहां पर मैंने देखा है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि सोने, चांदी पर जो टैक्स लगाया है तो सोने चांदी को आज बड़े बड़े लोग नहीं खरीद रहे हैं। वे लोग खरीद रहे हैं जो मजदूरी करते हैं क्योंकि बड़े लोगों के पास सोना, चांदी तो पहले से ही है। माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं (घंटी) एक मिनिट में समाप्त करता हूं (समय-समाप्ति सूचक घंटी)।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल सिंह भाटी (अनुपस्थित)

श्री नारायण सिंह।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़) : उपाध्यक्ष जी, मैं वित्त मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत बजट 1972–73 पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहूंगा। वित्त मंत्रीजी ने देश प्रदेश की हालात के अन्दर यह बजट प्रस्तुत किया है। यह सही मायने में सन्तुलित है सराहनीय है और मैं इस बजट का स्वागत करना चाहता हूं, समर्थन करता हूं।

वित्त मंत्रीजी ने प्रदेश की सारी स्थिति को, प्रदेश की फाइनेन्शियल हालात को

(श्री नारायण सिंह)

ध्यान में रखते हुए कुछ सामाजिक, अनुसूचित जाति, जन जाति और प्रदेश के गरीब तबके के लिये कुछ अच्छे काम करने का वचन दिया है। मैं मानकर चलता हूं कि यह काम जैसा कि आपने अपने बजट भाषण के अन्दर कहा है, यदि होंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है जो समाजवाद की ओर से हम हमारे प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, उसमें गरीब लोगों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। मैं इस बजट के अन्दर कुछ और सुझाव देना चाहता हूं, वे खास तौर से यह हैं। कई प्रकार के टैक्स लगे हैं लेकिन कुछ बातों को यदि इसके अन्दर और जोड़ा जाता है तो मैं निश्चित रूप से जो आज वित्तीय स्थिति इतनी शोचनीय है इससे वह स्थिति और सुधरने की गुंजाइश रहती है। आज हमारे राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा है उसकी ओर उपाध्यक्षजी मैं आपकी मार्फत वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रशासनिक ढांचे को यदि इसमें किसी तरह से सुधारने की बात होती, इसमें आज जिस तरह की कमी है, शिथिलता है, उसको हटाने की बात होती और इस ढांचे में किसी तरह की कटौती की जाती, क्योंकि इस प्रशासनिक ढांचे का हमारे प्रदेश पर इतना भारी बोझ है, यदि वह कम करते तो मेरा मानना है कि जिस उद्देश्य के लिये हमने बजट बनाया है, जिस विकास के काम को हम और तेज गति से चलाना चाहते हैं, उसे निश्चित रूप से बल मिलता। इसी तरह से इनकम-जैसा कि बजट भाषण के अन्दर लेन्ड सीलिंग और अरबन प्रापर्टी सीलिंग की बात कही गई, इसी तरह से मेरा यह एक दूसरा सुझाव है कि इनकम पर सीलिंग होनी चाहिये। इनकम की सीमा निर्धारित की जानी चाहिये कि इतने से ज्यादा अगर किसी की इनकम होगी तो उस पर सीलिंग लागू होगा। मेरा विचार है कि यह तीन लाख की सीमा रहे और तीन लाख से ज्यादा किसी की इनकम हो तो उस पर सीलिंग लागू होनी चाहिये यदि इसी तरह से हम काम करें तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस उद्देश्य से, जैसा कि हम समाजवाद की बात करते हैं, वह वास्तव में ही समाजवाद जैसी बात होती और इस प्रदेश के और देश के गरीब तबके के लोगों को बड़ी राहत मिलती।

प्रशासन के सम्बन्ध में अर्ज करूं कि आज प्रशासन कितना ढीला है और उसमें इतनी शिथिलता आ गई है कि काम करने में कोई व्यक्ति हो कोई कर्मचारी हो, अफसर हो, यह नहीं देखता कि उसका देश पर कितना भार है और उनका देश के प्रति क्या कर्तव्य है। उनको अपने कर्तव्य को निभाना चाहिये। यदि हम सब मिलकर इस सारी बात को देखें कि यह हम सब का जिम्मा है और इस देश को आगे बढ़ाना है, देश की बेरोजगारी को मिटाना है तो मैं सोचता हूं कि हम सब को मिलकर के बजट को सन्तुलित बनाने के लिये, इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये, हम सब को गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा।

मैं इसी के दौरान खास तौर से दो-तीन मुद्दों पर वित्त मन्त्रीजी का ध्यान उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं। बिजली के सम्बन्ध में आज वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि बिजली पिछले साल के बनिस्पत

(श्री नारायण सिंह)
काफी मात्रा में दी जायेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिजली गांव गांव में आ गई है, जायेगी भी और इसमें किसी तरह की दो राय नहीं हो सकती। लेकिन इसको एक सिद्धान्त के रूप में मानना पड़ेगा कि किस तरह से गांव में बिजली की व्यवस्था हो। बिजली की व्यवस्था के लिये एक प्लान हो कि किस किस गांव में बिजली कब कब दी जायेगी। इसको एक सिद्धान्त के रूप में मानकर चलना पड़ेगा। इस सिद्धान्त के अनुसार हम चलें कि जिस जिस गांव में बिजली दी जाये उसका पहले एक प्लान बने और उस प्लान के अनुसार यदि बिजली दी जाये तो वहां के रहने वाले काश्तकारों को यह सुविधा होगी, वे यह सोच कर चल सकते हैं कि उनके गांव में कब बिजली आयेगी, या कब उनको बिजली मिलने वाली है ताकि वे उसके पहले अपने कुए पर बिजली लेने के लिये बैंक से या दूसरे साधनों से धन की व्यवस्था कर सकें, कुआ बनाने की व्यवस्था करें और जो दूसरे काम हैं जमीन को सुधारने आदि के ये उनको पहले से मालूम हों तो पहले से अपनी तैयारी में रहें, लेकिन आज हालत यह है कि जिस काम के लिए प्रोडक्शन कमेटी की मारफत उसकी रिकमण्डेशन पर बिजली देता है, यह मैं मानता हूं, लेकिन ऐसे कई गांव देखे हैं जिनके अन्दर आवश्यकता पहले बिजली की थी और जिनको बिजली पहले दी जानी है और जिनको बिजली पहले दी जानी थी एग्रीकल्चर के हिसाब से और जिनके लिए जिला प्रोडक्शन कमेटी ने प्रथम स्थान दिया उन गांवों को आज तक बिजली नहीं दी और ऐसे गांवों को बिजली दी गई है जहां पर शुरू में बिजली तो दी गई लेकिन 12 महीने और दो बरस के बाद भी एक भी कनेक्शन और नहीं लगा है। इस तरह के काम किये जाते हैं तो बिजली बोर्ड जो कि बिजीनेस के हिसाब से, व्यापारिक दृष्टि से चलने वाली संस्था है उसमें नुकसान के अलावा फायदा नहीं हो सकता है। यदि फायदा हो सकता है तो इस तरह से हो सकता है कि वहां पर एक कमेटी चाहे कोई एजेन्सी हो, चाहे किसी माध्यम से बने जिला लेवल पर जो कमेटी है उसकी रिकमण्डेशन के आधार पर वह जो प्रायोरिटी बेसिस बनाये उसके आधार पर बिजली दी जाय। इस तरह से बिजली देने के बाद भी काश्तकारों के अन्दर ऐसी बातें पैदा होती है कि कई दफा उनके बिजली के कनेक्शन काट दिये जाते हैं अधिकारियों के द्वारा और उसको इस बात से भुलावे में डालते हैं कि टेक्निकल कोई खामी है इसलिए नहीं दिये गये हैं, इस कारण से कनेक्शन काटना पड़ा है। उससे उनको बड़ी परेशानी होती है। ऐसे समय में बिजली के कनेक्शन काटे जाते है जब कि फसल पकने वाली होती है उससे उनकी फसल को बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इससे उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है और काश्तकार को आर्थिक नुकसान होता है। यदि इस तरह की बात जहां पर हो तो वहां व्यवस्था ठीक होना चाहिए। यदि व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चलती है तो उससे बिजली बोर्ड को नुकसान है, काश्तकार को नुकसान है।

इसके साथ-साथ मेरी यह राय है कि जो काश्तकार को बिजली दी जाती है उसकी रेट में और जो बड़े बड़े उद्योग-धन्धों को बिजली दी जाती है उसकी रेट

(श्री नारायण सिंह)

में, बहुत बड़ा अन्तर है । उनको कम रेट पर बिजली दी जाती है और काश्तकार को ज्यादा रेट पर बिजली दी जाती है । यह मेरा मानना है कि उद्योग-धन्धे जब शुरू किये जायं तब जब तक उनका अच्छा प्रोडक्शन न आये तब तक उनको कम रेट पर बिजली दी जा सकती है, लेकिन जब वे अच्छी तरह से कमाने लग जायं उसके बाद भी यदि वही रेट रहे तो कोई अच्छी परम्परा नहीं है। यह जो बोर्ड छोटे काश्तकार और अच्छे पैसे वालों में भेद करता है उस भेद को मिटाया जाना चाहिये । काश्तकार उसी हालत में यदि रहे, क्योंकि काश्तकार धन्धा नहीं करता है तो बिजली देने से मालदार नहीं हो सकता है, तो मैं आपको बतलाऊं कि कई गांव ऐसे हैं कि जिनके अन्दर बिजली चली गई और काश्तकार बिजली लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास 4-5 हजार की व्यवस्था नहीं होने के कारण से वह बिजली से महरूम रहते हैं, बिजली ले नहीं सकते । जब शुरू शुरू में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो यह हवा चली थी कि ये बैंक काश्तकारों को, गरीब लोगों को, सुविधा के साथ में ऋण देंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद में आज उन बैंकों की हालत यह है कि न तो काश्तकार को ऋण देते हैं और न कुछ ! कुछ बैंक तो यहां तक करते हैं कि उन्होंने एक सीमा निर्धारित कर दी है कि 10 मील की रेडियस के बाहर के किसी काश्तकार को बिजली के लिए, या ट्रैक्टर के लिए या और किसी धन्धे के लिए, ऋण नहीं दिया जा सकता है । तो यह जो व्यवस्था है वह ठीक नहीं है और हमारी सरकार को यह व्यवस्था ठीक करना चाहिए । यदि काश्तकारों को समय पर ऋण मिले तो लोग बिजली लेंगे, और बिजली के मिलने से उत्पादन तो बढ़ेगा ही इसके साथ-साथ ही काश्तकारों की जो हालत है वह सुधरेगी और बिजली बोर्ड को आमदनी होगी। इसलिए दोनों तरफ फायदा है । इसलिए इस व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिए सरकार का ध्यान इस ओर आपके माध्यम से खींचना चाहता हूं ।

मैं आपका ध्यान पंचायती राज्य की ओर भी दिलाना चाहता हूं । पंचायती राज की सन् 1959 में राजस्थान में पहले पहल शुरुआत की गई और राजस्थान ने ही शुरू शुरू में आदर्श के रूप में उसको रखा । यह बड़ी सराहनीय बात थी । उससे दूसरी स्टेट्स को अनुकरण करने का मौका मिला और गांव का हरेक आदमी, गांव का साधारण आदमी यह सोचने लगा कि इस पंचायती राज के माध्यम से बहुत बड़ा विकास होने वाला है, बहुत बड़ा काम होने वाला है । मैं यह भी मानकर चलता हूं कि उस समय एक-दो साल के अन्दर तो लोगों में बड़ी चेतना रही, लोगों में बड़ी जागृति रही और लोगों ने उस काम को अपना काम समझा और गांव गांव में कहीं पर कुए, कहीं पर तालाब, कहीं पर सड़क, कहीं पर बांध और कहीं नालियों, ये सारे काम स्टेट में बड़े अच्छे ढंग से चले । उस पंचायती राज की हालत यह है कि आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि अपने बजट को संतुलित बनाने के लिए यदि पंचायती राज को कुछ दिनों के लिए बन्द कर दें तो कोई भी बुरी बात

Page No 113

(श्री नारायण सिंह)

नहीं होगी, क्योंकि पंचायत समितियों के पास में किसी तरह का पैसा नहीं है, किसी तरह का बजट नहीं है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) और न किसी तरह का उनके पास में काम है सिवाय प्राइमरी एज्यूकेशन के। उसके अलावा और कोई काम नहीं है और न किसी प्रकार का कार्यक्रम है। न उनको कोई कार्यक्रम दिया जाता है और न उनके पास में धन है। आज पंचायत समितियों की हालत यह है कि अध्यापकों की तनख्वाह देने के लिए उनके पास में पैसा नहीं है। अध्यापकों को अपनी तनख्वाह के लिए आन्दोलन करना पड़ता है। सरकार उन्हें टाइम पर पैसा एलाट नहीं करती है। इसके अलावा और कोई दूसरा विकास का काम उनके पास में नहीं है। जितनी भी उनकी आमदनी होती है वह तनख्वाह में चली जाती है और उनके पास में इतना पैसा नहीं बचता है कि उससे विकास का काम हो सके ऐसी आर्थिक स्थिति प्रदेश की है। पंचायत समितियों से यह कहा जाता है कि टैक्स लगाएं तो आज हालत यह है कि 6–6 साल से टैक्स लगे हुए हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वे टैक्सेज जो रेवेन्यू की एजेन्सीज के मारफत वसूल होने चाहिए थे वे आज तक वसूल नहीं हो रहे हैं। तो पंचायत समितियों की हालत बड़ी खराब है। आप से पंचायतों और न्याय पंचायतों को अलग अलग रूप से लिया है। सिद्धान्त रूप से तो यह अच्छा है, कार्यपालिका और न्याय पालिका अलग अलग हों। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हालत बड़ी खराब है। जो चुनाव हर दूसरे साल होना चाहिए, उनको 6-6 साल हो गये हैं। आज तक न्याय पंचायतों के चुनाव नहीं हुये हैं। पंचायतों ने जो टैक्स लगाये हैं, वह किसी प्रकार से वसूल नहीं होते हैं। कई जगह तो हालत यह है कि तीन-तीन, चार-चार साल से मीटिंग नहीं हुई है। मीटिंग होना तो दूर रहा दफ्तर में झाड़ू भी नहीं निकलती है। यदि आज गवर्नमेण्ट वहां कुछ करना चाहती है किन्तु उनको आर्थिक मदद भी नहीं दे सकती है तो कम से कम उनके टैक्स वसूल करने की व्यवस्था कराये।

इसी तरह से जिला परिषद् के बारे में भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिला परिषद् तो एक तरह से पोस्ट आफिस है। यहां से कोई चीज जाती है तो जिला परिषद् पंचायत समिति को भेज देती है। पंचायत समिति से कुछ आता है तो इधर भेज देती है। जिला परिषद् के पास कोई अधिकार नहीं है। उनको केवल सलाह देने का अधिकार है। चाहे उसकी कोई सलाह माने या नहीं माने। माने तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं है। इसी तरह से . . .

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

आपने पंचायत एक्ट को बड़ा कम्प्लीकेटेड बना रखा है। पंचायत अधिकारियों को कोई भी अधिकार नहीं है। सवाल यह है कि अगर इनको चलाने की सरकार की मंशा नहीं है तो कुछ दिनों के लिए पंचायती राज्य बन्द कर दें। इसके बाद आर्थिक स्थिति ठीक होगी . . .

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं ज्यादा समय न लेकर इतना ही कहना चाहता हूं कि इस पंचायती राज्य

(श्री नारायण सिंह)

के माध्यम से लोगों में जागृति आई है। मैं सही बतलाना चाहता हूं जिसको आप समाजवाद कहते हैं, वह इसी के माध्यम से आ सकता है। इसके बाद में थोड़ा सा समय और लेना चाहता हूं....

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

एक मिनट उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो टैक्स लगाये गये हैं उसमें वित्त मंत्री महोदय ने जो ट्रैक्टर पर टैक्स लगाया है उससे ट्रैक्टर पर काफी भार पड़ा है। ट्रैक्टर पर सेन्ट्रल टैक्स भी बढ़ा है। स्टेट टैक्स भी बढ़ा है। आज अगर कोई काश्तकार खरीदता है तो 60 हजार रुपये में एक ट्रैक्टर मिलेगा। कोई काश्तकार ऐसा नहीं हो सकता है जो कि 60 हजार रुपये में उसे खरीद सके। इसी प्रकार से खाद को भी बड़े काश्तकार ही नहीं खरीदेंगे छोटे काश्तकार भी खरीदेंगे। बड़े काश्तकारों को पैसे की कमी नहीं है। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि खाद पर जो भी छूट दी जा सके माननीय वित्त मंत्री जी ... पर ध्यान दें।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

एक मिनिट और लेना चाहता हूं। हमारे सीकर जिले में माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में भी कहा है कि राजस्थान के 16 जिले पिछड़े हुये हैं। उनमें से एक यह जिला है। हमारे यहां 4 फाइव ईयर प्लान में एक कारखाना स्थापित करने की बात हुई थी। फिर उसे हटा कर बीकानेर लाया गया। इसी तरह से फतेहपुर में एक अच्छी नस्ल की भेड़ों का केन्द्र बनाया जायेगा। इसी तरह से सुना है उस क्षेत्र में पैराइट बहुत बड़ी मात्रा में निकला है। एक्सपर्ट्स की राय है कि 100 साल तक प्रचुर मात्रा में निकलता रहेगा। दूसरे रोक फासफेट भी वहां पर है। पानी है, बिजली है, सड़क से जुड़ा हुआ है। रेलवे लाइन से भी जुड़ा हुआ है। अगर यह प्लान सीकर जिले में खोला जायेगा तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी दूर करने में सहायता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर सिंह (विराम) अच्छा यह हो चुका है।

श्री जीथिन्ग (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधियों को भी समय देना चाहिये।

श्री खेतसिंह : (मुख्य सचेतक) उपाध्यक्ष महोदय, यह समय निर्धारित हो चुका है हर पार्टी का अलग अलग समय निर्धारित हो चुका है इससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता है।

श्री जीथिन्ग : उपाध्यक्ष महोदय, जो समय हमने मांगा है, वह हमारे नेता महोदय, द्वारा आपके पास पहुंच चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : केदारजी ने दिया होगा। जो समय विभिन्न दलों को दिया गया है, जो समय निर्धारित किया गया है, उसकी घोषणा आपने सुन ली है।

श्री जीथिन्ग : हमको जो समय दिया गया है।...

श्री उपाध्यक्ष : निर्धारित समय के उपभोग पश्चात् समय बचा तो निश्चित दिया जायेगा।

श्री जीथिंग : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लिखकर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीथिंग।

श्री जीथिंग (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बांसवाड़ा जिले के आदिवासी क्षेत्र में जो समस्या है, उसको ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से मैं वित्त मन्त्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि वह विशेष रूप से ध्यान दें। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्रैश स्कीम्स चलाई जा रह हैं। हमारे बांसवाड़ा जिले में जो फिलहाल क्रैश कार्यक्रम चल रहे हैं, वह बहुत ही कम मात्रा में चल रहे हैं। बहुत सीमित मजदूर लगाये जा रहे हैं। जिनको जरूरत के अनुसार मजदूरी नहीं मिल रही है। वे मजदूर गुजरात और अहमदाबाद में मजदूरी के लिए भटक रहे हैं। अभी भी 20 तारीख को क्रैश प्रोग्राम के बारे में जिला कमेटी की बैठक बुलाई गई थी तो जो क्रैश कार्यक्रम रूरल एरिया में लगे हुये हैं, उनका टैक्निकल सर्वे न होने के कारण सर्वेयर के अभाव में, अधिकारियों ने उनको चालू करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि सर्वेयर के अभाव में उनको अगले वर्ष में चालू किया जाये। तो इस प्रकार से हमारे क्षेत्र में सर्वेयर के अभाव का बहाना बताकर काम नहीं करना है। गरीबी मिटाने को केवल नारा समाजवाद का नारा देना है। नाम मात्र का ढिंढोरा पीटना है। बाकी कोई सही माने में प्रोग्राम नहीं है। अगर क्रैश स्कीम के कामों को युद्ध स्तर पर चलाया जाकर ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त किया जाय तो मैं समझता हूं कि आप इस नारे की वजह से आज के पांच साल होने वाले चुनाव में और अच्छी तरह से सफलता प्राप्त करेंगे, वरना सफलता प्राप्त करना मुश्किल बात है।

दूसरी बात मैं यह बताऊं हमारे यहाँ पर वसूली का डण्डा चल रहा है। उसके सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव भी रखा था। अध्यक्ष महोदय ने उसको अस्वीकार किया, स्थगन प्रस्ताव को रखने की स्वीकृति नहीं दी और उसके सम्बन्ध में बजट भाषण में बोलने का हमें अवसर दिया। तो वसूली के बारे में मैं आपसे विशेष निवेदन करूंगा जो वसूली हो रही है, यह कानूनी ढंग से वसूली होनी चाहिये इसमें दो राय नहीं है। इसमें दो राय नहीं है। इससे हम भी सहमत हैं। हमारा मतलब यह नहीं है कि वसूली बिल्कुल बन्द करदी जाय या वसूली रोक दी जाय या खारिज कर दी जाय। अगर कानून के अनुसार ढंग से वसूली हो उसके बारे में दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन गैर-कानूनी ढंग से, डण्डे के बल पर लोगों के ऊपर गरम पानी छोड़कर वसूली की जाती है, लोगों ने रहने के लिये जो छोटी छोटी कवेलू की झोंपडी बना रखी है आपने तो देखी नहीं होंगी शायद, दरख्तों के पत्तों की छांह कर रखी है, कवेलू के पत्तों की झोंपड़ी हैं, उनको तोड़कर लोगों को बेहाल किया जाता है, लोगों के साथ मारपीट करके वसूलियां की जाती हैं लेकिन इसके सम्बन्ध में सरकार ने आज तक

(श्री जाथग)

निर्णय नहीं लिया है। हमारे मंत्री महोदय ने एक वसूली के लिये कह दिया कि वसूली स्थगित कर देंगे, यों कर देंगे। उन्होंने मेड़बन्दी की वसूली को स्थगित करने की बात कही थी। कल एक प्रश्न आया था, उसके जवाब में मंत्री महोदय ने कह दिया था कि मेड़बन्दी की वसूली को बन्द कर देंगे। लेकन मेड़बन्दी को वसूली के अलावा छः सात वसूली के बारे में हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि सरकार की इन अन्य वसूलियों के लिये सरकार के जो नियम हैं, जो कानून बने हुए हैं, उन कानून और नियमों के अनुसार वसूली करेंगे तो हमें एतराज नहीं है, हां अगर गैर कानूनी ढंग से वसूली की जाय तो उसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गांवों में पटवारियों ने, तहसीलदार ने गिरदावर ने और यहां तक कि एस. डी. ओ. ने पुलिस के द्वारा लोगों को पिटवाया है, उनको बेशर्म करके नंगा करके डुलाया है। ऐसी स्थिति में यह कैसी प्रजातांत्रिक सरकार है, इस प्रकार लोगों को नंगा करना, उनकी झोंपड़ी तोड़ कर फैंक देना और वसूली करना शर्मनाक बात है। इस पर सरकार विशेष ध्यान दे।

दूसरो बात यह अर्ज करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, जो पातालतोड़ कुओं के बारे में है। राज्य सरकार और वित्त मंत्री ने अपने बजट में बताया है कि जोधपुर और बांसवाडा जिले को पाताल तोड़ कुओं के लये चुना है, इन दो जिलों में पातालतोड़ कुओं के लिए सर्वेक्षण कराने के लिये अपने बजट भाषण में बताया है। लेकिन यह कार्य कब तक चालू कर दिया जायगा और इस योजना में कौन कौन से गांवों को लिया जायगा इस प्रकार का उनका कोई प्लान नहीं है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, एक तो तारीख निश्चित की जाय और दूसरे गांवों का लक्ष्य निर्धारित किया जाए कि अमुक अमुक जिले मे अमुक अमुक गांवों में इस प्रकार का सर्वेक्षण कराया जायगा और सर्वेक्षण के कार्य को तुरंत चालू कर दिया जायगा।

साथ ही एक और बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां बेरोजगारी को मिटाने वाली बात कही जाती रही है लेकिन बेरोजगारी तभी मिट सकती है जब बांसवाडा जिले में योजना बद्ध कार्य हो मैं अपने जिले की ही बात कहूंगा क्योंकि वह बहुत पहाड़ी और पथरीला इलाका है, जहां से नदी और नालों का पानी बह कर भूमि में चला जाता है और भूमि में बड़ी बड़ी चटानें आ जाती हैं इसलिये वहां कुए नहीं खोदे जा सकते। इसलिए ऐसे जिले को पहले प्राथमिकता दी जाकर पाताल तोड़ कुओं के कार्य को हाथ में लिया जाना चाहिये।

दूसरी बात मैं जो अर्ज करूंगा वह ग्रामीण विद्युतिकरण के बारे में है। आज दिन तक बांसवाड़ा जिले में और कुशलगढ़ क्षेत्र में कितने ग्रामों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य चालू किया? सही मायने में यदि ग्रामीण विद्युतीकरण का काम चालू किया होता तो आपके

(श्री जोथिंग)

सामने यह बात पैदा नहीं होती और हमारे इलाके में दुष्काल की कोई समस्या नहीं रह सकती थी। हमारे इलाके में, बांसवाडा जिले में, हर दो तीन साल के बाद में प्राकृतिक तौर पर अकाल पड़ता है जिससे लोग वेरोजगार और बेघरबार होकर अपने पशुओं और औलाद को गिरवी रख कर निकल जाते हैं। इसलिये ग्रामीण विद्युतिकरण का कार्यक्रम बांसवाड़ा जिले में विशेष तौर से प्राथमिकता देकर चालू किया जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और कृषि उत्पादन में हरी क्रांति का जो नारा दिया है, वह भी सफल हो सके, वरना खाली नारा देने से और कागज में रिकार्ड बना लेने से ही कोई विद्युतिकरण नहीं होने वाला है और न हरी क्रांति का नारा सफल होने वाला है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बांसवाडा जिले को प्राथमिकता दी जाकर ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य हाथ में लिया जाना चाहिए...

श्री खेत सिंह : पांच बज गये।

श्री जोथिंग : दूसरी बात यह अर्ज करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में राज्य कर्मचारियों द्वारा गरीबों पर, किसानों पर, होने वाले अत्याचार की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में पहले भी मैंने आपसे निवेदन कर दिया है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार बांसवाड़ा जिले में राज्य कर्मचारियों के द्वारा लोगों पर अत्याचार और अन्याय इस प्रजातंत्र के युग में किया जा रहा है उसे तुरन्त रुकवाने के लिए आप उचित कदम उठायें।

बस इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन की कार्यवाही दिनांक 1-5-72 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल पांच बजे सोमवार दिनांक 1-5-72 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

ता. प्र. सं. 107 की सूची

सूची 'अ'

परबतसर तहसील जिला नागौर के अन्तर्गत सिंचाई बांधों की सूची ।

	बांध का नाम	सिंचाई
1.	भकरी	2372
2.	पीरजी का नाका	267
3	मंगलाना	168

सूची 'ब'

परबतसर तहसील जिला नागौर में करवाये जा रहे सिंचाई कार्यों की सूची ।

कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अनुमानित सिंचाई
1. चिपलोई	[illegible]8,[illegible]0 रु.	135 एकड़
2. काजवास	57,200 ,,	40 ,,
3. करमाकुड़ी	49 000 ,,	113 ,,
4. खारिया	29.000 ,,	280 ,,
5. खालरा	30,000 ,,	220 ,,
6. भहसिया	2,50,000 ,,	219 ,,
7. किल्लू	3 21,000 ,,	220 ,,
8. गंदाल	2,69,760 ,,	190 ,,
9. गंगवा	1,[illegible]2,200 ,,	382 ,,
10. बाड़ीयाद	91,720 ,,	280 ,,

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 109 की सूची)

दिसम्बर, 68 से फरवरी 71 तक सिंचाई विभाग द्वारा बेडफ़ोर्ड, डोज और फारगो ट्रक्स की चेसिस खरीदी गई उसकी सूची "अ"

क्र.सं.	नाम सिंचाई खण्ड	किस्म ट्रक	संख्या	खरीद की तारीख़	धन जो खर्च हुआ	फर्म का नाम जिससे खरीदी गई	फर्म का प्रोपराईटर एजेन्ट सब एजेन्ट	क्या गाड़ी उपयोग में आ रही है	रजिस्ट्रेशन की संख्या व तारीख़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सर्वेक्षण खंड जयपुर	फ़ारगो	2	24-1-70	69490-00	कमल एण्ड कं. जयपुर	श्री कमल कासलीवाल	जयपुर एवं उदयपुर खण्ड	आर. जे. वाई. 4476 आर.आर. एल. 4827 दि. 24-4-70
2.	माही खण्ड बांसवाड़ा	फ़ारगो	4	2-1-70	221095-84	प्रीमियर आटोमोबाइल्स बंबई	कमल एण्ड कं जयपुर	माही योजना बांसवाडा	आर. जे. बी. 503, 507, 508, 509, दिनांक 4-2-70
3.	"	फ़ारगो	4	8-4-70	220551-84	"	"	"	आर. जे. बी. 518, 519, 520, 521 दिनांक 8-5-70
4.	जाखम प्रोजेक्ट खण्ड नं. 1	फ़ारगो	4	20-8-70	169769-24	"	सीधे कं. से ख़रीदें	जाखम प्रोजेक्ट	आर. जे. वाई. 4819 4820 4821, 4822 दि. दिसम्बर, 1970

5.	„	फ़ारगो	10	14-8-70	424423-10	„	„	„	आर. जे. वाई. 4823, 24, 26, 27, 29, 30 दिनांक दिसम्बर, 70 आर. जे. वाई. 4885, 1508, 1463, 1465 दि. 1-1-71
6.	„	फ़ारगो	4	24-6-70	167824-08	„	„	टिड्डी खण्ड उदयपुर मेजा फीडर खण्ड भीलवाड़ा नं. 3	आर. जे. वाई. 5195, 4883, 4884, दिनांक अप्रेल, 71, एम. आर. बी. 809
7.	सेई खण्ड सुमेरपुर	डोज	4	8-9-69	411000-00	„	आटोमोबाइल्स बम्बई	सेई	आर. जे. टी. 1619, 1629, 1621, 1622 दि. फरवरी, 71
8.	„	बेडफ़ोर्ड	4	25-3-70		हिन्दुस्तान कलकत्ता	हिन्दुस्तान कलकत्ता	प्रोजेक्ट	आर. जे. जेड 56 : 9, आर. जे. डब्ल्यू. 8 4, 886, 887
9.	सि. खण्ड बांसवाड़ा	फ़ारगो	4	7-7-69	183978-75	कमल एण्ड कं. जयपुर	..	अकाल सहायता कार्यों में	आर. जे. बी. 547, दिनांक 21-11-70 आर. जे. बी. 475 470 दि. 21-8-6)

									आर.जे.बी. 613, दि. 25-2-72
10.	„	डोज	4	30-5-69	115726-69	प्रीमियर आटोमोबाइल्स बंबई	. . .	„	एम. आर. बी. 892
11.	„	फ़ारगो	4	16-3-70	169590-10	„	कमल कं. जयपुर	„	आर. जे. बी. 460, 461
12.	सिंचाई खण्ड डूंगरपुर	डोज	1	3-6-69	31200-00	आटोमोबाइल्स बम्बई	आटोमोबाइल्स बम्बई	सब डि. डूंगरपुर	आर. जे. वाई. 3924 दिनांक 27-6-69
13.	„	फ़ारगो	1	21-3-70	65000-00	„	„	सब डि. नं. 1 डूंगरपुर	एम. आर. बी. 989, 991
14.	ज,,	फ़ारगो	1	21-3-70	32500-00	आटोमोबाइल्स देहली	आटोमोबाइल्स देहली	सब डि. नं. 2 डूंगरपुर	आर. जे. जे. 420 दि. जून 70
15.	सिंचाई खंड भीलवाड़ा	डोज	2	22-3-69	66384-00	आटोमोबाइल्स बम्बई	गणेश आटोमोबा-आटोमोबाइल्स अजमेर	जैतपुरा प्रोजेक्ट	आर. जे. ई. 1150 1152, दिनांक 9-7-69, 10-10-9-69
16.	सि. खण्ड उदयपुर	डोज	2	30-5-69	57863-34	„	„	खस्ताना, मदार का नाका, मोदावरी का नाका सि. कार्य	आर. जे. वाई. 3934, 3957, दि. 7-7-69
17.	सिंचाई खण्ड भीलवाड़ा	फ़ारगो	4	1-12-69	222468-00	„	कमल कं. जयपुर	जैतपुरा प्रोजेक्ट	आर. जे. ई. 1244, 1248, 1249, दिनांक 7-2-70

8. सिचाई खण्ड कांकरोली	फ़ारगो	6	12-2-70	208471-14	„	„	कांकरोली खण्ड मेजा फीडर टिड्डी खण्ड	आर. जे. वाई. 4617, 14412, 459, दिन क 10-9-70, 7-2-71, आर बी एम. आर. बी. 691, 698, 699
19. सि. खण्ड उदयपुर	बैंड फ़ोर्ड	4	26-3-70	160864-00	हिन्दुस्तान मोटर्स कलकत्ता	..	टिड्डी खण्ड जाखम खण्ड	आर. जे. वाई. 4834, 4835 4836, 4839 दिनांक 2-1-71, 4-1-71
20. सि. खण्ड जयपुर	बैंड फ़ोर्ड	2	14-11-70	82844-96	हिन्दुस्तान मोटर्स स्टेट बंगला	वेस्टर्न इण्डियन स्टेट, मोटर्स जयपुर	जयपुर खण्ड, सवाई माधोपुर जखण्ड	आर. आर. एल. 7858, 7859
21. „	फ़ारगो	1	14-11-70	47032-01	आटोमोबाइल्स बम्बई	मेवाड़ मोटर्स उदयपुर	जयपुर खण्ड	आर. आर. एल. 8767
22. सि. खण्ड अलवर	बैंड फ़ोर्ड	1	मार्च, 70	43071-08	हिन्दुस्तान मोटर्स वेस्ट बंगला	सीधे क. से प्राप्त की	अलवर खण्ड	आर. जे. ए. 3212
23. „	फ़ारगो	1	14-11-70	4032-01	आटोमोबाइल्स बम्बई	मेवाड़ मोटर्स उदयपुर	„	आर. जे. ए. 3492
24. खण्ड भरतपुर	बैंड फ़ोर्ड	1	मार्च, 70	43871-08	हिन्दुस्तान मोटर्स वेस्ट बंगाल	सीधे कं. से प्राप्त किए	भरतपुर खण्ड	आर. जे. बी. 4138

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 110 की सूची)

पंचायत समिति पचपदरा व पंचायत समिति बाड़मेर क्षेत्र में क्रेश योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों पर रोजगार दिये गये मजदूरों की संख्या की सूची।

पंचायत समिति, पचपदरा

(दांखा, सिएली रोड)

दिनांक	ग्राम	मजदूरों की संख्या
15-9-71 से	सिडा	1
11-10-71	भाटाला	2
	योग–	3
4-3-72 से	सिमालिया	7
31-3-72	कितपाला	23
	सिएली	10
	योग–	40

पंचायत समिति, बाड़मेर

(रामसर गिराब रोड)

दिनांक	ग्राम	मजदूरों की संख्या
15-9-71 से	रामसर	32
30-9-71	पाबूसरिया	1
	पांधी का पार	3
	सिवाणि	1
	योग–	37
1-10-71 से	रामसर	66
21-10-71	पाबूसरिया	2
	सियानी	2
	पांधी का पार	4
	योग–	74

Page No 124

दिनांक	ग्राम		मजदूरों की संख्या
1-2-72 से	रामसर		44
15-2-72	पांधो का पार		13
	गरडीया		6
	नोपाटीया		1
		योग—	64
16-2-72 से	पाबूसरिया		2
28-2-72	रामसर		40
	नोपाटीया		1
	पांधी का पार		14
	गरडीया		4
		योग—	61
1-3-72 से	रामसर		42
15-3-72	गरडीया		5
	पाबूसरिया		2
	अमरे का पार		1
	पांधी का पार		17
	आलीला		2
	नोपाटीया		1
		योग—	70
16-3-72 से	रामसर		42
31-3-72	पांधी का पार		16
	आलीला		2
	अमरे का पार		1
	नोपाटीया		3
	गरडीया		6
		योग—	70

परिशिष्ट-4

(ता. प्र. सं. 117 को सूची)

वर्ष 1970–71 व 1971–72 में कोटा, बूंदी तथा झालावाड जिलों की पंचायत समितियों को गृह निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान राशि का ब्योरा

क्र. सं.-नाम जिला	नाम पंचायत समिति	स्वीकृत राशि वर्ष 1970–71	दिनांक रकम वितरण	वर्ष 1971–72	दिनांक रकम वितरण
1 कोटा	अटरू	14,000	(अ) 2008) रु.पी. डी. खाते से वापिस ले लिये गये (ब) 562) रु. पंचायत समिति के पास शेष हैं। (स) 11430) रु. की राशि का तारीख बार वितरण		

दिनांक	राशि
29–5–71	333.00
4–6–71	999.00
15–6–71	999.00
21–6–71	1332.00
29–6–71	5329.00
3–11–71	468.00
8–12–71	333.00
14–1–72	333.00
17–1–72	234.00
14–2–72	333.00
17–2–72	468.00
22–3–72	333.00
28–3–72	468.00
28–3–72	468.00
योग :—	11430.00

	झालावाड़-डग	..	..	.. 18,000	31-3-72 को पी. डी. खाते में हस्तान्तरित हुई। इसका उपयोग अब किया जावेगा।
3	बूंदी केशोरायपाटन	10,000	रकम पी. डी. खाते में वापस ले ली गई।	3,000	" "

परिशिष्ट–5

(ता. प्र. सं. 125 की सूची)

बिसलपुर सिंचाई योजना पर सर्वेक्षण व अनुसंधान कार्यों पर खर्चे का विवरण
(चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में)

वर्ष	खर्चा
1969–70	26,613.32 रु.
1970–71	17,506.69 रु.
1971–72	314.53 रु.
	योग—44,434.54 रु.

परिशिष्ट—6

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

टौंक—उनियारा—लाखेरी रोड़ पर व्यय की गई राशि

128. श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टौंक-उनियारा-लाखेरी रोड़ पर राज्य सरकार द्वारा किस साल में कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई थी ?

(2) अब तक इस सड़क पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

(3) इस सड़क के लिये सन् 1971-72 में कितनी राशि स्वीकृत हुई और कितनी खर्च हुई ?

(4) क्या यह सही है कि स्वीकृत राशि को इस सड़क पर न लगाकर दूसरी जगह खर्च किया गया ?

(5) यदि हां, तो राशि कहां खर्च की गई और क्यों ?

उत्तर

(1) टौंक उनियारा लाखेरी रोड़ के नाम से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई हैं उनियारा इन्दरगढ़ रोड़ के नाम से प्रशासनिक स्वीकृति 11/63 में रु. 4,50,000/—की दी गई है।

(2) सन् 3/72 तक उनियारा इन्दरगढ़ रोड़ पर कुल रकम 2,88,380/— खर्च की गई।

(3) उनियारा इन्दरगढ़ रोड़ पर सन् 1971-72 में स्वीकृति व खर्च निम्न प्रकार है

	स्वीकृति	खर्च
(1) मेटलरोड-	40,000/-	26,024
(2) सी. डी. वर्क्स	10,000/-	17,935/-
		43,959/-

(4) जी नहीं ?

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत समिति के अध्यापकों की बकाया राशि का भुगतान

129. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन पंचायत समिति के अध्यापकों को लगभग डेढ़ साल से मेडिकल रि-एम्बर्समेन्ट की राशि का भुगतान नहीं हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि इन्हीं अध्यापकों को बढ़ी हुई मंहगाई की रकम भी छः माह से नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। कोषाधिकारी झालावाड द्वारा बिल पास नहीं करने के कारण

(पंचायत मंत्री)
भुगतान प्राप्त नहीं किया जा सका है। कोषाधिकारी को दिनांक 25-4-72 को बिल पास करने के लिए इस विभाग द्वारा लिख दिया गया है।

बूंदी जिले में सीपेज की समस्या

130. **श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय** (बूंदी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी जिले में सीपेज की समस्या के लिये अब तक कितना रुपया व्यय किया गया है? कितने और कार्य करने हैं तथा इनका एस्टीमेट व प्लान क्या है और इस समस्या का निराकरण कब तक हो जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि सीपेज की समस्या बूंदी जिले के नहरी इलाके में इतनी भयंकर रूप से होने के बावजूद भी ड्रेनेज विभाग के डिवीजन को बिना फन्ड्स के तोडा जा रहा है?

(3) बूंदी जिले के कितने ग्रामों की कितनी भूमि सीपेज की समस्या से ग्रसित है और कितनी सड़कों पर इस समस्या की वजह से यातायात अवरुद्ध हो रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

उत्तर

(1) बूंदी जिले की सीपेज को समस्या को हल करने हेतु अब तक कुल 34.05 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। पांच चालू योजनाओं को पूरा करने के लिए 16.37 लाख रुपये तथा 11 नयी योजनाओं के लिए 38.50 लाख रुपये की आवश्यकता है। आवश्यक धनराशि की उपलब्धी पर ही कार्य को कराया जा सकेगा

(2) जी हां।

(3) बूंदी जिले में 86 गांवों की लगभग 22,230 एकड़ भूमि चम्बल नहरों से सीपेज से तथा गुढा बांध की नहरों से 23 ग्रामों की लगभग 8874 बीघा भूमि प्रभावित हुई है। सड़कों पर यातायात अवरूद्ध होने का प्रश्न सा. नि. वि. (भवन एवं पथ) से संबंधित है। इस समस्या के लिए किसी विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

प्रतापगढ़ में महल की नीलामी

131. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़): या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ में एक पुराना महल नीलामी द्वारा एक लाख बाइस हजार रुपये में बेचा गया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रकम से प्रतापगढ़ अस्तपाल में एक वार्ड और शेष रकम से डाक्टरों के रहने के लिये क्वार्टर बनाये जाने के लिये जनता ने जिलाधीश और राज्य सरकार से मांग की थी? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये?

(3) क्या यह भी सत्य है कि जो पुरानी सरकारी इमारत नीलाम की जाती है तो उससे प्राप्त रकम को वहीं पर लगाया जाय, इस प्रकार के राज्य सरकार के आदेश हैं।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां, सितम्बर 1971 में।

(2) जनता की जिलाधीश और सरकार से मांग की जानकारी इस विभाग को नहीं है 22 मार्च 1972 को 1,22,000/- रु. के कार्यों की स्वीकृति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी गई है।

(3) जिले में खर्च करने के आदेश हैं।

अर्बन एसेसमेन्ट चार्ज से मुक्त पुरुषार्थी बस्तियां

132. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर की कौन कौन सी पुरुषार्थी बस्तियां अर्बन असेसमेन्ट चार्ज से मुक्त हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि सिंधी-कॉलोनी (बनीपार्क) एवं डी. पी. कॉलोनी (नारी का नाका) उक्त अर्बन एसेसमेन्ट चार्ज से मुक्त नहीं है ? जब कि उक्त बस्तियां भी पुरुषार्थियों के पुनर्वास हेतु बनाई गई थीं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) राज्य सरकार ने अर्बन असेसमेन्ट चार्ज से मुक्त करने का क्या मापदण्ड अपनाया है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। इन कॉलोनीज में प्लाटों का आवंटन नगर विकास न्यास द्वारा किया गया था। अतः इन पर न्यास के नियम लागू होते हैं।

(3) नगर विकास न्यास ने किसी भी कालोनी को अर्बन असेसमेन्ट से मुक्त नहीं किया है।

तालिका "अ"

आदर्श नगर में स्थित उपनगरीय राजापार्क, गुरुनानक पुरा एवं फतेह टीबा कालोनी।

रिवीजन सेटिलमेंट की अनिर्णीत उजरदारियां

133. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लूणकरणसर तहसील के रिवीजन सेटिलमेन्ट की हजारों उजरदारियां अभी तक अनिर्णीत पड़ी हुई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि वर्षों से उपरोक्त उजरदारियों के निर्णय करने की समुचित व्यवस्था न होने से काश्तकारों की परेशानियां बढ़ रही हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त उजरदारियों के निर्णय हेतु पिछले विधान सभा सत्र में एडीशनल एस. डी. ओ. की नियुक्ति की घोषणा की थी ? अगर हां, तो सरकार इस संबंध में क्या व्यवस्था कर रही है ?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) लूणकरणसर तहसील से सम्बन्धित कुल 1443 सेटिलमेन्ट उज्रदारियां जो सेटिलमेन्ट ऑपरेशन समाप्त होने पर उप-खण्ड अधिकारी, बीकानेर को हस्तान्तरित हुई थी उनमें से 202 उज्रदारियां निर्णित की जा चुकी हैं।

(2) उक्त उज्रदारियों को यथा संभव उप-खण्ड अधिकारी, बीकानेर के द्वारा तय किया जा रहा है और इनमें से 202 उज्रदारियां तय की जा चुकी हैं और शेष में कार्यवाही की जा रही है।

(3) इस कार्य के लिये राज्य सरकार ने एक अतिरिक्त पद उप-खण्ड अधिकारी का सृजित किया था परन्तु आर. ए. एस. अधिकारी उपलब्ध नहीं होने से किसी अधिकारी की इस पद पर अभी तक नियुक्ति नहीं की जा सकी है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैपला

134. **श्री जगमोहन सिंह** (छबड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जैपला तहसील छबड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिना भवन के कब से चल रहा है? इसके स्टाफ क्वार्टर्स बने या नहीं एवम् स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण अब तक हुआ या नहीं? अगर नहीं, तो यह सब कार्य कब तक करवाने की योजना है?

उत्तर

दिनांक 1-6-65 से। वर्तमान समय में यह केन्द्र प्राथमिक शाला में चल रहा है। केन्द्र के मुख्य भवन का निर्माण इस वर्ष पूर्ण होने की सम्भावना है। धनाभाव के कारण स्टाफ क्वार्टर्स अभी बनवाना सम्भव नहीं है।

नागौर में क्रेश योजना के अन्तर्गत कार्य

135. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले में क्रेश योजना के अन्तर्गत 71—72 में कौन कौन से कार्य कब कब स्वीकृत हुए एवं कितनी कितनी राशि उक्त अवधि में प्रत्येक कार्य पर व्यय हुई?

(2) नागौर जिले में सेन्ट्रल स्कीम फॉर रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत कौन कौन से कार्य स्वीकृत हुए है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

नागौर जिले में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों पर वर्ष 1971-72 में खर्च हुई राशि का विवरण।

क्र.सं.	नाम कार्य	क्षेत्र	स्वीकृति का दिनांक	खर्च हुई राशि
1	2	3	4	5
	सड़क कार्य			
1.	डीडवाना से कापड़ोद	डीडवाना	12-1-72	—
2.	कोलिया से जखुमा	,,	,,	320-76
3.	सांवराद बस स्टेण्ड से दजताऊ	लाडनूं	,,	—
4.	मीठड़ी से हुसैनपुरा	,,	,,	313-10
5.	लाडनूं से जसवन्तगढ रेल्वे स्टेशन वाया खानपुरा	,,	,,	621-00
6.	सांवराद रेल्वे स्टेशन से भीण्डासरी	,,	,,	1416-80
7.	डेगाना से पुन्दलौता-हुडवा सड़क	डेगाना	,,	184-00
8.	परवतसर से किनसरिया	परवतसर	,,	96-00
9.	लोलीया से पाली बोरडर	रियां	,,	—
10.	नागौर से देहू	नागौर	,,	240-20
11.	गगवाना प्याऊ से खैरवाड़ा	रियां	,,	—
12.	101 मील के पत्थर से छावटा (नागौर डीडवाना सड़क)	जायल	,,	—
13.	रातड़ी नाडी से हरसोलाव	मेड़ता	,,	1158-00
14.	मेड़ता रोड से भाडोवा	मेडता	,,	—
15.	आवास से पांचौता	कुचामन	,,	—
16.	जीलोया-आनन्दपुरा से बस स्टेण्ड (नागौर-डीडवाना सड़क पर)	कुचामन	,,	—
17.	मूण्डवा रेल्वे स्टेशन से ग्राम मूण्डवा (वाया पंचायत समिति, पोस्ट आफिस बाजार)	मूण्डवा	,,	1543-50
18.	मूण्डवा आसोप सड़क पालड़ी के पास ऊंची करने	मूण्डवा	,,	—
19.	मूण्डवा-खजवाना सड़क की मरम्मत	,,	,,	—

सिंचाई कार्य

1.	रपट माताजी का मन्दिर भडाना	मूण्डवा	1–2–72	–
2.	रपट आसावरी उत्तर	"	"	–
3.	रपट आसावरी दक्षिण	"	"	–
4.	बडा तालाब खजवाना	"	"	39–50
5.	हलूण्डा रपट रियां श्यामदास	मेडता	"	55–73

पेड लगाने का कार्य

1.	नागौर-बासनी मार्ग	नागौर	12–1–72	4263–00
2.	लाडनू-सिघाना मार्ग	लाडनू	"	2677–00
3.	नागौर-मूण्डवा मार्ग	नागौर	"	2744–48

नागौर जिले में सेन्टल स्कीम फोर रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण।

क्र. सं. नाम कार्य

सड़क कार्य

(1) मेडतासिटी से मेडता रोड
(2) मेडता-गोटन
(3) नागौर-मेड़तासिटी
(4) मेडतासिटी से जैतारण
(5) पादू से रून्दा
(6) डेगाना से भेरून्दा
(7) दौलतपुरा से लोसल
(8) खाटू से वांठडी
(9) खाटू से वालीया
(10) रोडू से मीठडी
(11) मोलसर से खाटू

सिचाई कार्य

(1) छीपोलाई
(2) बाजवास टैन्क
(3) करमाकुण्डी
(4) खारियाबन्द
(5) झालरा
(6) भडसिया तालाब
(7) बीलू तालाब
(8) बंवाल प्रोजेक्ट
(9) चिताणी तालाब
(10) साथलास बंद
(11) पुन्दलू
(12) गगराना प्रोजेक्ट
(13) घनापा प्रोजेक्ट
(14) रातांहूंदा थावला प्रोजेक्ट
(15) पुन्दलोता सर
(16) पचरन्डा
(17) बालिया टैन्क
(18) परताब सागर हुरसोर
(19) पीपलिया रपट
(20) बीजाथल रपट
(21) माताजी का बाला
(22) लाडपुरा
(23) लूनियावास रपट
(24) नरसिंग वासनी
(25) सोलीयाना प्रोजेक्ट
(26) पलाडा प्रोजेक्ट
(27) मोरछन्द तालाब
(28) सुरजानिया वास
(29) ढोढोया
(30) खबर प्रोजेक्ट
(31) गांगवा प्रोजेक्ट
(32) धोदियाद तालाव
(33) सीधी तलाई

सारड़ा तहसील में तालाब का सर्वे

136. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि तहसील सराड़ा में तालाब नामी (लटी आमली) द्वारा योजना की सर्वे पूर्ण की जाकर तकमीना बना लिया गया है ? यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने कार्य चालू कराने को स्वीकृति भी दे दी है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक चालू कराया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां, इस योजना की अनुमानित लागत 52 लाख रु. है ।

(2) जी नहीं ।

मुकन्दगढ लक्ष्मणगढ़ सड़क का कार्य

137. **श्री झाबरमल** (फतेहपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मुकन्दगढ़ से लक्ष्मणगढ़ की सड़क का काम कब शुरू हुआ था इसकी कुल दूरी कितनी है ?

(2) उपरोक्त सड़क का काम अब कब तक कहां से कहां तक हो चुका है व बाकी काम कब तक शुरू करा दिया जावेगा ? अब तक कार्य शुरू न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1965-66 में कार्य आरम्भ कराया गया था सड़क की लम्बाई 14 मील 7 फर्लांग है ?

(2) लक्ष्मणगढ़ की ओर से प्रथम 3 मील में कार्य पूर्ण हो चुका है 1 मील 310 514 का कार्य प्रगति पर है शेष मीलों का कार्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण आरम्भ नहीं कराया गया ?

फसल की जिन्सवार रिपोर्ट

138. **श्री चिम्मनसिंह भाटी** (भीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) (अ) क्या उदयपुर जिले की भीम व देवगढ तहसील की खरीफ 1971 की फसल की जिन्सवार रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है ?

(ब) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(स) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(2) (अ) क्या राज्य सरकार को यह जानकारी है कि उदयपुर जिले की भीम व देवगढ़ तहसील की रबी की सारी फसलें पाला गिरने से जल गई हैं ?

(ब) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम डूंगरी में औषधालय

139. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम डूंगरी पंचायत समिति सांचोर में अभी तक आयुर्वेद औषधालय नहीं खोला गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) अब उक्त स्थान पर आयुर्वेद अस्पताल कब तक खोल दिया जावेगा ? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें ?

उत्तर

(1) इस ग्राम में औषधालय नहीं खोला जा सका है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा नये खोले जाने वाले औषधालयों के प्रावधान किये जाने पर यहां औषधालय खोलने पर विचार किया जा सकेगा ।

चूरू में सैनिक बस्ती

140. **श्री मोहरसिंह (चूरू)** : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू में सैनिक बस्ती बसाने की योजना कब चालू की गई थी ? अब तक इस योजना के अन्तर्गत क्या कार्य हुआ है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) अब इस योजना को शीघ्र पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम जा रहे हैं ?

(3) इस बस्ती का निर्माण कब तक पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(1) सैनिक बस्ती चूरू को बसाने की योजना उद्घाटन तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक ८-९-66 को किया गया था ।

इस बस्ती का पहला प्लान अगस्त, 1966 में स्वीकृत हुआ और उसके अनुसार सैनिक अधिकारियों को 158 प्लाट्स काटे गये जिनमें से 139 को आवंटन किया गया । उक्त 139 आवंटियों में से केवल 29 फौजी अधिकारियों ने रकम जमा कराई एवं शेष ने सभी सम्भव प्रकार एवं कार्यवाही के बाद भी जब रकम जमा नहीं कराई तो उन सभी लोगों के आवंटन अप्रेल, 1968 में रद्द कर दिये ।

इस बस्ती के पहले प्लान में गलती होने के कारण पुनः दूसरा प्लान तैयार कराया गया जिसमें 12 और फौजी अधिकारियों को अप्रेल, मई, जून एवं जुलाई, 1968 में 12 प्लाट आवंटित किये गये । इस प्रकार अब तक केवल 41 प्लाट्स का आवंटन हुआ है चूंकि इस बस्ती के विकास का व्यय इसमें काटे गये प्लाट्स की कीमत से कहीं अधिक पड़ता था और सरकार को अपनी ओर से काफी व्यय करना पड़ता था इस कारण सम्बन्धित जिलाधीश एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के बीच विचार विमर्श होने के बाद यह तय पाया गया कि प्लाट्स की कीमत बस्ती के विकास के व्यय के अनुमान के अनुसार बढ़ाई जाने की कार्यवाही की जावे । इस

(सैनिक-कल्याण मंत्री)

बारे में अभी तक जिलाधीश, चूरू के पास जलदाय विभाग से 4 लाख 76 हजार एवं विद्युत् विभाग से 1 लाख 85 हजार 418 रुपये के अनुमान प्राप्त हुए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं जिसके लिये मई, 1972 के प्रथम सप्ताह में पुनः सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक निश्चित की गई है। जैसे ही बस्ती के विकास व्यय सम्बन्धी अनुमान प्राप्त होंगे प्लाट्स की कीमत तय कर दी जावेगी और आवंटन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हो जावेगी। प्लाट्स आवंटन हो जाने तथा उनकी कीमत की दमूली हो जाने के बाद सम्भवतः दो वर्ष की अवधि में यह योजना पूर्ण हो सकेगी।

(2) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न के खण्ड (1) में दिया जा चुका है।

(3) इस प्रश्न का उत्तर खण्ड 1 में दिया जा चुका है।

ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतिकरण का मास्टर प्लान

141. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान सरकार ने क्या राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतिकरण के लिये कोई मास्टर प्लान बनाया है? यदि हां, तो राज्य के सारे गांवों को सिंचाई कार्यों के लिये कब तक बिजली उपलब्ध करा दी जावेगी?

उत्तर

जी नहीं। निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

माही बांध की डूब में आई भूमि का मुआवजा

142. **श्री विट्ठल** (पीपल खूंट): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में माही बांध का काम चालू है? यदि हां, तो उक्त बांध में कितने गांव और कितने एकड़ काश्त की भूमि डूब में आ रही है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या माही बांध की डूब में आने वाले गांवों के लोगों को सरकार ने नोटिस दे दिया है परन्तु उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान में डूब में आने वाले कुल ग्रामों की संख्या 109 तथा मध्य प्रदेश की 5 है। 2025 एकड़ काश्त की भूमि डूब में आने की सम्भावना है। गांव वार सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

माही बजाज सागर बनाने से डूब में आने वाले गांवों की सूची 'अ'

तहसील बांसवाड़ा

1. बोरखेड़ा	4. काननसेजा	7. आलापुंदवीगढ़
2. चीब	5. चांचांकोटा	8. बरोड़ा
3. आमली खेड़ा	6. भीमगढ़	9. कुण्डला कलां

Page No 138

10. बोर तलाब
11. सेमलिया
12. कुण्डला खुर्द
13. पाडला
14. केसरपुरा
15. नवाटापुरा
16. खण्डीयादेव
17. बोरखेडा (ह. कुण्डला)
18. लोघा गारीयान
19. लोघा जागीर
20. पागडी
21. रगुनाथपुरा
22. भटपुरा
23. देवगढ़
24. सुरजीपाडा
25. रतनपुरा
26. वदरेल छोटी
27. अमरपुरा
28. खान्द
29. फतेहपुरा
30. वडलीया
31. टगोपीप्पली
32. गामदा
33. आबापुरा
34. बीरपुर
35. वलीयारी
36. मंगलीयाखोरा
37. झरनिया
38. रूपपुरा
39. ठिकरीया (ह. रगन्दु)
40. वरोडा
41. जगपुरा
42. लालुपाडा
43. कुलरखेडी
44. कोरोया
45. खेडी कचरीया
46. पचोर (पचोर)
47. जेत
48. नाथपुरा कलां
49. नादीया
50. चितात्र
51. मारां
52. तालाव
53. कीकापाडा
54. नापला
55. बिलडीया
56. छापरीया
57. रेल
58. सजवानीया
59. लालपुरा
60. वारी
61. खानपुरा
62. मुहुडीपाड़ा
63. मुन्दरीपाडा
64. पोंचलवासा
65. जीवा का पाडा
66. छोटी माला
67. बडी माला
68. बांक
69. बिलाखों
70. कोटडा
71. खेरडी
72. वागडा
73. रामगढ़
74. पाडा
75. खालडा
76. सिधारी
77. झमलीया
78. पाटीनगरा
79. दनाखरी
80. नागखाली
81. चन्द्रोल
82. कानपुरी
83. छालीयावाडा
84. टीकरीया (ह.कोटडा)
85. खुजरी
86. कुतावारी
87. मातासुला
88. गागरवा
89. घोडी (घोडी)

तहसील घाटोल

1. खरखोटी
2. अलेपुरा
3. कपडा
4. हरो
5. बडावदा
6. बिलडीया
7. वडा
8. मलिया
9. रीछडी
10. बेखतोडा
11. वावडी
12. नायन

13.	सालीया	14.	माण्डली	15.	पृथ्वीपुरा
16.	भमेड़ी	17.	ठाकरा	18.	रानेपुरा
19.	रोहनीया	20.	माण्डली		

मध्य प्रदेश राज्य तहसील बांजना जिला रतलाम

1.	खोरल्ड खेडा	2.	अमरपुरा	3.	जोली
4.	भरमल पाडा	5.	राय पाडा।		

उद्योगों को रियायती दरों पर बिजली

113. **श्री मोहन लाल छंगाणी** (फलौदी): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) राजस्थान में किन किन उद्योगों को समझौतों के द्वारा विद्युत् रियायती दरों पर दी जा रही है तथा ये दरें क्या हैं? कृपया समझौते की प्रति सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) राजस्थान में विद्युत् का उत्पादन मूल्य और रियायत से दी जा रही दर का अन्तर कितना है?

(3) रियायती दर पर प्राप्त कर रहे उद्योगों की ओर विद्युत् बोर्ड की कितनी राशि किस किस समय की बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) राज्य सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जिन्होंने समय पर भुगतान नहीं किया?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के आदेशानुसार निम्नलिखित उद्योगों को सामान्य दरों से भिन्न दरों पर बिजली दी जाती है:—

(1) जिंक स्मेल्टर—उदयपुर,

(2) जावर माईन्स

(2) इन दोनों उद्योगों से इस सम्बन्ध में कोई लिखित समझौता नहीं है जिस दर पर इन उद्योगों को विद्युत् दी जाती है वह औसत उत्पादन दर से लगभग 2.8 पैसे से 3.28 पैसे प्रति यूनिट अधिक है।

(3) उपरोक्त दोनों उद्योगों में राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल की कोई राशि बकाया नहीं है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

गोचर भूमि पर कब्जा

141. **श्री गोपाल जोशी** (बीकानेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर और बिठवाल के बीच गोचर भूमि का कितना क्षेत्र है?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने भी इसे गोचर भूमि घोषित की है? यदि हां, तो कब और कितनी?

Page No 140

(श्री गोपाल जोशी)

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के कई विभागों ने इस गोचर भूमि के कई भाग पर कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो किन किन विभागों ने कितने क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है ?

(4) क्या ये कब्जे राज्य सरकार की आज्ञा से हुए हैं ?

(5) क्या राज्य सरकार इन कब्जों को गोचर भूमि के लिए हटाने का प्रबन्ध कर रही है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) ग्राम बीछवाल की गोचर भूमि का क्षेत्रफल 19092॥।) 1 बीघा है।

(2) जी नहीं। यह गोचर भूमि भूतकाल स्टेट के समय से ही स्वीकृत है।

(3) इस ग्राम की भूमि पर राज्य सरकार के जिन राजकीय विभागों का 6133।) 1 बीघा भूमि पर कब्जा है, उनकी सूची संलग्न है।

(4) इस ग्राम की भूमि पर राजकीय विभागों के कुछ कब्जे स्वीकृत शुदा हैं व कुछ पुराने हैं।

(5) इस ग्राम में अब भी 12959.10 बीघा भूमि पशुओं के चरने हेतु उपलब्ध है तथा पशुओं की संख्या को देखते हुए पर्याप्त है। अतः राजकीय विभागों के कब्जों को हटाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपनिवेशन विभाग द्वारा सर्वे करने पर ग्राम बीछवाल की गोचर भूमि का (सरकारी विभागों के कब्जे की भूमि) विवरण।

नं. शु.	नाम ग्राम	नाम महकमा व मौके पर कब्जा	कुल क्षेत्रफल पुख्ता बीघों में	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	बीछवाल	फोरेस्ट विभाग	4411॥) 1	
2.	,,	महकमा रेल्वे	125॥) 1	
3.	,,	वन विभाग राजस्थान	2॥।) 3	
4.	,,	पशु अनुसंधान	18॥।) 4	
5.	,	राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल	।) 3	
6.	,,	वेटेनरी कालेज फार्म	345) 4	
7.	,.	गोपालन सहकारी समिति, बीकानेर	343॥।) 3	
8.	,	राजकीय ऊन मील	39।) 2	

1	2	3	4	5
9.	बीछवाल	नगर परिषद् चुंगी, बीकानेर	) 3	
10.	,,	राजस्थान नहर विभाग की कोलोनी	3861)	
11.	,,	लालगढ़ फोडर डिपो	1311) 1	
12.		म नमोदाम	10111) 1	
13.		सड़क महकमा पी. डब्ल्यू. डी.	20211) 1	
14.	,,	आर. ए. सी. विभाग	232)4	
		कुल योग	61331) 1	

परिशिष्ट 7

(प्र. प्र. सं. 38 की सूची)

Statement showing the Balance as on 31st March, 1971 in respect of IX Land Revenue and their classification.

Name of Distt.		Balance as on 31st March, 71.	Classification of IX-Land Revenue as on 31st March, 1971.							Total
			Stayed by Courts & Competent authority.	Suspended due to Famine & other reasons.	To be Remitted.	To be written off.	Recoverable from cultivators.	Jagir Compensation for adjustment.	Recoverable from Govt. Department.	
			Irrecoverable				Recoverable			
1.	Ajmer ..	4208784	152195	2116225	29537	3652	1907175	..	..	4208784
2.	Alwar ..	3538791	32048	..	..	31120	2384688	5046	1085889	3538791
3.	Banswara ..	887979	550877	..	..	58962	278140	..	..	887979
4.	Barmer ..	5266323	2540829	540155	443197	11802	1635960	91288	3092	5266323
5.	Bharatpur ..	3486459	54953	—	10560	123767	3292521	..	4658	3486459
6.	Bhilwara ..	3367843	18918	945379	144570	17374	2220768	2475	18359	3367843
7.	Bikaner ..	3560055	2326	575932	2280037	..	690310	11450	..	3560055
8.	Bundi ..	2904550	73771	100661	—	35445	2694673	..	..	2904550
9.	Churu ..	1302792	10391	838933	..	..	445577	7891	..	1302792
10.	Chittorgarh ..	2076743	127959	..	..	21248	1925106	2258	172	2076743
11.	Dungarpur ..	1723456	359954	..	532365	..	831137	..	..	1723456
12.	Ganganagar ..	10759434	276678	450761	..	737495	7590011	..	1704489	10759434
13.	Jaipur ..	9536325	271003	..	..	1788	8251068	910653	102813	9537325

14.	Jaisalmer ..	2340760	2000	1271460	219402	75668	197848	553445	20937	2340760
15.	Jalore ..	6969402	566	1052952	3225804	171180	2264381	254519	..	6969402
16.	Jhalawar ..	2467171	5575	..	..	..	2461596	..	..	2467171
17.	Jhunjhunu ..	2260961	..	1077313	164830	51298	930642	368778	..	2260961
18.	Jodhpur ..	7033312	245179	5633502	169007	..	834015	151609	..	7033312
19.	Kota ..	8804815	63124	16560	255035	..	8410522	..	60774	8804815
20.	Nagaur ..	8437514	41231	3949155	28748	134248	4063783	220349	..	8437514
21.	Pali ..	15664042	564438	..	..	81521	14623814	394269	..	15664042
22.	Sawai Madhopur	5212018	246375	..	93838	502153	4253568	116084	..	5212018
23.	Sikar ..	1339934	24362	..	..	96895	1217318	1359	..	1339934
24.	Sirohi ..	1869463	27167	..	724976	2400	1089589	25331	..	1869463
25.	Tonk ..	3388784	127913	5509	262022	368946	2337429	285687	1278	3388784
26.	Udaipur ..	3401453	142378	399685	10183	192942	2648834	..	27431	3401453
	TOTAL ..	121810163	5962210	18974182	8592011	2699904	79480473	3070591	3029892	121810163

Irrecoverable Amount 36229207 Recoverable Amount 85580956

Irrecoverable Amount	36229207
Stayed	5962210
Suspended	18974182
To be remitted	8592911
To be written off	2699904
TOTAL ..	36229207

Recoverable Amount	85530956
From Cultivators ..	7980473
Jagir Comp. for adjust	3070591
From Govt. Deptt. ..	3029892
TOTAL ..	85580956

परिशिष्ट 8

सूची

(अ. प्र. सं. 41 की सूची)

9, 10, 11 व 12 दिसम्बर को आर. बी अपर में चल रहे पानी का विवरण :

तारीख 9–12–71 :—पानी पूरा 52 क्युसेक्स चला

तारीख 10–12–71 :—इस दिन सुबह नहर पूरी चली और 12 बजे से नहर में पानी कम होना चालू हुआ और 3 बजे बन्द हो गई शाम को 6 बजे वापस नहर पूरी चालू हो गई।

तारीख 11–12–71 :—नहर पूरी चली।

तारीख 12–12–71 :—12–12–71 को दोपहर के 3 बजे तक नहर पूरी चलती रही बाद में बन्द हो गई।

परिशिष्ट 9

(प्र. प्र. सं. 47 की सूची)

सूची (क)

सूची उन गांवों की जो फ़सल ख़रीफ सं. 2028 में अभावग्रस्त घोषित किये गये

नाम जिला 1	नाम तहसील 2	क्र. सं. 3	नाम ग्राम 4
जालौर	सांचौर	1.	रणोदर
		2.	पापरली
		3.	चमल
		4.	रामपुरा
		5.	चितलवाना
		6.	होतीगांव
		7.	रतोढा
		8.	अगडावा
		9.	सिलोसण
		10.	रतनपुरा
		11.	गोमी
		12.	हेमागुढ
		13.	सेली
		14.	मेलावास (नुखाई)
		15.	निम्पाऊ
		16.	आकोली
		17.	खीरोड़ी
		18.	करावडी
		19.	जोधावास
		20.	केरिया
		21.	ईटावा
		22.	हेलाघा
		23.	सरनाऊ
		24.	पालदी मेवला
		25.	विरोल
		26.	हडेतर
		27.	कठमम
		28.	बाडसण

1	2	3	4
		29.	आलल
		30.	खेढणा
		31.	क्लाणा
		32.	डागरा
		33.	पावटा
		34.	धारणीम
		35.	तेतरोल
		36.	अनसोल
		37.	हाठवा
		38.	सुराबन्द
		39.	टापी
		40.	निम्पण
		41.	मेलावास चारणान
		42.	रामपुरिया
		43.	जानवी
		44.	गछीफा
		45.	इसरोल
		46.	मरठना
		47.	मेडा
		48.	भाटवास
		49.	मादकन
		50.	मुराडी
		51.	सागरिया
		52.	गरनपा
		53.	छोनरवा
		54.	लाखरधो
		55.	दूठवा
		56.	डूंगरी
		57.	भीमगुढा
		58.	सायरका कोसीटा
		59.	कलची की बेरी
		60.	आखा
		61.	खामराई

1	2	3	4
		62.	बोलिया
		63.	जालबेरो
		64.	रोजड़लालो
		65.	मदासड़ा
		66	जाकोड़िया
		67.	मूड़ेसा
		68.	जोरावर
		69.	मेलाकी
		70.	धोमपुरा
		71.	सरवाना
		72.	मलसरा
		73.	भाटकी
		74.	मालेरा
		75.	पांचला
		76.	पूयाणा
		77.	गुड़ा
		78.	शसरोल पेरावद
		79.	बाली
		80.	जब्देव
		81.	नेनोल
		82.	लूनियासर
		83.	घाटोल
		84.	दाता
		85.	घाखद
		86.	घामसबेसड़ा
		87.	सुरावा
		88.	काछीवास
		89.	किटोक
		90.	घदुड़ा
		91.	खारा
		92.	गुन्दाऊ
		93.	मीरपुरा
		94.	केसरी

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक 29 अप्रेल, 1972)

स्कम्भ संख्या 1		पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
1		6	व्यास	व्यास,
4	अन्तिम से	9	श्री ओंकारलाल	श्री ओंकारलाल
5		11	चितोडगढ	चित्तौड़गढ़
,,		12	श्रीमती निर्मला शक्तावत	श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत
6		9	श्रीमती निमला कुमारी	श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत
7		9	स्थान	स्थगन
8		11	पदा	पैदा
10		8	सिधमुख,	सिद्धमुख,
,,	अन्तिम से	4	कार्य किया जा सकता है।	कार्य चालू किया जा सकता है
13		1	व्यक्तियों	व्यक्तियों
,,	अन्तिम से	8	फ्रा	फ्री
14	,,	2	वगेरा	वगैराह
17		9	निर्देशों	निर्देशों
,,	अन्तिम से	1	ब्लड	ब्लड
18		19	दुर्भग्यवश	दुर्भाग्यवश
20		17	श्री ओंकारलाल	श्री ओंकारलाल चौहान
21		6	जबाब	जवाब
22	अन्तिम से	4	पुनः निर्माण	पुनः निर्माण
27		8	मोटर्स	मोटर्स
28	अंतिम से	5	मामुदाइक	सामुदायिक
30		13	श्री बृजेन्द्रपालसिह	112 श्री बृजेन्द्रपालसिंह
,,	अंतिम से	7	श्री बृजेन्द्र पालसिंह	श्री बृजेन्द्रपाल सिंह
,,	,,	2	कहां	कहा
31		1	श्रीं	श्री
33	अन्तिम से		पोरशन	जो पोरशन
34	,,	9	श्री गुमान मल लोढा	श्री गुमानमल लोढ़ा
,,	,,	1	नौटिसेज	नोटिसेज

1		2	3	4
35		12	सुरिक्षा	सुरक्षा
36		1	मंगबाई	मंगवाई
,,		5	अनुसार अध्यक्ष,	अनुसार, अध्यक्ष
37	अन्तिम से	8	शिडयूलकास्ट	शिड्यूल्ड कास्ट
39	,,	7	ालकर	मिलकर
,,	,,	6	रले गये	करले गये
40	,,	9	प्रतिपिलि	प्रतिलिपि
41		4	गय	गया
,,		17	श्री नदलाल बैरवा	श्री नन्दलाल बैरवा
45		14	श्री अक्ष	श्री अध्यक्ष
47	अन्तिम से	3	मत्री	मंत्री
49	,,	13	एस्टेब्लिस्ड	एस्टेब्लिश्ड
50		7	श्री रामचन्द्र चोधरी	श्री रामचन्द्र चोधरी
51		4	मीठालाल	श्री मीठालाल
54		3	श्री रनुनाथ विश्नोई	श्री रघुनाथ बिश्नोई
58	अन्तिम से	6	रूंद	रूंध
64		4	वडी	वड़ी
65	अन्तिम से	5	च	चली
67		3	कथून	कैथून
69		17	सीलिंग	सोलिंग
,,	अन्तिम से	4	क	का
70	,,	13	श्री गुरदयालसिंह संधु	श्री गुरुदयालसिंह संघु
71	,,	6	अकालग्रसित	अकालग्रसित्
77	,,	1	नी	नीति
79	अन्तिम से	1	एलाड	एलाउड
80		10	श्री ।ुमानमल लोढ़ा	श्री गुमानमल लोढ़ा
81		7	प्रोप्राइटरी	प्रोप्राइटी
83		8	नाने	जाने
85	अन्तिम से	6	टेक्लिकल	टेक्निकल
86		3	फेक्ट्री	फैक्ट्री
88		3	ध्यक्ष	अध्यक्ष
89		13	से उदार	सेकि उदार

1	2	3	4
89	18	श्रीमन	श्रीमान
95 अन्तिम से	10	रहा है	रही है
" "	"	उनको	उनकी
97	10	ध्यान आकर्षण प्रस्ताव	ध्यान आकर्षण प्रस्ताव-भूतपूर्व महाराजा जयपुर के जमीन के बेचान संबंधी
100	7	हालांक	हालांकि
" अन्तिम से	6	बन्बई	बम्बई
101 "	1	सको	इसको
107	4	छुंगानी	छंगाणी
110 अन्तिम से	10	पहले भा	पहले भी
121	15	श्री निरंजनसाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
124	9	वेयू	वेल्यू
125	16	श्री विश्व भर नाथ जोशी	श्री विश्वम्भर नाथ जोशी
128	6	फर्मावा	फर्माया
129	19	लीजिक	लॉजिक
131	18	विशनोई	विश्नोई
135 अन्तिम से	10	बिघा	बीघा
140 "	8	असमर्थ	समर्थ
148	14	पूर्व	प्रूव
163	7	बसुधरा	वसुंधरा
" अन्तिम से	13	आम	आप
165	9	येजेज	वेजेज
166	1	तुम रे	तुम्हारे
"	22	सकना	सकता
"	28	वेल	वेल्स
167 अन्तिम से	14	बतें	बातें
169 "	11	गया । या	गया था
172 "	9	लो ों	लोगों
173 "	12	नियम 143 को निलम्वित करने के सम्बन्ध मे	
171 "	10	कावें	कार्य

1		2	3	4
175	अन्तिम से	18	आय-व्ययक पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद।	
176		4	सस्याएं	समस्याएं
177	शीर्ष		29 अप्रल	29 अप्रेल
179	अन्तिम से	10	मत्राजा	मंत्री जी
182	शीर्ष		सा मूल्य वाल विदा	सामान्य वाद-विवाद
186		14	तो	जो
188	अन्तिम से	4	तीदे	तो वे
192	शीर्ष		र्वाद	वाद
191	अन्तिम से	13	अश्वासन	प्राश्वासन
"	,,	10	श्री झावर ल	श्री झावरमल
"	"	1	दूध रक्षा	दूध की रक्षा
195	शीर्ष		अग्रतर	अग्रे तर
165	अन्तिम से	5	गदी	गन्दी
205		10	एक्स्पन्ज	एक्सपन्ज
209		3	चहे	चाहे
211		14	पा ी	पानी
212		4	पाध्यक्षमहोद	उपाध्यक्ष महोदय
213	अन्तिम से	12	सिलसले	सिलसिले
214		15	जतना	जितना
218		9	श्री वृद्धिचन्द जैन	श्री वृद्धिचन्द्र जैन
225	अन्तिम से	8	आपसे	आपने
227	,,	3	सपित	स्थापित
227	अन्तिम से	1	जाया	ले जाया
229		15	रह है	रही है
,,	अन्तिम से	5	जय	जाय
,,	,,	1	पोटाना	पीटना
230		3	बेरोजगरी	बेरोजगारी
,,		6	अक्छी	अच्छी
231		1	श्र जायग	श्री गोविन्द
,,		20	चाहत	चाहता
,,	अन्तिम से	1	लये	लिये

1	2	3	4
234	7	चहता	चाहता
,,	15	ह	कह
246	7	भारतीय	भारतीया
285	4	ममगोदाम	मालगोदाम